प्रेस – विज्ञप्ति

वर्ष – 2012

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

ललित बाबू के 37वें पुण्य–तिथि राजकीय बलिदान–दिवस के रुप में बलुआ बाजार सुपौल में सम्पन्न हुआ जिसे बिहार सरकार की ओर से कोशी प्रमण्डल के आयुक्त, श्री आर॰के॰जे॰ राव ने संबोधित किया।

पटना, 03 जनवरी, 2012

आज पूर्व रेलमंत्री शहीद ललित नारायण मिश्र के **37वें** पुण्य–तिथि के अवसर पर उनके पैतृक गाँव सुपौल जिला के अंतर्गत बलुआ बाजार में **'बलिदान–दिवस'** राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया। समारोह के प्रारंभ में ललित बाबू की समाधि एवं प्रतिमा पर बिहार सरकार की ओर से कोशी प्रमण्डल के आयुक्त, श्री आर॰के॰जे॰ राव ने माल्यार्पण किया और आरक्षी बल ने मातमी गारद सलामी दी। इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ललित बाबू ने बिहार को पिछड़ापन से निकालने के लिए अनेक परियोजनाएं प्रारंभ करायी और उन्होंने कोशी अंचल को बाढ़ की विभीषिका से बचाने एवं किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए कोशी योजना को कार्यान्वित कराया। दरभंगा प्रक्षेत्र के आई॰जी॰ श्री आर॰के॰ मिश्रा ने कहा कि ललित बाबू ने अपनी योग्यता एवं सक्रियता से बिहार एवं देश की उल्लेखनीय सेवा की। पिछड़े बिहार को मुख्यधारा में लाने के लिए वे निरंतर प्रतिबद्ध रहे।

इस समारोह में विधायक श्री नीरज कुमार सिंह 'बबलू' के अतिरिक्त, जिलाधिकारी, श्री कुमार रवि एवं पुलिस अधीक्षक, सुपौल, अनुमंडलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, त्रिवेणीगंज एवं छातापुर, श्री जयकृष्ण गुरमैता, अजय कुमार मिश्र उर्फ रिन्कू, श्री रणजीत कुमार मिश्र, प्रो॰ रामचन्द्र मंडल, श्री प्रभात कुमार मिश्रा तथा सभी राजनीतिक दलों के साथ–साथ सभी पंचायतों के मुखिया, सरपंच एवं बड़ी संख्या में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा एवं अररिया के लोगों ने भाग लिया।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

ललित बाबू की स्मृति में बेगूसराय जिला के सिमरिया घाट में राजकीय समारोह।

पटना, 03 जनवरी, 2012

आज ललित बाबू के **37वें बलिदान दिवस** के अवसर पर राजकीय आयोजन सिमरियाघाट में हुआ जहाँ ललित बाबू का अस्थि–विसर्जन किया गया था। राज्य सरकार की ओर से बेगूसराय के ज़िला पदाधिकारी तथा अनुमंडलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, सिमरिया ने माल्यार्पण कर ललित बाबू को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के जिला अध्यक्ष श्री राम नारायण सिंह, श्री चितरंजन प्रसाद सिंह, जद (यू) अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री प्रमोद कुमार शर्मा के अलावे प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्तागण भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

एक अन्य आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा परिसर, मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में ललित बाबू की मूर्त्ति पर माल्यार्पण किया गया एवं उन्हें श्रद्धा–सुमन अर्पित किये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान

1, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड, पटना–1

प्रेस विज्ञप्ति

ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान के तत्वावधान में पूर्व रेल मंत्री स्व. ललित नारायण मिश्र के 37वें बलिदान दिवस के अवसर पर "वैश्वीकरण के संदर्भ में उच्च शिक्षा" विषय पर आयोजित परिसंवाद।

पटना, 3 जनवरी, 2012

आज पूर्व रेल मंत्री स्व. ललित नारायण मिश्र के **37वें बलिदान दिवस** के अवसर पर ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान के सभागार में **"वैश्वीकरण के संदर्भ में उच्च शिक्षा"** विषय पर आयोजित परिसंवाद को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि बिहार विधान परिषद् के सभापति, श्री ताराकान्त झा ने कहा है कि राष्ट्रीय एवं बिहार की राजनीति के पुरोधा, लोकप्रियता के आदर्श ललितबाबू राजनीति में प्रखर नेता, सांसद तथा केन्द्रीय मंत्री के रूप में मार्गदर्शक होने से लम्बे समय तक बहुमूल्य योगदान के लिए याद किये जाते रहेंगे। पिछड़े बिहार को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए ललितबाबू सदा कटिबद्ध रहे। उन्होंने अपनी कर्मभूमि मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाने में पूरी तन्मयता से प्रयास किया। उन्होंने मिथिला चित्रकला को देश–विदेश में प्रचारित कर उसकी अलग पहचान बनवायी। मिथिला की भाषा और संस्कृति के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैथिली को साहित्य अकादमी में स्थान दिलाया जाना, मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराना और मैथिली को लोक सेवा आयोग के चयनित विषयों की सूची में जोड़ने के लिए उनके सहयोग का सदा स्मरण किया जाता रहेगा।

इस अवसर पर डॉ. जनक पाण्डेय, कुलपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पटना ने ललित बाबू की स्मृति में आयोजित **"वैश्वीकरण के संदर्भ में उच्च शिक्षा"** विषय पर अपने भाषण में कहा कि एक विश्वविद्यालय केवल ज्ञान और कौशल ही प्रदान करने के लिये नहीं होता, अपितु इसे पूरे समाज की सेवा करने के लिये रचनात्मक क्रियाकलाप का अवसर आवश्यक रूप से उपलब्ध रखना है। विश्वविद्यालय प्रबुद्ध या व्यावसायिक मध्य वर्ग के लिये ही केवल नहीं होते अपितु इन्हें पूर्ण समावेशी के रूप में आवश्यक रूप से रहते हुए वर्ग–भेदों से ऊपर के साधन होकर सेवायें आवश्यक रूप से प्रदान करनी हैं। एक विश्वविद्यालय संसार भर की मानवीय परंपराओं के न्यासी के रूप में भी सेवा प्रदान करता है और यह सेवा तमाम भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक चहार दीवारियों के पार होकर, प्रदान करता है। विश्वविद्यालय संवादों, वाद–विवादों और संकल्पों के लिये अनेक अवसर प्रदान करते हैं; ये विश्वविद्यालय वैदुष्यपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, निष्पक्ष विश्लेषण और वस्तुनिष्ठ ज्ञान को भी विकसित करने पर अपना उद्देश्य केन्द्रित करते हैं।

अपने अध्यक्षीय भाषण में संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष, डा. जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि बिहार में ललितबाबू की सोच एवं कल्पना के अनुरूप श्री नीतीश कुमार की सरकार ने छः वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनायी है। बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता और उद्योगविहीनता समाप्त हुई है और क्षत–विक्षत प्रशासकीय ढांचे में परिवर्तन हुआ है। सामाजिक समरसता स्थापित हुई है। इन छः वर्षों में विकास की बुनियादी संरचना सृजित हुई। सरकार के प्रयत्नों से राज्य एक क्रियाशील राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है। महात्मा गांधी, श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या की कड़ी में ललितबाबू की हत्या स्वतः जुड़ जाती है, क्योंकि ये हत्याएँ साम्प्रदायिक और उग्रवादी विचारों से प्रेरित होकर की गयीं। यह विस्मयकारी है कि ललितबाबू की हत्या करने वालों की सही पहचान भी संभवतः नहीं हो पायी। जिन्हें सी.बी.आई. ने अभियुक्त बनाया, वे सभी संदिग्ध माने जाते हैं। ललितबाबू की हत्या के 37 वर्ष बाद भी दोषियों को न दण्डित किया जा सका है और न लम्बित मामलों का निष्पादन किया जा सका है। वह न्यायपालिका एवं राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल प्रस्तुत करता है।

प्रारंभ में ललित बाबू के मूर्त्ति पर श्री ताराकान्त झा, डा. मिश्र एवं डॉ. पाण्डेय समेत अन्य गणमान्य लोगों ने भी माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर– श्री विजय कुमार मिश्र, विधायक, डॉ. आई.सी. कुमार, श्री रामउपदेश सिंह, डॉ. गोरेलाल यादव, श्री श्याम बिहारी मिश्र, श्री रामउदार झा, श्री रामबाबू राय, डॉ. नवल किशोर चौधरी, डॉ. कलानाथ मिश्र एवं अन्य लोगों के साथ संस्थान के कुलसचिव, श्री शंकर झा, सभी शिक्षक और छात्र–छात्राओं बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

(शिवानन्द झा)
अध्यक्ष के सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

विश्वविद्यालयों में उर्दू, फारसी एवं अरबी की पढ़ाई जारी रखने, 12,862 प्राथमिक उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति करने तथा राजभाषा उर्दू कर्मचारियों के अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सुविधा एवं प्रोन्नति देने की डा॰ जगन्नाथ मिश्र की सरकार से अपील।

पटना, 07 जनवरी, 2012

रेशनेलाईजेशन के नाम पर विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों से भाषा जैसे उर्दू, फारसी, अरबी, मैथिली, बंगला विषय के शिक्षकों का पद सरकार समाप्त करने पर विचार कर रही है। इससे भाषा की समाप्ति हो सकती है। छात्र–छात्राओं एवं भाषा के हित में इन भाषाओं की पढ़ाई प्रत्येक कॉलेज में जारी रहनी चाहिए। अतः रेशनेलाईजेशन को बंद कर कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति सभी पद पर की जाय। उच्चतम न्यायालय के निदेश पर शिक्षकों की नियुक्ति में 12,862 प्राथमिक उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। राजभाषा उर्दू कर्मियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता और कार्य स्वरूप के अनुसार वेतनमान नहीं दिया गया है और उनकी सेवा नियमावली नहीं बनायी गयी। उनको 27 वर्षों में एक भी पदोन्नति नहीं दी गयी है। उनका ग्रेडेशन लिस्ट फाइनल नहीं किया गया है। इस लम्बी अवधि में उर्दू कर्मियों को जेनरल सेलेक्शन ग्रेड, सीनियर सेलेक्शन ग्रेड और सुपर सेलेक्शन ग्रेड से पूर्णतः वंचित रखा गया है। अन्य विभागों में उनसे कम शैक्षणिक योग्यता और कार्य क्षमता रखने वाले सरकारी कर्मी को पदोन्नति देकर पदाधिकारी बना दिया गया है। सरकार ने बी.डी.ओ. और सी.ओ. बनने के लिये अन्य विभागों के सरकारी कर्मियों को इसमें सम्मिलित होने की सुविधा दी है जबकि उनके समान शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य क्षमता रखने के बावजूद राजभाषा उर्दू कर्मियों को इस पदोन्नति से वंचित रखा गया है। 17 मार्च, 2007 को स्थानीय अंजुमन इस्लामिया हॉल, पटना में अखिल बिहार राजभाषा उर्दू सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर उर्दू कर्मियों की मांगों को जायज करार देते हुए वादा किया था कि उनकी सारी मांगों को अतिशीघ्र पूरा किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने उर्दू निदेशालय को हिन्दी निदेशालय की तरह वित्तीय एवं अन्य अधिकार दिये जाने की घोषणा की थी लेकिन वह घोषण पूरा नहीं हुआ है। राजभाषा उर्दू कर्मियों की सेवा नियमावली अतिशीघ्र बनाने की घोषण की गयी थी लेकिन अभीतक नियमावली नहीं बनी है।

अतः डा॰ मिश्र ने सरकार से अपील की है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 12,862 प्राथमिक उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाय। (2) उर्दू राजभाषा उर्दू कर्मियों की सेवा नियमावली अतिशीघ्र बनाकर उन्हें अनुमंडल उर्दू पदाधिकारी, जिला उर्दू पदाधिकारी और प्रमंडलीय उर्दू पदाधिकारी/उपनिदेशक (उर्दू) के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाय। (3) उर्दू/हिन्दी टंककों को उच्चवर्गीय लिपिक मानकर तदनुसार आगे के पदों पर उन्हें पदोन्नति दी जाय। (4) सभी उर्दू कर्मियों को पहला और दूसरा ए.सी.पी. दी जाय। (5) फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट अतिशीघ्र प्रकाशित किया जाय। (6) अन्य विभागों की तरह राजभाषा के उर्दू कर्मियों में से 10 प्रतिशत को पदोन्नति देकर बी.डी.ओ. और सी.ओ. बनाने पर विचार किया जाय। (7) उर्दू और उर्दू कर्मचारियों की तरक्की के लिए उर्दू निदेशालय को हिन्दी निदेशालय की तरह वित्तीय एवं अन्य अधिकार दिये जाएं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा

302, बी॰ दीपगंगा कम्प्लेक्स, चौहट्टा, पटना–4

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 09 जनवरी, 2012

आज राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वावधान में बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के सभागार में **''अल्पसंख्यकों के लिए शासन को विशेष प्रयत्न करना सरकार का दायित्व''** विषय पर मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ॰ आई॰ए॰ खान की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की जेनरल एसम्बली के 18 दिसम्बर, 1992 के निर्णय के आलोक में मानवाधिकारों की दृष्टि से अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रयत्न करना राज्य का कर्त्तव्य है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना किसी भी सभ्य और जागरुक राष्ट्र की पहली पहचान है। राज्यों को ऐसे सटीक उपाय करना चाहिये, जिनके माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के सभी व्यक्ति अपने को आर्थिक प्रगति एवं विकास में पूर्णतः प्रतिभागी बना सकें।'' अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नियोजन के अध्ययन के लिए गठित सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसाओं पर रिपोर्ट प्राप्त होने के चार वर्ष बाद भी केन्द्र सरकार के स्तर से अनुशंसाओं के संदर्भ में कार्यान्वियन अत्यंत शिथिल बना रहा है जो अत्यंत ही विस्मयकारी है। चार वर्ष पूर्व इन आयोगों ने प्रतिवेदन में कहा था कि अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की स्थिति अत्यंत दयनीय लगातार बनी रही है। उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अन्य नागरिकों की तुलना में निम्नतर बनी रही है। चार वर्षों में इन दोनों आयोगों की अनुशंसाओं पर चर्चा अवश्य होती रही है परंतु अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों की स्थिति में बदलाव का कोई लक्षण नहीं दिखता है।

मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ॰ आई॰ए॰ खान ने कहा है कि देश में अल्पसंख्यकों की आबादी 16.6 फीसदी है। इसलिए यह सचमुच गौर करने की बात है कि आजादी के 64 साल बीतने के बाद भी आबादी के इतने बड़े हिस्से की भागीदारी राष्ट्र की भलाई से जुड़े कामों में कम क्यों हो गई? कुछ ऐसा देखनें में आता है कि अल्पसंख्यकों में निराशा छा गयी है कि उन्हें शिक्षण संस्थानों में, सरकारी सेवाओं में, बैंक के क्षेत्र में, प्राइवेट कारोबार में कितनी कम नौकरी मिली और पार्लियामेंट तथा राज्य विधान मंडल में कितना कम हिस्सेदारी मिली।

मोर्चा के महासचिव मोहम्मद अनवार खाँ ने कहा है कि भारत सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मुसलमानों की सघन आबादी वाले जिलों के लिए विशेष आवंटन निर्धारित किया है। इस वर्ष की बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पिछले वर्ष के 1740 करोड़ के विरूद्ध 2600 करोड़ उपबंध किया है। इस आवंटन में से अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए 1204.20 करोड़ आवंटन किया गया है जबकि पिछले वर्ष इस मद में 889.5 करोड़ आवंटन किया गया था। यह आवंटन सच्चाई से भिन्न दिखता है। क्योंकि पिछले वर्ष के आवंटन का उपयोग राज्य सरकार ने अभीतक नहीं किया है।

जाहिदुर रहमान ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 12,862 प्राथमिक उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति की जाय। उर्दू राजभाषा उर्दू कर्मियों की सेवा नियमावली अतिशीघ्र बनाकर उन्हें अनुमंडल उर्दू पदाधिकारी, जिला उर्दू पदाधिकारी और प्रमंडलीय उर्दू पदाधिकारी/उपनिदेशक (उर्दू) के पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाय।

मो॰ जावेद ने कहा कि उर्दू/हिन्दी टंककों को उच्चवर्गीय लिपिक मानकर तदनुसार आगे के पदों पर उन्हें पदोन्नति दी जाय। सभी उर्दू कर्मियों को पहला और दूसरा ए॰सी॰पी॰ दी जाय।

मौलाना समशुल होदा ने कहा कि फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट अतिशीघ्र प्रकाशित किया जाय।

आयोजित गोष्ठी में भाग लेने वालों में प्रमुख थे :– प्रो॰ मो॰ जकी आलम, फिरोज हसन, हुसैन अहमद कादरी, मो॰ मोईनउद्दीन आजाद, सैयद अरशद अली, एम॰जेड॰ अहमद, मकसूद अहमद अंसारी, चुन्ने खाँ, मो॰ सैराज हुसैन, एस॰एम॰ आशिफ, सैयद सुजाउद्दीन, असफाक आशमी, रियाज अहमद आतिश आदि।

(अनवार खाँ)
महासचिव

मुसलमानों का एक हिस्सा पहले से ही 27 फीसदी पिछड़े के कोटे में शामिल था। मुस्लिम पिछड़ी जातियों को पहले से ही आरक्षण की यह सुविधा मिल रही थी, भले ही अपने अति पिछड़ेपन के कारण वे इसका फायदा नहीं उठा रहे हों। अब उन्होंने 27 फीसदी से निकालकर साढ़े 4 फीसदी के एक उपकोटे में यह कहते हुए डाल दिया गया है कि यहाँ उनके सफल होने की ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन मुसलमान इसे भी नहीं मान रहे हैं। यह उपकोटा सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि इसमें ईसाई, सिख और जैन ओबीसी भी शामिल हैं। उनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति मुस्लिम ओबीसी की अपेक्षा बहुत बेहतर है। इसलिए यदि 27 फीसदी के कोटे में मुस्लिम ओबीसी अपनी ज्यादा सफल नहीं हो पाते थे, तो यहाँ तो सफलता की संभावना उनके लिए और भी कम हो गई है, क्योंकि अब वे सिर्फ साढ़े 4 फीसदी कोटे में ही सफल होने के लिए अपने से ज्यादा सक्षम लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। ओबीसी की केन्द्रीय सूची में कौन–कौन से लोग हैं। वे सभी हिन्दू दलित जो ईसाई हो गए हैं, ओबीसी की सूची में शामिल हैं। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध करायी है और वे साढ़े 4 फीसदी अल्पसंख्यक कोटे में मुसलमानों को बहुत पीछे छोड़ देने में सक्षम हैं। 27 फीसदी कोटे में सिर्फ 3 फीसदी मुस्लिम ओबीसी ही सफल हो पाते थे और अब उन्हें साढ़े 4 फीसदी दे दिया गया है। लेकिन मुस्लिम ओबीसी को लग रहा है कि उन्हें अब शायद एक फीसदी हिस्सा भी नहीं मिल पाए, क्योंकि उनका सामना अब उन लोगों से होगा, जो उनसे ही नहीं, बल्कि हिन्दू ओबीसी के लोगों से भी शैक्षिक रूप से ज्यादा उन्नत हैं। अगड़े मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। वे रंगनाथ मिश्र की रिपोर्ट के अमल में आने का इंतजार कर रहे थे, जिसमें सभी मुसलमानों को 10 फीसदी आरक्षण की मांग की गई है। उन्हें लगता है कि साढ़े 4 फीसदी का यह ओबीसी उपकोटा देकर उनके रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम धार्मिक नेताओं को यह रास नहीं आ रहा है कि मुसलमानों को भी अगड़ी और पिछड़ी जातियों में बांटा जाय। वे यह मानने को तैयार नहीं कि मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था है। इसलिए वे रंगनाथ मिश्र की अनुशंसा को लागू करने के पक्ष में तो थे, लेकिन उन्हें यह गवारा नहीं है कि उनके मजहब के लोगों को भी जाति के आधार पर बांटा जाय।

सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की कम नुमाइंदगी को देखते हुए रंगनाथ मिश्र आयोग ने सिफारिश की थी कि केन्द्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में उन्हें 15 फीसदी आरक्षण दिया जाए। इन 15 फीसदी में से 10 फीसदी मुसलमानों के लिए और बांकी 5 फीसदी स्थान दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए हों। इतना ही नहीं, इन सिफारिशों को लागू करने में होने वाली व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए मिश्र आयोग ने विकल्प के तौर पर दीगर पिछड़े वर्गों के 27 फीसदी कोटे में से करीब साढ़े आठ फीसदी आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिए जाने की सिफारिश की थी। लेकिन 15 फीसदी आरक्षण तो दूर, सरकार ने पिछड़े वर्गों के 27 फीसदी में से भी अल्पसंख्यकों का 8.4 फीसदी कोटा नहीं दे पाई। इस सिफारिश के उलट अल्पसंख्यकों को महज साढ़े चार फीसदी कोटा ही मिला। यानी कि आयोग की सिफारिश का सिर्फ आधा। सरकार के इस फैसले के दायरे में सारे अल्पसंख्यक आएंगे, लेकिन पूरे मुलक में फैसले को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे यह आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हो, या इसका फायदा सिर्फ उसे ही मिलेगा। सच बात तो यह है कि मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत आता है और दूसरे समुदायों की तरह उसे भी पिछड़े वर्ग के आरक्षण का फायदा मिलता है। लेकिन तल्ख हकीकत यह है कि मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुए दो दशक से ज्यादा गुजर गए, लेकिन मुसलमान वहीं का वहीं है, जबकि पिछड़े वर्ग में उसके साथ शामिल कई जातियां तरक्की की दौड़ में उससे कहीं आगे निकल गईं। यानी, मुल्क में कहीं न कहीं उसके साथ आज भी पक्षपात और सांप्रदायिक भेदभाव है, जो उसकी बदहाल स्थिति के लिए जिम्मेदार है। यही वजह है कि मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए बने आयोगों ने उन्हें इंसाफ दिलाने के वास्ते पिछड़े वर्ग के कोटे में से कोटा देने की वकालत की। केन्द्र सरकार के इस फैसले, अन्य पिछड़ा वर्ग के कोटे के भीतर अल्पसंख्यकों को आरक्षण की व्यवस्था मुल्क के कई सूबों मसलन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में पहले से ही लागू है। इस फैसले से मुल्क के मुसलमानों की स्थिति में शायद ही कोई सुधार हो। पहले रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों का ज्यों का त्यों लागू करती।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, डा॰ सी॰पी॰ जोशी से डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपील की है कि 6 फरवरी, 2012 को लोकार्पण होने वाली कोशी महासेतु का नाम पूर्व रेल मंत्री "अमर शहीद ललित नारायण मिश्र" के नाम पर रखा जाय।

पटना, 10 जनवरी, 2012

वर्षों से दो भागों में विभक्त मिथिलांचल को जोड़ने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2003 में कोशी महासेतु का शिलान्यास किया था। वह सेतु 6 फरवरी, 2012 को लोक सेवा के लिए चालू किया जायेगा। यह सर्वविदित है कि स्व॰ रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने बिहार को पिछड़ापन से निकालकर एक विकसित राज्य बनाने के लिए अनेक परियोजनाएं मंजूर करायी थी। उसमें कोशी जैसी शोकदायी नदी की बाढ़ और महामारी से पीड़ित असंख्य लोगों को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से उसे नियंत्रित करने के लिए पं॰ जवाहर लाल नेहरू से कोशी योजना स्वीकृत करायी थी। कोशी योजना के पूर्ण होने से हीं कोशी अंचल की रूप रेखा ही बदल गयी और बाढ़ तथा महामारी की विभीषिका से मिथिलांचल का विशाल भू–भाग मुक्त हुआ। पिछड़े बिहार को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने हेतु वे प्रतिबद्ध थे। उसी कड़ी में उन्होंने मिथिलांचल के समग्र विकास के लिए लखनउ से असम तक लेटरल रोड मंजूर करबायी, जो मुजफ्फरपुर–दरभंगा होते हुए असम तक स्वीकृत हुई थी। उसी पथ निर्माण के क्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राज पथ के रूप में कार्यान्वित कराया। उसी के अंतर्गत दो भागों में विभक्त मिथिलांचल कोशी महासेतु से जुड़ रहा है। यह ललित बाबू की हीं सोच थी। उन्होंने हीं बिहार की 36 रेल परियोजनाओं की स्वीकृति करायी थी। जिसमें पटना–मुंगेर गंगा पुल भी सम्मिलित था। आज जब उसी महासेतु का लोकार्पण किया जा रहा है तो यह बड़ा ही उपयुक्त होगा कि उस महासेतु का नाम "अमर शहीद ललित नारायण मिश्र" के नाम पर किया जाय।

डा॰ मिश्र ने डा॰ जोशी से पत्र द्वारा एवं मंत्रालय से टेलीफोन द्वारा सम्पर्क स्थापित कर मिथिलांचल की भावना से अवगत कराया है। बिहार में महात्मा गांधी, डा॰ राजेन्द्र प्रसाद एवं बाबू जगजीवन राम के नाम से महासेतु को नामित किया गया है। उसी क्रम में सहरसा को जोड़ने वाली डुमरी–कोशी सेतु को बी॰पी॰ मंडल के नाम से किया जा चुका है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भूमि न्यायाधिकरण की स्थापना से लम्बित भूमि विवादों का त्वरित समाधान संभव– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 16 जनवरी, 2012

बिहार में भूमि सुधार सम्बन्धित विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय की अवकाशप्राप्त, न्यायाधीश, श्रीमती मृदुला मिश्रा की अध्यक्षता में भूमि न्यायाधिकरण की स्थापना की है। इस न्यायाधिकरण के गठन से भूमि विवादों से सम्बन्धित लम्बित मामलों को तुरंत निष्पादित किया जा सकेगा। न्यायाधिकरण को बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बिहार जोतों की चकबंदी एवं बिखंडन निवारण अधिनियम, 1956, बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954, बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन होमस्टेड टिनेन्सी एक्ट, 1947, बिहार गर्वेनमेंट इस्टेट्स हस्तक, 1953 और बिहार बंदोबस्त हस्तक के संबंध में उचित अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध आदेश पारित होने के 90 दिनों के अंदर आवेदन प्राप्त करने की शक्ति होगी और मामलों का वह निष्पादन करने में सक्षम होगा। बिहार में भूमि सम्बन्धित वर्षो से विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्तरों पर लम्बित मामलों के निष्पादन से ग्रामीण क्षेत्र में भूमि से सम्बन्धित अनिश्चितताओं का समापन होगा और संभावित हिंसात्मक घटनाओं को थामने में न्यायाधिकरण सफल होगा। पिछली सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में भूमि विवाद से अनेक समस्यायें लगातार उत्पन्न होती गई जिसके कारण हीं नक्शल गतिविधियां बढ़ती गई और समाज के विभिन्न वर्गों में टकराव की संभावना बढ़ती गई। श्री नीतीश कुमार की सरकार ने यह महसूस किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों के भूमि विवादों के समाधान से ही तज्जन्य हिंसात्मक गतिविधियों को रोका जा सकता है और विकास के लाभों से लोग लाभान्वित हो सकते हैं।

बिहार राज्य में भूमिहीनता के विशाल स्तर के मद्देनजर बड़े पैमाने पर भूमि अधिकरण द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, ताकि राज्य के एक बहुसंख्यक हिस्से को आजीविका का एक स्थायी आधार उपलब्ध हो सके और मजदूरों के पलायन को रोका जा सके। बिहार के कम से कम एक तिहाई ग्रामीण परिवार पूरी तरह से भूमिहीन हैं और कुछ जिलों में यह अनुपात 70 प्रतिशत तक पहुँचता है। राज्य में आज भी ऐसे अनेक भूपति हैं जिनके पास भूस्वामित्व की अधिकतम सीमा के दस गुणे से भी अधिक जमीन है। यह स्पष्ट है कि भूमि सुधार के नाम पर भूमिहीन लोगों के बीच सिर्फ जमीन का आवंटन ही पर्याप्त नहीं है। आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवा पाना ही राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुयोग्य श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य भूसम्पन्न वर्गों द्वारा जमीन के किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कब्जे के निषेध हेतु कड़े दण्डात्मक प्रावधान किये जायें तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त दण्डाधिकार भी दिये जायें। साथ ही, एक निश्चित समय–सीमा के अंदर उपयुक्त कार्रवाई न कर पाने या सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को प्रभावी रूप से आवंटित जमीन पर कब्जा न दिलवा पाने की स्थिति से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्रवाईयों का प्रावधान होना चाहिए। लम्बे समय से लम्बित विवादों का निपटारा भूमि सुधार नीतियों की एक और प्राथमिकता के तहत होना चाहिए। विभिन्न न्यायालयों में भू–हदबंदी के कुल 1723 मामले लम्बित हैं, जिनमें कुल 159820.17 एकड़ जमीन सन्निहित हैं। राज्य सरकार द्वारा नवगठित भूमि सुधार अधिकरण द्वारा त्वरित सुनवाई से निष्पादन कराया जाय तो बड़ी संख्या में राज्य के भूमिहीनों के बीच जमीन बंटवारे के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा वितरित भूदान के भूखण्डों के मामलों में आवंटियों के नाम से जमीन का दाखिल खारिज भी अविलम्ब जारी किया जाना चाहिए तथा इस कार्य के निष्पादन की पूरी–पूरी भूमि अधिकरण जिम्मेदारी राजस्व विभाग को सौंपे। उसी तर्ज पर वितरित सीलिंग और सरकारी जमीन के संबंध में भी कार्रवाई की जाय।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 17 जनवरी, 2012

आज यहाँ विधायक क्लब कम्पाउण्ड के पश्चिम स्थित फुस बंगला (सभागार) हाई कोर्ट के उत्तर–पूर्व पटना में श्री राजेश्वर प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित चौकीदार–दफादार संघ के सभी जिला के सभी थाना ओ॰पी॰ के सभी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक को सम्बोधित करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर 1927 और 1937 में चौकीदार–दफादार के शोषण, उत्पीड़न तथा अपमान की बात तत्कालीन सरकार के समक्ष उपस्थापित की थी और उन्होंने यह बतलाया था कि इस समूह का अपमान बड़े पैमाने पर लगातार किया जाता रहा है। इनकी असुविधाओं पर किसी सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया था। देश में पहलीबार उनकी (डा॰ मिश्र की) सरकार ने 17 जनवरी, 1990 को चौकीदार–दफादार को सरकारी सेवा में लेने तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति दी जाने वाली सुविधायें देने सम्बन्धित अधिसूचना जारी की थी। उसमें यह भी कहा गया था कि ऐसे चौकीदार–दफादार जिनकी सेवा कम बची है, इसलिए उनके सेवानिवृत्त होने के बाद एकबार उनके आश्रितों में से किसी एक को चौकीदार–दफादार की सेवा में ली जाए। कुछ वर्षों में शिकायत आयी है कि 50 प्रतिशत से अधिक सेवानिवृत्त होने वाले दफादार–चौकीदार के परिवार के सदस्य की नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर नहीं की गई है। अतः यह उचित होगा कि पूर्व के निर्णयानुसार इनकी खानदानी सेवा को देखते हुए अपवाद स्वरूप एक बार सेवानिवृत्त कर्मियों के आश्रितों में से किसी एक को दफादार–चौकीदार के पद पर नियुक्त करने का प्रावधान किया जाए। डा॰ मिश्र ने समाज के सबसे कमजोर तबका जिसमें दलित और अन्य पिछड़ी जातियों तथा अन्य जातियों के गरीब हीं कार्यरत हैं, उन 45 हजार कर्मचारियों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा देकर सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया गया जिससे इन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठने का अवसर मिला। परन्तु पिछली राजद सरकार ने इन्हें वर्दी की आपूर्त्ति नहीं की और न आश्रितों को नौकरी दी और न इन्हें शोषण से मुक्त रखने का कोई कारगर उपाय ही किया। उन्होंने बिहार की वर्तमान सरकार से यह अपेक्षा की है कि वह अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह चौकीदार और दफादार को सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होने पर अथवा अपराधियों से मुठभेड़ के क्रम में हत्या किये जाने पर वही सुविधाएं दी जाएं जो अन्य सरकारी कर्मचारियों और आरक्षी को दी जाती है। इन्हें भी साहसिक कार्यो के लिए भरपुर पुरस्कार की राशि दी जाए। डा॰ मिश्र ने सरकार से ग्राम रक्षा दल एवं गृह रक्षा वाहिनी को भी वर्दी सुविधा देने की मांग की है।

(विद्‌यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भूमि न्यायाधिकरण की स्थापना से लम्बित भूमि विवादों का त्वरित समाधान संभव– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

मुजफ्फरपुर, 19 जनवरी, 2012

बिहार में भूमि सुधार सम्बन्धित विवादों के त्वरित निष्पादन के लिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय की अवकाशप्राप्त, न्यायाधीश, श्रीमती मृदुला मिश्रा की अध्यक्षता में भूमि न्यायाधिकरण की स्थापना की है। इस न्यायाधिकरण के गठन से भूमि विवादों से सम्बन्धित लम्बित मामलों को तुरंत निष्पादित किया जा सकेगा। न्यायाधिकरण को बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम 1961, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बिहार जोतों की चकबंदी एवं बिखंडन निवारण अधिनियम, 1956, बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954, बिहार प्रिविलेज्ड पर्सन होमस्टेड टिनेन्सी एक्ट, 1947, बिहार गर्वेनमेंट इस्ट्रेटस हस्तक, 1953 और बिहार बंदोबस्त हस्तक के संबंध में उचित अधिकारियों द्वारा पारित आदेश के विरूद्व आदेश पारित होने के 90 दिनों के अंदर आवेदन प्राप्त करने की शक्ति होगी और मामलों का वह निष्पादन करने में सक्षम होगा। बिहार में भूमि सम्बन्धित वर्षों से विभिन्न धाराओं के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्तरों पर लम्बित मामलों के निष्पादन से ग्रामीण क्षेत्र में भूमि से सम्बन्धित अनिश्चितताओं का समापन होगा और संभावित हिंसात्मक घटनाओं को थामने में न्यायाधिकरण सफल होगा। पिछली सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के अभाव में भूमि विवाद से अनेक समस्यायें लगातार उत्पन्न होती गई जिसके कारण हीं नक्शल गतिविधियां बढ़ती गई और समाज के विभिन्न वर्गों में टकराव की संभावना बढ़ती गई। श्री नीतीश कुमार की सरकार ने यह महसूस किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों के भूमि विवादों के समाधान से ही तज्जन्य हिंसात्मक गतिविधियों को रोका जा सकता है और विकास के लाभों से लोग लाभान्वित हो सकते हैं।

बिहार राज्य में भूमिहीनता के विशाल स्तर के मद्देनजर बड़े पैमाने पर भूमि अधिकरण द्वारा नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, ताकि राज्य के एक बहुसंख्यक हिस्से को आजीविका का एक स्थायी आधार उपलब्ध हो सके और मजदूरों के पलायन को रोका जा सके। बिहार के कम से कम एक तिहाई ग्रामीण परिवार पूरी तरह से भूमिहीन हैं और कुछ जिलों में यह अनुपात 70 प्रतिशत तक पहुँचता है। राज्य में आज भी ऐसे अनेक भूपति हैं जिनके पास भूस्वामित्व की अधिकतम सीमा के दस गुणे से भी अधिक जमीन है। यह स्पष्ट है कि भूमि सुधार के नाम पर भूमिहीन लोगों के बीच सिर्फ जमीन का आवंटन ही पर्याप्त नहीं है। आवंटित भूखण्डों पर गरीबों को प्रभावी कब्जा दिलवा पाना ही राज्य प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए आवश्यक है कि सुयोग्य श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य भूसम्पन्न वर्गों द्वारा जमीन के किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कब्जे के निषेध हेतु कड़े दण्डात्मक प्रावधान किये जायें तथा उनके प्रभावी अनुपालन हेतु अनुमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को अतिरिक्त दण्डाधिकार भी दिये जायें। साथ ही, एक निश्चित समय–सीमा के अंदर उपयुक्त कार्रवाई न कर पाने या सुयोग्य श्रेणी के परिवारों को प्रभावी रूप से आवंटित जमीन पर कब्जा न दिलवा पाने की स्थिति से संबंधित क्षेत्रों के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्रवाईयों का प्रावधान होना चाहिए। लम्बे समय से लम्बित विवादों का निपटारा भूमि सुधार नीतियों की एक और प्राथमिकता के तहत होना चाहिए। विभिन्न न्यायालयों में भू–हदबंदी के कुल 1723 मामले लम्बित हैं, जिनमें कुल 159820.17 एकड़ जमीन सन्निहित हैं। राज्य सरकार द्वारा नवगठित भूमि सुधार अधिकरण द्वारा त्वरित सुनवाई से निष्पादन कराया जाय तो बड़ी संख्या में राज्य के भूमिहीनों के बीच जमीन बंटवारे के लिए उपलब्ध हो जाएगी। बिहार भूदान यज्ञ समिति द्वारा वितरित भूदान के भूखण्डों के मामलों में आवंटियों के नाम से जमीन का दाखिल खारिज भी अविलम्ब जारी किया जाना चाहिए तथा इस कार्य के निष्पादन की पूरी–पूरी भूमि अधिकरण जिम्मेदारी राजस्व विभाग को सौंपे। उसी तर्ज पर वितरित सीलिंग और सरकारी जमीन के संबंध में भी कार्रवाई की जाय।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यकों को केन्द्रीय सेवा में साढ़े चार प्रतिशत कोटा में मुसलमानों को लाभ संभावित नहीं– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 19 जनवरी, 2012

मुसलमानों का एक हिस्सा पहले से ही 27 फीसदी पिछड़े के कोटे में शामिल था। मुस्लिम पिछड़ी जातियों को पहले से ही आरक्षण की यह सुविधा मिल रही थी, भले ही अपने अति पिछड़ेपन के कारण वे इसका फायदा नहीं उठा रहे हों। अब उन्हें 27 फीसदी से निकालकर साढ़े 4 फीसदी के एक उपकोटे में यह कहते हुए रखा गया है कि यहाँ उनके सफल होने की ज्यादा गुंजाइश है। पिछड़े वर्ग की आर्थिक और शैक्षिक स्थिति मुस्लिम ओबीसी की अपेक्षा बहुत बेहतर है, इसलिए 27 फीसदी के कोटे में मुस्लिम ओबीसी ज्यादा सफल नहीं हो पाते थे। परंतु यहाँ सफलता की संभावना उनके लिए और भी कम हो गई है, क्योंकि अब वे सिर्फ साढ़े 4 फीसदी कोटे में ही सफल होने के लिए अपने से ज्यादा सक्षम अन्य अल्पसंख्यक लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की कम नुमाइंदगी को देखते हुए ही रंगनाथ मिश्र आयोग ने सिफारिश की थी कि केन्द्र और राज्य सरकारों की नौकरियों में उन्हें 15 फीसदी आरक्षण दिया जाए। इन 15 फीसदी में से 10 फीसदी मुसलमानों के लिए और बांकी 5 फीसदी स्थान दूसरे अल्पसंख्यकों के लिए हों। इतना ही नहीं, इन सिफारिशों को लागू करने में होने वाली व्यावहारिक कठिनाई को देखते हुए मिश्र आयोग ने विकल्प के तौर पर दीगर पिछड़े वर्गों के 27 फीसदी कोटे में से करीब साढ़े आठ फीसदी आरक्षण अल्पसंख्यकों को दिए जाने की सिफारिश की थी। लेकिन 15 फीसदी आरक्षण तो दूर, सरकार ने पिछड़े वर्गों के 27 फीसदी में से भी अल्पसंख्यकों का 8.4 फीसदी कोटा नहीं दे पाई। इस सिफारिश के उलट अल्पसंख्यकों को महज साढ़े चार फीसदी कोटा ही मिला। यानी कि आयोग की सिफारिश का सिर्फ आधा। सरकार के इस फैसले के दायरे में सारे अल्पसंख्यक आएंगे, लेकिन पूरे देश में उन फैसले को इस तरह से प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे यह आरक्षण सिर्फ मुसलमानों के लिए ही हो, या इसका फायदा सिर्फ उसे ही मिलेगा। इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया है कि इस रिजर्वेशन से मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि यह रिजर्वेशन अल्पसंख्यकों के लिए लागू किया गया है जिसमें मुसलमानों के लिए कोई उप कोटा नहीं है। यानी यह आरक्षण सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी आदि के लिए भी होगा। इन धर्मों के ओबीसी भी उसी साढ़े चार प्रतिशत के लिए होंगे। सभी जानते हैं कि इन धर्मों में शैक्षिक और सामाजिक असमानता बहुत कम है। उनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति बेहतर है। मौजूदा व्यवस्था में भी ये लोग अगड़ी जातियों के अति शिक्षित लोगों से मुकाबला करते हैं और किसी भी हालत में उनसे कम नहीं है।

सच्चर कमिटी की सिफारिशों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों को रोजगार एवं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण मिले। सरकार ने जिस तरह अनुसूचित जाति को आरक्षण देकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ दिया है, उसी तरह मुसलमानों को भी आरक्षण मिलेगा, तो सरकारी नौकरी एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनका प्रतिशत बढ़ेगा। आजादी के बाद से लेकर अबतक मुसलमानों की आर्थिक दृष्टि से प्रगति नहीं हुई है। इसकी भरपाई के लिए शिक्षा एवं रोजगार में आरक्षण दिया जाना समय की मांग है। मुसलमानों में अशराफिया या पसमांदा के आधार पर शिक्षा में आरक्षण नहीं हो, बल्कि आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन हो। हर जाति में आरक्षण का आदर्श आधार आर्थिक पिछड़ापन ही हो सकता है। जात–पात की बुनियाद पर आरक्षण से लाभ कम, राजनीतिक रोटी अधिक सेंकी जाती है। किसी भी समाज की उन्नति में शिक्षा का सबसे बड़ा हाथ होता है। थोड़ी–सी तादाद छोड़ दें, तो भारत का आम मुसलमान आर्थिक रूप से विपन्न है। उनमें ज्यादा प्रतिशत किसानों, कामगारों, बुनकरों, छोटे दुकानदारों और मजदूर वर्गों का है, जिनके पास हाथ का हुनर तो है, लेकिन शिक्षा, तकनीक और रोजगार का घोर अभाव है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार को उनकी मधुबनी जिला में मिथिला चित्रकारी विश्वविद्यालय एवं बलराजगढ़ की खुदाई की घोषणा के साथ संपन्न सफल सेवा–यात्रा के लिये धन्यवाद–ज्ञापन किया।

पटना, 20 जनवरी, 2012

डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने मधुबनी जिला की सफल सेवा–यात्रा के लिये बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। ललित बाबू ने जिस मिथिला चित्रकारी को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपलब्ध कराकर उसे आर्थिक संभावना दी थी अब श्री नीतीश कुमार ने उस ऐतिहासिक मिथिला चित्रकला को आधुनिक रूप देने के लिये सौराठ में मिथिला चित्रकारी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की है और उसके लिए आठ एकड़ भूमि भी आवंटित की है। मिथिला की विकास संभावना एवं उसकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए की गई मुख्यमंत्री की घोषणा के लिये भी डा॰ मिश्र ने उनके प्रति धन्यवाद–ज्ञापन किया है। डा॰ मिश्र ने मधुबनी में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में श्री कुमार के संवेदनशील, सहृदयतापूर्ण व्यक्तित्व की सराहना करते हुए कहा कि सचमुच जन–समस्याओं के समाधान में मुख्यमंत्री की इच्छाशक्ति और सक्रियता अनुकरणीय है। मधुबनी जिला के विभिन्न मुख्य स्थलों की विशेषताओं से अवगत होकर मुख्यमंत्री ने मधुबनी समेत संपूर्ण मिथिला की पौराणिकता और संस्कृति को समुन्नत करने की अपनी तीव्र अभिलाषा व्यक्त की है। इस क्रम में मुख्यमंत्री श्री कुमार ने मधुबनी जिला के अनमोल धरोहर बलिराजगढ़ स्थल, जो 22 सौ वर्षों के इतिहास को संजोये हुए है, की खुदाई का आश्वासन दिया है। सिद्धपीठ उच्चैठ और कालीदास डीह के संबंध में मिथिला संस्कृति की श्रेष्ठता की भी सराहना की। श्री कुमार ने जिले में अनेक पोखरों के नव निर्माण कर कृषि उद्योग, मत्स्य–पालन, मखाना आदि के संबंध में जो घोषणा की वह तो जनहित में सराहनीय है ही।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा में करने के लिए डा॰ जगन्नाथ मिश्र का केन्द्र सरकार से अपील।

पटना, 25 जनवरी, 2012

समाज के विभिन्न वर्गों में आरक्षण व्यवस्था का लाभ सभी जातियों तक समान रूप से नहीं पहुँच पा रहा है। गहन परीक्षण के उपरांत पाया गया है कि जो जातियाँ प्रभावशाली तथा बहुसंख्यक थीं उन्होंने धीरे–धीरे सेवा में नियोजन और शिक्षा के क्षेत्र तक सभी निर्धारित सुविधाएँ अपने लिए ही सीमित करने में सफलता हासिल की है। नतीजा है कि जो जातियाँ लाभ से वंचित रह गई हैं उनके बीच वर्त्तमान व्यवस्था के चलते असमानता बढ़ती गई है। इसे देखते हुए यह आवश्यक है कि आरक्षण का लाभ प्राप्त कराने के लिए पिछड़ों को राष्ट्रीय स्तर पर दो मुख्य वर्गों में अलग–अलग विभाजित किया जाए और उनका स्वरूप इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि लगभग समान स्तर का लाभ उस प्रकार के संबंधित वर्ग की सभी जातियों को समान रूप से प्राप्त हो सके और संबंधित वर्गों की प्रभावशाली जातियों से इन जातियों के लोग प्रतिस्पर्धा से बच सकें और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त करना संभव हो। उच्चतम न्यायालय ने अपने मण्डल आयोग की अनुशंसा के कार्यान्वयन के संबंध में 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में कहा है कि आरक्षण सामाजिक न्याय का उपकरण है। निश्चित रूप से समाज के वंचित और शोषित समूह को न्याय मिलना चाहिये। आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलना चाहिए जो उसके हकदार हैं, न कि उन्हें जो उसका लाभ उठाकर सम्पन्नता के दायरे में आ चुके हैं। उच्चतम न्यायालय ने अपने 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय में कहा था कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की सीमा से 'क्रीमीलेयर' को अलग किया जाए। दूसरा यह कि पिछड़ी जातियों को दो भागों में बांटा जाये– पिछड़ा वर्ग और अपेक्षाकृत अति पिछड़ा वर्ग साथ ही इस 27 प्रतिशत का वितरण उनकी आबादी के अनुपात में किया जाए। यह विस्मयकारी है कि भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को अभीतक स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने (डा॰ मिश्र ने) उच्चतम न्यायालय के 16 नवम्बर, 1992 के निर्णय के आलोक में, 17 अगस्त, 1994 एवं 20 मार्च, 2000 को राज्य सभा में केन्द्र सरकार से कहा था कि 16 नवम्बर, 1992 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में पिछड़े वर्गों का वर्गीकरण नहीं किया जाना उच्चतम न्यायालय के निदेश का अपमानना है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 29 जनवरी, 2012

आज यहाँ इन्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, पटना के सभागार में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम **"महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना"** विषय पर आयोजित सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि आज के आर्थिक युग में महिलाएं अधिक स्वावलंबी हुई हैं। उनमें आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ा है। वे अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है। बदलाव की ये बयार केवल शहरी महिलाओं तक सीमित है, ऐसा नहीं हैं। ग्रामीण महिलाओं की स्थिति भी पहले की अपेक्षा काफी सुधरी है। वे पढ़–लिख रही हैं, वे रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ने को आतुर हैं और संगठित होकर आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। जागरूकता बढ़ने से वे गाँवों के विकास में भी अपना योगदान कर रही हैं। परंतु अधिसंख्य महिलाएं आज भी शोषित और पीड़ित हैं तथा बिना मानव अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रताओं के अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। महिलाओं को आगे लाना ज्यादा जरूरी है संविधान में भले ही महिलाओं को बराबरी का हक दिया गया हो लेकिन कड़वा सच यह है कि संसाधनों में हक पाने की बारी आने पर महिलाओं को निराशा ही हाथ लगी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि ऊपरी स्तर पर महिलाओं की राजनैतिक भर्ती को रोका गया तो सार्वजनिक जीवन एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की सहभागिता के पूरे लाभ प्राप्त नहीं होंगे तथा महिला सशक्तिकरण को सार्थक करने में बहुत समय लगेगा। इस संबंध में एक पक्ष यह भी है कि राजनैतिक सहभागिता और भर्ती के कारण महिलाओं की परंपरागत भूमिका में जटिलता और व्यापकता आई है, जिससे महिलाओं के सम्मुख चुनौती भी प्रस्तुत हुई है। अभीतक राजनैतिक समाजीकरण के अभिकरणों तक महिलाओं की पहुँच कम थी तथा दूसरी ओर व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक कारकों ने उनकी राजनैतिक सहभागिता में अवरोधकों का कार्य किया है। अब यह महिलाओं पर भी निर्भर है कि वे सक्रिय सहभागिता के उपलब्ध साधनों का गंभीरता से प्रयोग करें और महिला सशक्तिकरण को सार्थक बनाएं। अपनी कार्यक्षमता और कुशलता के संबंध में उठे प्रश्नों को शांत करें। नई चुनौती पूर्ण भूमिका को स्वीकार कर अपने, समाज और राष्ट्र के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करें।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भूमि अधिग्रहण सम्बन्धित अर्चनों को खत्म कर किसानों को विश्वास में लेते हुए नवीनगर बिजली घर का शिलान्यास कराने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बधाई दी।

पटना, 30 जनवरी, 2012

बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने नवीनगर बिजली घर की सभी अर्चनों को खत्म कर कल 3,300 मेगावाट की क्षमतावाली नवीनगर बिजली संयंत्र का शिलान्यास कर उसका शुभारंभ सुनिश्चित कर राजकीय ढांचे के निर्माण, सुदृढ़ीकरण की संभावना सुनिश्चित कर राज्य के निवेशकों को आकर्षित करने की संभावना बढ़ा दी है। इस बिजली घर के लिए 2000 एकड़ जमीन बंदोवस्त सुनिश्चित कर प्रथम चरण में 1980 मेगावाट तथा दूसरे चरण में 1320 मेगावाट क्षमता के बिजली घर का निर्माण 13,000 करोड़ रूपये की लागत से होना सुनिश्चित हो गया है। नार्थ कर्णपुरा खान से कोयला की आपूर्ति भी सुनिश्चित हो गया है। झारखण्ड के अलग होने के बाद कुल बिजली उत्पादन का 63 प्रतिशत झारखण्ड चला गया इसलिए बिहार के विकास के लिए अतिरिक्त क्षमता का सृजन करना आवश्यक रहा है। नवीनगर सुपर थर्मल पावर बनाने की घोषणा तत्कालिन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 1989 में की थी परंतु संयुक्त क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में अथवा राजकीय क्षेत्र में इस थर्मल पावर के निर्माण के लिए व्यवहारिक रूप देने में श्री नीतीश कुमार की सरकार से पहले की सरकार लगातार विफल होती रही। श्री नीतीश कुमार की सरकार ने हीं बिहार सरकार और एन॰टी॰पी॰सी॰ की संयुक्त तत्वावधान में एक कम्पनी का गठन कर इस बिजली घर का शुभारंभ कराने में सफल रहे हैं। उन्होंने किसानों की सभी मांगों को स्वीकार करते हुए गतिरोध को समाप्त कर किसानों को विश्वास में लेकर कल वसंत पंचमी के दिन इस बिजली घर के निर्माण कार्य का शुभारंभ करा दिया। उन्होंने प्रति एकड़ 21 लाख मुआवजा तथा संयंत्र पर लक्ष्य भुगतान करने की नीति भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों से यह स्थापित हो गया है कि पिछले छः वर्षों के दौरान उनके प्रयासों से बिहार एक असफल राज्य से क्रियाशील (Functional-State) राज्य के रूप में बदल गया है। इस बिजली उत्पादन केन्द्र के शिलान्यास से यह स्पष्ट हो गया है कि श्री नीतीश कुमार की सरकार जल प्रबंधन तथा बिजली जैसे आधारभूत संरचना पर पूरा बल दे रही है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुजफ्फरपुर, 01 फरवरी, 2012

प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के कल्याण के उपाय सुझाने के लिए गठित डॉ॰ अर्जुन सेन गुप्त की अध्यक्षतावाली कमिटी ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि देश की 77 प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक विकास के लाभों से वंचित है। आयोग ने कहा कि विकास का फायदा 25 प्रतिशत धनी और मध्यवर्गीय लोगों तक सीमित है। देश की 77 प्रतिशत आबादी अत्यंत गरीब का जीवन बसर कर रही है। इन लोगों की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है। इस समिति ने यह स्वीकार किया है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ केवल 23 करोड़ लोग ही उठा रहे हैं। जिनके पास बचत और निवेश करने की क्षमता है। उनमें 4 करोड़ लोग हीं हैं जो अपने उपभोग के स्तर में अमीर देशों का मुकाबला कर पा रह रहे हैं। रिपोर्ट में यह विस्मयकारी तथ्य उजागर हुआ है कि 83.8 करोड़ आबादी दैनिक 20 रूपये से कम आय पर जीवित है। उनके पास बचत और निवेश के लिए कुछ नहीं बचता है। हमारा जीडीपी 9.6 प्रतिशत या 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। पर यह देश की पूरी आबादी के जीवन स्तर को प्रतिबिम्बित नहीं करता। आर्थिक विकास दर का ऊँचा होना यह नहीं बतलाता कि आम लोगों के रहन–सहन में सुधार हो रहा है। आर्थिक विकास के वास्तविक स्वरूप में तो यह दिखता है कि विकास कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हिस्से में और मंहगाई आम जनता के हिस्से में। यह निर्विवाद है कि सरकार उच्च विकास दर के लाभ को आम लोगों तक पहुँचाने में विफल रही है। कृषि क्षेत्र में स्थिति संतोषप्रद नहीं है जबकि हमारे यहाँ की आबादी कृषि पर आधारित है। किसान संकटग्रस्त हैं। किसानों में आत्महत्या की बढ़ती संख्या उनकी विवशता का परिणाम है। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। खेती के लिए आवश्यक खाद, बीज, सिंचाई एवं बिजली के संकट ने कृषि को जर्जर बना दिया है। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने एवं कृषि आय के समर्थन के लिए प्रभावी उपाय नहीं किये जाने के कारण सकल घरेलू आय में कृषि की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। इस समय देश में रोजगारविहीन विकास सबसे बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। वर्तमान अर्थनीति ने सीधे–सीधे दो हिन्दुस्तान बना दिए हैं– एक चमकता–दमकता वह इंडिया जहां मर्सिडीज और फरारी जैसी गाड़ियों के शो रूम खुल रहे हैं और दूसरा वह गरीब पस्तहाल हिन्दुस्तान, जो अब अंधेरे में डूबा हुआ है। इंडिया अंग्रेजी बोलता है, बाकी सारा हिन्दुस्तान इंडिया जैसा होने के लिए अंग्रेजी बोलना चाहता है। इस कोशिश में वह बेखबर अपनी सामाजिक सांस्कृतिक ताकत भी खोता चलता है।

आर्थिक उदारीकरण के नाम पर यदि राज्य नीति को बढ़ावा देता अर्थात् अर्थसत्ता के कुछ हाथों में केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहित करता तथा बाजार की स्वतंत्रता के नाम पर आय, वेतन या काम की सुविधाओं में असमानता को स्वीकार करता है– जैसा कि पिछले दो दशकों से वह स्पष्टतया करने लगी है– तो इसे भी सरकार द्वारा संविधान का मखौल बनाना ही समझा जाना चाहिए। आज तक किसी भी सरकार ने आय की असमानता को दूर करने का कोई वास्तविक प्रयास नहीं किया है और न इसके लिए कोई कार्यक्रम या कानून बनाया है।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

कोशी हाई डैम परियोजना पर नेपाल की सहमति के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री– श्री बाबू राम भट्टाराई एवं बिहार के मुख्यमंत्री– श्री नीतीश कुमार को डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा बधाई एवं आभार।

पटना, 17 फरवरी, 2012

भारत–नेपाल जल संसाधन मंत्री स्तरीय संयुक्त जल संसाधन आयोग की पहली बैठक में सप्त कोशी हाई डैम बहुद्देशीय परियोजना और सन कोशी स्टोरेज कम डायभर्सन स्कीम समेत बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत सभी पांच मसलों पर नेपाल सरकार से सहमति बन जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने नेपाल के प्रधानमंत्री, श्री बाबू राम भट्टाराई एवं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बधाई देते हुए कहा है कि उत्तर बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए नेपाल में सप्त कोशी हाई डैम बनाने की संभावना सुनिश्चित हो गई है। इसके लिए समयबद्ध कार्यक्रम भी निर्धारित हो गया है। 2008 की कोशी त्रासदी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कोशी आपदा प्रभावित लोगों को वचन दिया था कि पुनः ऐसी त्रासदी नहीं होने देंगे। उसी क्रम में मुख्यमंत्री ने नेपाल में निर्मित 15 कि॰मी॰ बांध के रख–रखाव की जिम्मेवारी अब बिहार सरकार को देने पर नेपाल की सहमति प्राप्त कर ली है। इस बात पर सहमति हुई है कि सप्त कोशी हाई डैम बहुद्देशीय परियोजना और सन कोशी स्टोरेज कम डायवर्सन स्कीम को फरवरी, 2013 तक पूरा किया जायेगा। बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के जल संसाधन मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी ने प्रभावकारी ढंग से कहा कि सप्त कोशी हाई डैम बहुद्देशीय योजना तथा सन कोशी स्टोरेज सह डायवर्सन योजना को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना बाढ़ नियंत्रण के लिए जरूरी है।

कोशी नदी से उत्तर बिहार के बहुत बड़े क्षेत्र में बाढ़ पीड़ित होने की समस्या सर्वविदित है। यद्यपि पूर्व में भीम नगर बराज, वीरपुर और बहुत बड़े पैमाने पर नदियों पर तटबंधों के निर्माण से नदी की धार के पश्चिम की ओर के झुकाव पर नियंत्रण पाया जा सका है, किन्तु नदी के धार के साथ, बहुत बड़ी मात्रा में आने वाले सिल्ट के कारण, तटबंधों पर प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा दबाव, उनके उच्चीकरण की आवश्यकता तथा नहर प्रणाली की घटती क्षमता, राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय रही है। इस समस्या के निदान हेतु नेपाल क्षेत्र में जलाशयों का निर्माण ही समस्या का स्थायी निदान है। वर्ष 1950 में सी॰डब्लू॰आई॰एन॰सी॰ द्वारा तैयार किये गये कोशी हाई डैम परियोजना को वर्ष 1980 के दशक में अद्यतन कर पुनः एक प्री फिजीविलिटी रिपोर्ट तैयार किया गया था, जिसके अनुसार बराह क्षेत्र (नेपाल) में, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के लाभ के साथ बहुत बड़ी मात्रा में पन–बिजली उत्पादन हेतु एक हाई डैम का निर्माण प्रस्तावित था।

पिछले 80 के दशक में हुई विभिन्न भारत–नेपाल बैठकों में यह विषय चर्चा का मुख्य बिन्दु रहा है। इस विषय पर सहमति की दिशा में कुछ ठोस प्रगति हुई थी और सप्त कोशी हाई बहुद्देशीय परियोजना हेतु भारत–नेपाल संयुक्त विशेषज्ञ दल के नाम से एक समिति गठित भी हुई थी, परंतु नेपाल और बिहार सरकार के बीच संपर्क जारी नहीं रखा जा सका जिस कारण इस संबंध में कार्रवाई नहीं हो पाया। अब श्री नीतीश कुमार ने सक्रियता दिखाकर भारत एवं नेपाल सरकार को प्रभावित कर आवश्यक निर्णय कराया है। कमला एवं बागमति नदियों पर, नेपाल क्षेत्र में जलाशय निर्माण के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा कमला बहुद्देशीय योजना, जो तेतरिया नेपाल में अवस्थित है तथा बागमति बहुद्देशीय योजना, जो नूनथोर के पास अवस्थित है, का संभावना प्रतिवेदन 1983 में ही भारत सरकार को भेजा गया था, जिसपर नेपाल सरकार की स्वीकृति अपेक्षित रही। 32 कि॰मी॰ लम्बे एफलक्स बांध के 29वें कि॰मी॰ से बने नेपाल तटबंध का रख–रखाव अबतक नेपाल करता रहा है। इस तटबंध के टूटने से बिहार में वैसी ही स्थिति बनने का खतरा है, जैसी 2008 में कोशी त्रासदी में हुई थी। अब मेंटनेंस की जिम्मेदारी बिहार सरकार को देने पर नेपाल सहमत हो गया है। अब इसे नेपाल का यह भाग भी कोशी परियोजना का अंग माना जायेगा। अब इस फैसले से राज्य की पुरानी मांग मान ली गई है। कोशी की तरह गंडक प्रोजेक्ट की सामग्री को भी डयूटी फ्री और मल्टी प्वाइंट लेवी से मुक्त करने का आश्वासन नेपाल ने दिया है। कोशी और गंडक परियोजनाओं की जमीन पर अतिक्रमण रोकने की सहमति हुई है। अब ललबकेया, बागमती और कमला नदियों पर भारत और नेपाल क्षेत्र में बने तटबंधों के बीच गैप भरने की बात भी मान ली गई है। तटबंधों के भारतीय भाग को और मजबूत करने का निर्णय लिया गया है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार विधान सभा में आज राजग सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा उपस्थापित आठवां बजट (2012–13) पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र की प्रतिक्रिया।

पटना, 24 फरवरी, 2012

उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा 78,686 करोड़ के आठवां बजट से स्पष्ट हो जाता है कि गत 6 वर्षो के दौरान बिहार के विकास में गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। बिहार अपने निवेश राडर पर प्राथमिक स्थान दे रखा है। बिहार बलाव की नई लहर पर खड़ा है। बिहार में व्यय की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इस वैश्विक और केन्द्र सरकार के आर्थिक संकट के बावजूद बिहार ने विकास दर को बनाए रखा है। बिहार ने अपनी नई औद्योगिक नीति में 11 प्राथमिकता निर्धारित की है। गत छः वर्षो के दौरान राजस्व लेखे में लगातार प्रचुर अधिशेष कायम रख पाने के कारण राज्य सरकार अब अपनी ऋण समस्या का अच्छी तरह प्रबंधन करने में सक्षम हो गई है। अपने वित्तीय प्रशासन में काफी अनुशासन लाते हुए यह केन्द्र सरकार से अच्छा–खासा ऋण राहत पाने में सफल हो गई है। पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के 10वें हिस्से से भी कम से लगभग 5वें हिस्से तक पहुँच गया है, वहीं राजस्व व्यय का हिस्सा कुल व्यय के 76 प्रतिशत आसपास ही स्थिर रहा है; शेष हिस्सा लोक ऋण की अदायगी तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का रहा है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, आवास, सिंचाई, सड़क आदि की बेहतर उपलब्धता आज आर्थिक विकास और मानव कल्याण के बीच संपर्क स्थापित करने के लिहाज से अधिक महत्वपूर्ण है। बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी बेहद और लगातार बनी हुई रही है। इस बजट की रणनीति के अंतर्गत भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाकर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा कमजोर तबके विशेषकर अल्पसंख्यक, दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति एवं महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हुआ है। बजट में योजना आयोग द्वारा वर्ष 2012–2013 के लिए 28,000 करोड़ की वार्षिक योजना की मंजूरी दी है। योजना आयोग ने बिहार की 2011–2012 की तुलना में 4 हजार करोड़ की वृद्धि की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने योजना आयोग को संतुष्ट किया है कि उनकी सरकार का मुख्य केन्द्र गरीबी निवारण और मानवीय विकास है। इसलिए उन्होंने संरचना के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता बतायी है। योजना आयोग इस बात से संतुष्ट दिखाई दी है कि बिहार में बदलाव आने से बड़े पैमाने पर निजी पूंजी निवेश की संभावना बढ़ रही है। बिहार की विकास योजनाओं के जिस खाके को योजना आयोग ने मंजूरी दी है उसका सार यह है कि राज्य में फिलहाल उपलब्ध सभी आर्थिक संसाधनों का पूरी ईमानदारी के साथ इस्तेमाल हो रहा है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, चीनी पैकेज करों का सरलीकरण एवं अन्य कर सुधार के कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हो रहा है। पूंजीगत व्यय को उपयोगी बनाया जा रहा है जिससे कि आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने और गरीबी की संख्या घटाने में सफलता मिल सके। उद्यमियों को बढ़ावा मिल रहा है। सभी नीतियों के दूरगामी दृष्टिकोण से प्रभावकारी परिणाम हो रहे हैं। बिहार में सार्वजनिक वित्त व्यवस्था सही दिशा में जा रही है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की उच्च वृद्धि दर के रूप में इसके परिणाम भी निस्संदेह दिखने लगे हैं। सामाजिक क्षेत्र के विकास की राज्य सरकार की चिंता इस क्षेत्र हेतु बढ़े आवंटन से काफी हद तक अभिव्यक्त होती है।

बजट में कृषि में 12000 करोड़ का प्रावधान कर 25 प्रतिशत वृद्धि की गई है। कृषि रोड मैप के लिए 9508 करोड़ की उद्व्यय निर्धारित हुआ है। साथ हीं सिंचाई, बाढ़–नियंत्रण, शिक्षा के लिए 15000 करोड़ का उद्व्यय के साथ–साथ पथ एवं विद्युतीकरण पर ध्यान विशेष दिया गया है। इस बजट की रणनीति के अंतर्गत भूख, कुपोषण, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हुआ है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

कृषि विभाग –	2005–06 में कृषि विभाग की योजना व्यय 20.43 करोड़ था जो 2011–12 में बढ़कर 863.86 करोड़ उद्व्यय निर्धारित है। वर्ष 2012–13 में इसे लगभग 25 प्रतिशत बढ़ाकर 1200 करोड़ निर्धारित किया गया। 2012–13 में 9508 करोड़ रूपये का योजना उद्व्यय निर्धारित किया है जो कुल योजना उद्व्यय का 34 प्रतिशत है।
पथ निर्माण विभाग –	वर्ष 2011–12 में पथ निर्माण विभाग का योजना उद्व्यय 3513.76 करोड़ था जिसे वर्ष 2012–13 में बढ़ाकर 3613.63 करोड़ किया गया है।
ग्रामीण कार्य विभाग–	वर्ष 2011–12 में ग्रामीण कार्य विभाग जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण, अनुरक्षण करता है का योजना उद्व्यय 1200.40 करोड़ था जिसमें 25 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि कर वर्ष 2012–13 में 1661.78 करोड़ उद्व्यय निर्धारित किया गया है।
जल संसाधन विभाग–	जल संसाधन विभाग का योजना उद्व्यय वर्ष 2011–12 में 2616.37 करोड़ निर्धारित था जिसे वर्ष 2012–13 में 2192.46 करोड़ निर्धारित किया गया है।
लघु जल संसाधन विभाग–	लघु जल संसाधन विभाग हेतु वर्ष 2011–12 में 255.46 करोड़ का योजना उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 311.08 करोड़ का उद्व्यय किया गया है।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग–	वर्ष 2011–12 में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का योजना उद्व्यय 199.65 करोड़ था। वर्ष 2012–13 में 246.77 करोड़ का उद्व्यय किया गया है।
सहकारिता विभाग –	वर्ष 2011–12 में 292.53 करोड़ योजना उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 356.23 करोड़ किया गया है।
पर्यावरण एवं वन विभाग –	वर्ष 2011–12 में 44.62 करोड़ था। वर्ष 2012–13 में 100 करोड़ किया गया है।
शिक्षा विभाग –	वर्ष 2011–12 में 3014.00 करोड़ था। वर्ष 2012–13 में 3670.26 करोड़ किया गया है।
विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग –	वर्ष 2011–12 में 120.51 करोड़ था। वर्ष 2012–13 में 146.76 करोड़ किया गया है।
स्वास्थ्य विभाग –	वर्ष 2012–13 में 3057.97 करोड़ व्यय होंगे जिसमें राज्य योजना पर 627.06 करोड़, गैर योजना में 2058.77 करोड़ तथा केन्द्र प्रायोजित योजना 372.14 करोड़ शामिल है।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग–	वर्ष 2011–12 में 277.85 करोड़ उद्व्यय था वर्ष 2012–13 में बढ़ाकर 354.10 करोड़, किया गया है।
उर्जा विभाग –	वर्ष 2011–12 में 1682.23 करोड़ उद्व्यय था वर्ष 2012–13 में बढ़ाकर 2001.74 करोड़, किया गया है।
ग्रामीण विकास विभाग –	वर्ष 2011–12 में 1293.25 करोड़ उद्व्यय था वर्ष 2012–13 में बढ़ाकर 1574.83 करोड़, किया गया है।
पंचायती राज विभाग –	वर्ष 2011–12 में 1356.89 करोड़ व्यय का उपबंध था वर्ष 2012–13 में 1186 करोड़, का योजना उद्व्यय दिया गया है।
योजना एवं विकास विभाग –	वर्ष 2011–12 में 325 करोड़ उद्व्यय था वर्ष 2012–13 में भी 325 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
कोशी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण योजना –	वर्ष 2011–12 में 377.82 करोड़ आवंटित किया गया है। वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक के अवधि के लिए भारत सरकार से 92.30 करोड़, राशि की स्वीकृति मिली है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग –	वर्ष 2011–12 में 112.01 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 136.40 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
नगर विकास एवं आवास विभाग –	वर्ष 2011–12 में 919.50 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 1084.23 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
समाज कल्याण विभाग –	वर्ष 2011–12 में 1739.62 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 2118.40 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
अनु॰ जाति एवं अनु॰ जनजाति कल्याण –	वर्ष 2011–12 में 361.28 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 839.94 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग –	वर्ष 2012–13 में 83.19 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग –	वर्ष 2011–12 में 90 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 125 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
उद्योग विभाग –	वर्ष 2012–13 में 472.44 करोड़, का निर्धारित किया गया है।
सूचना प्रावैधिक विभाग –	वर्ष 2011–12 में 185.74 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 226.18 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
श्रम संसाधन विभाग –	वर्ष 2011–12 में 103.66 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 126.23 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
गृह विभाग –	वर्ष 2011–12 में 400 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 487.09 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग –	वर्ष 2011–12 में 319.83 करोड़ का उद्व्यय था। वर्ष 2012–13 में 389.48 करोड़, का प्रावधान किया गया है।
वित्त वाणिज्यकर विभाग –	वर्ष 2011–12 का लक्ष्य 8530 करोड़ का निर्धारित है। वर्ष 2012–13 का लक्ष्य 10271.00 करोड़ निर्धारित किया गया है।

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

श्री अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगी श्री अरविन्द केजरीवाल का संसद एवं सांसदों के विरूद्ध दिया गया बयान लोकतंत्र के लिए घातक – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 27 फरवरी, 2012

श्री अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगी श्री अरविन्द केजरीवाल के बयान से यह संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। दरअसल में सिविल सोसायटी का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य है राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना। सिविल सोसायटी संकीर्णतावादी विचारों को हवा दे रही है। सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है। भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। यह सोचना गलत है कि राजनैतिक लोगों को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना है, वह राजनैतिक पार्टियों द्वारा पैदा किये गये दबाव की भी देन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। संसदीय और लोकतांत्रिक दबाव सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिये बाध्य कर देंगे, हमें संसद पर भरोसा करना चाहिये। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका हल अंततः संसद से ही निकलना है। भ्रष्टाचार, काले धन और विदेशी बैंकों में काले धन को जमा करने संबंधी गंभीर मुद्दे आखिर कैसे उत्पन्न हुई? उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। व्यापारी, उद्योगपति घराने केवल पैसा कमाने के लिए लगे हुए हैं। वह राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व भूल चूके हैं और सामाजिक सरोकारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा। उदारवादी नीतियों के चलते पूरा देश एक बाजार बन चुका है। फायदा–कारपोरेट जगत, निजी व्यापारी, उद्योगपति, बिल्डर उठा रहे हैं। यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वर्तमान आन्दोलन में उपस्थित लोग उन्हीं समूह के हैं जो पिछले 20 वर्षों से इन नीतियों से अधिकतम लाभान्वित हुए हैं। यह भी विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि देश के 80 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो 20 रूपये प्रतिदिन पर जीवन–बसर करते हैं। उनकी भागीदारी इन आंदोलनों में सांकेतिक रूप से भी नहीं देखी जा रही है। यह समझना चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन केवल आंदोलन से नहीं हो सकता। श्री जयप्रकाश नारायणजी का सम्पूर्ण क्रान्ति का आधार भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन था, परंतु व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। व्यवस्था परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लम्बा रास्ता तय करना होगा। सरकार को सिविल सोसायटी को महत्व नहीं देना चाहिये और भ्रष्टाचार के विरूद्ध जंग को अधिक धारदार करना चाहिये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जन्म–दिन के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र का शुभकामना संदेश।

पटना, 1 मार्च, 2012

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जन्म–दिन के अवसर पर आज भेजे गये शुभकामना संदेश में डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि छः वर्षो की अवधि पूर्ण करने के उपरांत उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास न्याय एवं सुरक्षा चाहते हैं न कि साम्प्रदायवादी या जातीवादी नारे। उनकी सरकार में राज्य में आर्थिक नवजागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी वे प्रयास कर रहे हैं। गत छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल रहा है। इस समय बिहार ऐसा राज्य बन गया है जो भारतीय राजनीति पर अधिकतम प्रभाव डालता है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के अनुसार बिहार राज्य में न्याय के साथ विकास चल रहा है। उनकी सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार मिटाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। चिन्तन और क्रियाशीलता दोनों ही दृष्टिकोणों से वे संकीर्ण जातिवादी, संप्रदायवादी और वर्गवादी विचारों के ऊपर के नेता के रूप में उभरे हैं। विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। मुख्यमंत्री ने बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने की घोषणा अत्यंत ही सराहनीय है। उनकी यह घोषणा बड़ी एवं चुनौतियों से भरी है। परन्तु इससे ऐसी आशा बनती है कि मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश द्वारा भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने में सरकार सफल हो सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने छः वर्ष के कार्यकाल में यह अवधारणा बनायी है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सबसे जरूरी है कार्यालयों की कार्य संस्कृति में बदलाव तथा विकास की परिकल्पनाओं को आकार देने की चेष्टा के साथ व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। ऐसा होने से ही बिहार में विकास की गति तेज होगी।

डा॰ मिश्र ने श्री नीतीश कुमार की दीर्घ जीवन की कामना करते हुए उनके सफल नेतृत्व में बिहार की सभी विकास संबंधी योजना सरजमीन पर उतरने की आशा व्यक्त की है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

रेल बजट पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र की प्रतिक्रिया – बजट आधुनिकीकरण संरक्षा एवं सुरक्षा के साथ–साथ रेल विकास के ठोस प्रावधानों की दृष्टि से काफी कमजोर।

पटना, 14 मार्च, 2012

आज रेल बजट 2012–13 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि दो दशक तक रेल मंत्रालय पर बिहार का कब्जा रहा। इस दौरान सूबे से तीन–तीन केन्द्रीय रेल मंत्री व एक रेल राज्य मंत्री बने। अपने–अपने कार्यकाल में सभी ने बिहार को कुछ अधिक देने की कोशिश की। घोषणाएं की, फंड भी आवंटित किए, लेकिन दलगत राजनीति का लाल सिगनल रूकावट बन गया। सूबे में रेलवे की अधूरी परियोजनाएं– वैगन रिपेयर व डेमू मेंटिनेंस वर्कशाप (सोनपुर में 92 करोड़ की लागत से मालगाड़ी वैगन रिपेयर वर्कशाप एवं 15 करोड़ की लागत से डेमू मेंटिनेंस वर्कशाप समस्तीपुर), रेल लाइन की सर्वे रिपोर्ट पांच साल बाद भी नहीं (नेवड़ा–शेखपुरा–धनियावन–बिहारशरीफ रेलवे लाइन परियोजना एवं नवादा–गिरिडीह परियोजना का सर्वे भी शुरू नहीं हो सका) तथा हरनौत कोच रिपेयरिंग फैक्ट्री का भी निर्माण अधर में लटका हुआ है जो अत्यंत ही विस्मयकारी एवं निराशाजनक है।

रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2012–13 के रेल बजट में लोकलुभावन घोषणाएँ तो है लेकिन रेल विकास के ठोस प्रावधान नहीं है। राजनीतिक प्राथमिकताएं ही ज्यादा झलकती हैं। हालांकि इसमें यह नहीं प्रदर्शित किया गया है कि आखिर भारतीय रेलवे आगे कैसा रेलवे बनना चाहता है। उसे एक दिशा तय करनी चाहिए कि कैसे वह फ्रांस या फिर जापान की रेलवे के समझ खड़ा होगा। संरक्षा, सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर रेल मंत्री को ज्यादा बात करनी चाहिए थी क्योंकि रेल संरक्षा आयोग ने रेल मंत्रालय को सतर्क किया है कि रेल की सुरक्षा एवं संरक्षा खतरे में है। वर्तमान रेल मंत्री जल्द से जल्द रेलवे को दुरूस्त करना चाहते हैं जिसे लिए रेलवे को ट्रैक से लेकर रोलिंग स्टॉक, सिगनल प्रणाली से लेकर आरडीएसओ तक नई तकनीकों, उपकरणों और सामग्रियों की जरूरत है। इसके अलावा अनुसंधान ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन कर इसे विश्वस्तरीय बनाना होगा। इस लिहाज से आरडीएसओ काफी नहीं है। रेलवे का मौजूदा ट्रैक तेज रफ्तार यात्री ट्रेनों और ज्यादा वजन ढोने वाली मालगाड़ियों के लिहाज से अनुपयुक्त है। इसका नवीनीकरण होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मजबूत पटरियाँ बिछाई जानी चाहिए। रेलवे में कलपुर्जो की खरीद और गुणवत्ता जाँचने के तरीके भी ठीक नहीं हैं। इससे घटिया पुर्जों की खरीद हो रही है। इसे ठीक करने की जरूरत है। सैकड़ों साल पुराने पुल खतरनाक हो चुके हैं। इनका पुनर्निर्माण पांच साल में होना चाहिए। रेलवे क्रासिंगों पर होने वाली दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। लिहाजा 14 हजार रेलवे क्रासिंगों पर या तो चौकीदार तैनात किए जाएं या ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाकर इन्हें खत्म किया जाए। आधुनिक बनाने के लिए रेलवे को अगले पांच साल में ढाई लाख करोड़ रूपये चाहिए। यह बजट आधुनिकीकरण की दृष्टि से भी काफी कमजोर है। संरक्षा श्रेणी के 1.26 लाख खाली पदों को तुरंत भरने की जरूरत है। संचालन से जुड़े अफसरों व कर्मचारियों को निर्णय लेने के और अधिकार मिलने चाहिए। लंबित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष कंपनी बने और कुछ समय के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा पर अंकुश लगाया जाए। इसी तरह जबतक लाइनों की क्षमता न बढ़ जाए, नई ट्रेनों की घोषणा भी बंद होनी चाहिए। रेल परियोजना का सही मूल्यांकन नहीं किये जाने के कारण रेल प्रतिष्ठान में लोगों का विश्वास कमजोर पड़ता जा रहा है। परंतु विकास और औद्योगीकरण की दृष्टि से रेल की प्रमुख भूमिका की अनदेखी नहीं की जा सकती।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस – विज्ञप्ति

संसद में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2012–13 पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र की प्रतिक्रिया

पटना 16 मार्च, 2012

आज लोक सभा में केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री प्रणव मुखर्जी ने 2012–13 का केन्द्रीय बजट जो राष्ट्रीय बजट की 81वीं और उनका सातवाँ बजट है जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से आर्थिक सुधारों की गति को तेज करने के लिए सामाजिक सेवाओं के खर्चों में बढ़ोतरी कर समाज कल्याण संबंधी योजनाओं के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा व्यय करने का प्रावधान किया है। बजट प्रस्तावों से ऐसा आभास मिलता है कि पिछले वर्ष विकास में आई गिरावट को थामते हुए विकास के गति को तेज की जा सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में महंगाई और महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए आर्थिक सुधारों में तेजी लाने की बात कही थी और उसने बजट में ज्यादे विकास ज्यादे निवेश तथा ज्यादे रोजगार की अनुशंसा की थी। परंतु बजट प्रस्तावों से इस संबंध में निराशा ही झलकती है। बिहार के लिए यह विस्मयकारी है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार की लगातार हो रही उपेक्षा और बिहार में निम्नतम प्रति व्यक्ति योजना व्यय तथा योजना सहायता के बावजूद भी बिहार को राष्ट्रीय औसत पर लाने के लिए न तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और न विशेष पैकेज की घोषणा बजट में की गई है। कोशी पुनर्वास के लिए 14,500 करोड़ की सहायता के संबंध में भी बजट में उल्लेख नहीं है।

बजट प्रस्तावों में आयकर छूट का प्रावधान अवश्य किया गया है परंतु उत्पाद कर, सेवा कर में बढ़ोतरी और कस्टम टैक्स को युक्ति संगत बनाया गया है। संभवतः उत्पाद कर और सेवा कर में वृद्धि होने से महंगाई बढ़ेगी और आम लोगों की कठिनाईयाँ बढ़ सकती है। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति के भाषण में आर्थिक विषमता कम करने की घोषणा की गई थी। परंतु न पिछले वर्ष और न हीं इस वर्ष आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी को कम करने के लिए कोई भरोसे मंद फार्मूला सुलझाया गया है। पिछले वर्ष वित्तीय संतुलन बिगड़ा हुआ रहा है और महंगाई लगातार तेज होती गई है। फलतः निर्धारित विकास का दर हासिल करने में सरकार विफल रही है। उस संबंध में यह स्पष्ट है कि वित्तीय संतुलन बनाने के जो उपाय होने चाहिए वह इस बजट में परिलक्षित नहीं हो रहा है। खर्च में गुणवत्ता जो उपभोग वाले खर्चों में परिलक्षित नहीं हो रहा है। बजट आर्थिक सुधार करने का एक प्रमुख माध्यम है परंतु राजनीतिक कमजोरियों के कारण आर्थिक सुधार में केन्द्रीय सरकार अपनी दृढ़ता प्रदर्शित नहीं कर पा रही है जो आने वाले वर्षों के लिए कठिनाईयाँ उत्पन्न कर सकती है। यह सही है कि सरकार पिछले वित्तीय वर्ष से वित्तीय संतुलन करने की कोशिश कर रही है परंतु मंदी के कारण लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही हैं। आवश्यक है कि राजस्व बढ़ाया जाए और खर्च घटाया जाए। इसके लिए आर्थिक सुधार आवश्यक है। बजट प्रस्तावों से ऐसा लगता है कि विदेशी बैंकों में अवैध धन के विरूद्ध जो राष्ट्रीय भावना बन गई है उसके संबंध में इस बजट में कोई प्रशासनिक कदम उठते नहीं दीख रहा है। बजट प्रस्तावों से यह अवश्य परिलक्षित हो रहा है कि बजट का मुख्य लक्ष्य कर प्राप्ति को सुचारू करना है और अगले वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का 7 से 8 प्रतिशत सेवा क्षेत्र प्राप्त करना है इसी संदर्भ में वित्त मंत्री 20 से 25 प्रतिशत समग्र कर संकलन का लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। परोक्ष करों में सुधार और सेवा कर में विस्तार, टैक्स के सरलीकरण और युक्ति संगत किये जाने के प्रयास से समग्र लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। सेवा कर में 2 प्रतिशत की वृद्धि और अप्रत्यक्ष करों के दरों में वृद्धि से लगभग 45 हजार करोड़ की अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है। वहीं टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाने से 45 सौ करोड़ की हानी भी हो सकती है। इस समय मौजूदा सेवा कर का संकलन जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत से कम है और सेवा क्षेत्र जी.डी.पी. का 60 प्रतिशत है। कर प्रणाली का सरलीकरण, उदारीकरण एवं छूट की सीमा बढ़ाना सराहनीय निर्णय है। कर वसूली में वृद्धि और कर प्रणाली में सुधार महत्वपूर्ण प्रशासनीक उपलब्धि है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई.ए.एस. किदबईपुरी,, पटना–1

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में "केन्द्रीय बजट 2012–13" पर आयोजित परिचर्चा :

पटना, 25 मार्च, 2012

आज बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्वावधान में **"केन्द्रीय बजट 2012–13"** पर आयोजित परिचर्चा को सम्बोधित करते हुए संस्थान के अध्यक्ष, डा. जगन्नाथ मिश्र ने कहा केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा प्रस्तुत बजट 2012–13 कठिन परिस्थितियों से निपटने का बजट है। एक तरफ राजस्व वसूली कम हुई है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में मांग की कमी आई है। ऐसे में आर्थिक वृद्धि को गति देने के अधिक प्रयास किए गए हैं। विकास दर की रफ्तार बढ़ाने के लिए अहम भूमिका निवेश की होती है। मजबूत बुनियादी ढांचा और मांग से इजाफा न हो तो निजी क्षेत्र का भी निवेश के प्रति उत्साह कम हो जाता है। बाजार में मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को आधारभूत ढांचे को मजबूत करना होगा। दूसरे, आम आदमी की आमदनी बढ़ाने के भी उपाय करने होंगे। इस बजट में निवेश और मांग दोनों को ही बढ़ाने का प्रयास किया गया है। एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में नव उदारवादी आर्थिक नीतियों और बाजारवादी सुधारों पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं और खासकर यूरोप और अमेरिका में आर्थिक संकट और गतिरूद्धता से निपटने में उसकी विफलता स्पष्ट होती जा रही है, उस समय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में आई गिरावट से निपटने के लिए नए बजट में एक बार फिर उसी अर्थनीति और पिटे हुए आर्थिक सुधारों पर भरोसा जताया है।

पूर्व केन्द्रीय मंत्री, प्रो. (डॉ.) संजय पासवान ने कहा कि सरकार मुख्य रूप से तीन मदों खाद्य, ईंधन और उर्वरक पर सब्सिडी देती है। बजट में कहा गया है कि सब्सिडी पर होने वाले खर्च को जीडीप के 1.3 फीसदी के दायरे में रखा जायेगा और इसका सीधा असर विशाल गरीब आबादी पर पड़ेगा।

डा. नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय ने कहा कि आर्थिक उदारीकरण का दौर जबसे शुरू हुआ है, सरकार राजकोषीय घाटे को काबू करने के दावे तभी से बढ़–चढ़ कर करती रही है। इस दावे को भरोसेमंद बनाने के लिए उसने कानूनी जामा भी पहनाया। पर राजकोषीय घाटा अब उसके काबू से बाहर है। हर साल बजट के वक्त इस घाटे को लेकर जो भी अनुमान जताये जाते हैं, वे सभी संशोधित आकलन में गलत साबित होते हैं।

डॉ. तिलक राज गांधी ने कहा कि निजी निवेश बढ़ाने के लिए माहौल में तेजी से सुधार किया जाएगा। कृषि, ऊर्जा, परिवहन क्षेत्र, कोयला, ऊर्जा, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे और नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों की कठिनाइयों को दूर करना होगा।

डॉ. गोरेलाल यादव ने कहा कि यदि वर्षा आधारित क्षेत्रों में सिंचाई का प्रबंध हो जाए तो उसका सीधा प्रभाव यह होगा कि देश में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी और महंगाई की समस्या दूर हो सकती है। इस काम के लिए पूरे देश की संभावित सिंचाई क्षमता का दोहन करना अपरिहार्य है।

श्री आर.यू. सिंह ने कहा कि वर्तमान बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित की गई राशि काफी कम है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या का अधिक भार भी है।

डॉ. कुमकुम नारायण ने कहा वर्षों से हमारी अर्थव्यवस्था के ईंधन रहे कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बजट से फौरी राहत जरूर मिली है, लेकिन इस क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को अनदेखा किया गया है।

डॉ. मीरा वर्मा ने कहा कि यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भूमि अधिग्रहण और विकास के शोर में हमारी जर्जर कृषि अर्थव्यवस्था भयानक संकट का सामना कर रही है, मगर वित्त मंत्री बजट में खेती–बाड़ी पर शोध के लिए 200 करोड़ की मामूली रकम का इंतजाम करके दूसरी हरित क्रान्ति का सपना देख रहे हैं।

श्री हरिद्वार पाण्डेय ने कहा कि इस बजट का मूल दर्शन समझने की जरूरत है। वित्त मंत्री ने सेवा शुल्क एवं एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि की है। इससे एक ओर तत्काल महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि हर एक वस्तु के दाम बढ़ेंगे।

डॉ. एन.के. झा ने कहा कि छोटे और मंझोले–उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए भी बजट में कई कदम उठाए गए हैं।

डॉ. उमेश मिश्रा ने कहा कि बजट में योजनागत मद में किए गए आवंटन में पिछले साल के बजट अनुमान की तुलना में 18 फीसद की बढ़ोतर की गई है। जबकि गैर योजनागत खर्च को वे काबू में नहीं रख पाए हैं।

प्रारंभ में संस्थान के निदेशक डॉ. प्यारे लाल द्वारा परिचर्चा के विषय वस्तु पर विशद् चर्चा की।

इस परिचर्चा में भाग लेनेवालों प्रमुख थेः– सर्वश्री त्रिपुरारी मिश्र 'त्रिलोचन' रामउदार झा, श्याम बिहारी मिश्र, वी.डी. राम, श्री बच्चा ठाकुर, कृष्ण कुमार ठाकुर, सैययद अरशद अली, विजय नारायण झा, रघुवीर मोची तथा अन्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

(डॉ. प्यारे लाल)
निदेशक

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

नई दिल्ली में श्री अन्ना हजारे का एक दिन का अनशन गांधीवादी नहीं है – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 25 मार्च, 2012

आज नई दिल्ली में जन्तर–मन्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ श्री अन्ना हजारे का एक दिन का अनशन का कोई औचित्य एवं सार्थकता नहीं है क्योंकि राष्ट्र की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था संसद के समक्ष लोकपाल विधेयक विचार के लिए लम्बित है। गांधीजी जब भी अनशन करते थे, वे उसे या तो प्रायश्चित और या फिर आत्मशुद्धि का नाम देते थे। वे कभी यह नहीं कहते थे कि उनके अनशन के कारण कोई मांग या मांगें स्वीकार की जावें। प्रजातांत्रिक संस्थाओं व सिद्धांतों की कीमत पर अपनी कोई मांग मनवाने की कोशिश तो उन्होंने कभी की ही नहीं। सच तो यह है कि उन्होंने कभी सरकार के विरूद्ध कोई अनशन ही नहीं किया। यह मानना या कहना कि 'केवल मेरी मांग सही और उचित है' यह दृष्टिकोण गलत है। वह न केवल गैर–प्रजातांत्रिक है वरन् प्रजातांत्रिक संस्थाओं का क्षरण करने वाला भी है। इस तरह की सोच से तानाशाही की बू आती है। गांधीजी ने कभी अपने उपवास को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए लाखों तो छोड़िए, हजारों या सैकड़ों की भीड़ नहीं जुटाई। उनके उपवास का लक्ष्य कभी जोर–जबरदस्ती से अपनी मांग मनवाना नहीं रहा। उनकी सोच में तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं था। श्री अन्ना को अपने अनशन के सामने सरकार को झुकाने के लिए लाखों लोगों को सड़कों पर निकालना पड़ा। श्री अन्ना समर्थक जो लोग सड़कों पर निकले, वे उच्च मध्यम वर्ग और उच्च जातियों के थे और भारत के सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। उनमें अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की संख्या बहुत कम थी। उल्टे, ये वर्ग श्री अन्ना के उपवास के परिणामों के बारे में सशंक्ति थे क्योंकि यह उपवास संविधान और संसद की सर्वोच्चता को चुनौती दे रहा था। हमें याद रखना चाहिए कि अर्थव्यवस्था का उदारीकरण–वैश्विकरण और बड़ी कम्पनियों के अनाप–शनाप मुनाफे, भ्रष्टाचार के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। सच तो यह है कि पहले की तुलना में आज बड़े उद्योगपति और कारपोरेट दुनिया भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत बन गई है। गांधीजी समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े सबसे आखिरी आदमी के प्रति चिंतित रहते थे। वे कहा करते थे कि ऐसा विकास का माडल किसी काम का नहीं है जो सबसे कमजोर व्यक्ति को लाभान्वित न करे। भ्रष्टाचार से लड़ने का सबसे प्रभावी हथियार है नैतिकता का प्रचार–प्रसार। श्री अन्ना शायद ही कभी नैतिकता की बात करते हैं। उनकी सोच केवल कानूनों और सजाओं के इर्द–गिर्द घूमती है। गांधीजी का जोर नैतिकता और आध्यात्मिकमता पर था। वे समस्याओं का हल अपनी अंतरात्मा में ढूंढते थे न कि कानूनों में। जो व्यक्ति मसीहा बनने की जल्दी में होता है वह कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पाता। वह सभी समस्याओं का हल बाहरी उपायों से करना चाहता है। गांधी बनने के लिए अपनी अंतरात्मा में डूबने की क्षमता अनिवार्य है।

(विदयानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

श्री अन्ना हजारे और उनके सहयोगी द्वारा लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था का अवमानना – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 27 मार्च, 2012

नई दिल्ली में 25 मार्च, 2012 को जन्तर–मन्तर पर एक दिवसीय धरने के दौरान श्री अन्ना और उनके सहयोगियों द्वारा संसद के विरूद्ध जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उससे यह संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। दरअसल में कथित सिविल सोसायटी का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य है राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना। सिविल सोसायटी संकीर्णतावादी विचारों को हवा दे रही है। इसका तेजी से मध्यवर्ग में प्रचार–प्रसार हो रहा है। भ्रष्टाचार, काले धन और विदेशी बैंकों में काले धन को जमा करने संबंधी गंभीर मुद्दे आखिर कैसे उत्पन्न हुई? उदारवादी अर्थव्यवस्था के दौर में हर कोई मुनाफा कमाना चाहता है। व्यापारी, उद्योगपति और बहुराष्ट्रीय कम्पनी घराने केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं। वे राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व भूल चूके हैं। सामाजिक सरोकारों से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहा है। उदारवादी नीतियों के चलते पूरी दुनिया एक बाजार बन चुका है। फायदा, कारपोरेट जगत, निजी व्यापारी, उद्योगपति, बिल्डर उठा रहे हैं जो वही अर्थतंत्र, प्रशासन एवं समाज को प्रभावित कर भ्रष्टाचार की जड़ को मजबूत कर रहे हैं।

सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है। गांधीजी जब भी अनशन करते थे, वे उसे या तो प्रायश्चित या फिर आत्मशुद्धि का नाम देते थे। वे कभी यह नहीं कहते थे कि उनके अनशन के कारण कोई मांग या मांगें स्वीकार की जावें। प्रजातांत्रिक संस्थाओं व सिद्धांतों की कीमत पर अपनी कोई मांग मनवाने की कोशिश तो उन्होंने कभी की ही नहीं। सच तो यह है कि उन्होंने कभी सरकार के विरूद्ध कोई अनशन ही नहीं किया। यह मानना या कहना कि 'केवल मेरी मांग सही और उचित है' यह दृष्टिकोण गलत है। वह न केवल गैर–प्रजातांत्रिक है वरन् प्रजातांत्रिक संस्थाओं का क्षरण करने वाला भी है। इस तरह की सोच से तानाशाही की बू आती है। गांधीजी ने कभी अपने उपवास को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए लाखों तो छोड़िए, हजारों या सैकड़ों की भीड़ नहीं जुटाई। उनके उपवास का लक्ष्य कभी जोर–जबरदस्ती से अपनी मांग मनवाना नहीं रहा। उनकी सोच में तानाशाही के लिए कोई स्थान नहीं था। यह समझना चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन केवल आंदोलन से नहीं हो सकता। श्री जयप्रकाश नारायणजी का सम्पूर्ण क्रान्ति का आधार भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन था, परंतु व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। व्यवस्था परिवर्तन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लम्बा रास्ता तय करना होगा। सरकार को सिविल सोसायटी को महत्व नहीं देना चाहिये और भ्रष्टाचार के विरूद्ध जंग को अधिक धारदार करना चाहिये।

भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। यह सोचना गलत है कि राजनैतिक लोगों को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना है, वह राजनैतिक पार्टियों द्वारा पैदा किये गये दबाव की भी देन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। संसदीय और लोकतांत्रिक दबाव सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिये बाध्य कर देंगे। हमें संसद पर भरोसा करना चाहिये। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका हल अंततः संसद से ही निकलना है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार के विकास के सम्बन्ध में नागालैण्ड के राज्यपाल श्री निखिल कुमार का वक्तव्य अनुचित – डा॰ जगन्नाथ मिश्र

पटना, 30 मार्च, 2012

यह सच्चाई है कि 90 से 2005 के बीच बिहार की विकासहीनता एवं शासन की सभी क्षेत्रों में विफलता ने राज्य को दिशाहीन बना दिया था जिसके कारण बिहार की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि खराब हुई। परन्तु बिहार में 2005 के बाद श्री नीतीश कुमार की सरकार में सभी क्षेत्रों में विकास परिलक्षित हो रहा है। श्री नीतीश कुमार की सरकार में राज्य में आर्थिक नवजागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। गत 7 वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल रहा है। परंतु 90 से पूर्व की सरकारों की विभिन्न उपलब्धियों को भी नकारा नहीं जा सकता। यह सच्चाई है कि डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह की सरकार ने विकास की आधारशिला रखी थी एवं कुशल प्रशासन एवं नेतृत्व प्रदान किया था।

नागालैण्ड के राज्यपाल श्री निखिल कुमार का यह कहना कि "डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह के बाद बिहार का विकास नहीं हुआ है" तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह किसी से छुपा नहीं है कि डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह को राजनीतिक स्थायित्व मिला वह उनके बाद केवल श्री लालू प्रसाद एवं श्री नीतीश कुमार को हीं प्राप्त हुआ है। श्री लालू प्रसाद ने राजनीतिक समर्थन एवं स्थायित्व का उपयोग राज्य के विकास के लिए नहीं किया परंतु श्री नीतीश कुमार अपनी दूर दृष्टि से जन समर्थन का उपयोग हर संभव कर रहा है जो सभी क्षेत्रों में विकास को देखकर साबित हो रहा है। डॉ॰ श्रीकृष्ण सिंह के बाद कांग्रेस पार्टी का बिहार विधान सभा में बहुमत रहने के बावजूद भी किसी भी मुख्यमंत्री को अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया गया। कांग्रेस आलाकमान का इतना अधिक हस्तक्षेप रहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपनी क्षमता से बिहार का उन्नयन–विकास नहीं कर पाये। हालांकि सभी कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपने–अपने कार्यावधि में बिहार के विकास के लिए हर संभव प्रयास अवश्य करते रहे। तथ्यों के आधार पर यदि विश्लेषण किया जाय तो 70 और 80 के दशकों में बिहार में पूंजी निवेश, उद्योग धंधे की स्थापना सिंचाई व्यवस्था तथा बाढ़ नियंत्रण में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धी रही है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में 80 के दशक में 25 हजार किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें का निर्माण किया गया। पटना के समीप 4 लेन गंगा में एवं भागलपुर के समीप गंगा पुल निर्माण संभव हुआ। गण्डक नदी समेत कोशी में डुमरी घाट पुल का निर्माण हुआ। बरौनी एवं पतरातु विद्युत उत्पादन केन्द्र का विस्तार एवं आधुनिकीकरण हुआ तथा कांटी में नया थर्मल पावर स्टेशन बना। अनेक जल विद्युत परियोजनाएं प्रारंभ की गई। औद्योगिक क्षेत्र में आदित्यपुर, बोकारो, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में औद्योगिक प्राधिकारों की स्थापना के अतिरिक्त 37 औद्योगिक प्रांगण बनाये गये। बिहार वित्त निगम एवं विस्को के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। एक लाख से अधिक मध्य एवं लघु उद्योग की स्थापना करायी गई। 80 के दशक में हीं राज्य के सभी जिला को पिछड़ा घोषित कर 15 प्रतिशत पूंजी सहायता उपलब्ध करायी गई। बिहार की उत्पाद की खरीद अनिवार्य करते हुए 15 प्रतिशत मूल्य प्राथमिकता उपलब्ध कराकर राज्य के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। 16 रूग्ण चीनी मिलों का अधिग्रहण किया गया। अनेक निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में बिहार उद्योग विकास निगम और लघु उद्योग विकास निगम की सहायता से उद्योग स्थापित हुए। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची और धनबाद में निजी विद्युत कम्पनी का अधिग्रहण कर शहरी विद्युत का विस्तार हुआ। 3 लाख से अधिक निजी नलकूप 5 हजार से अधिक राजकीय नलकूप लगाये गये। कोशी, गण्डक, बागमती, महानन्दा, त्रिवेणी, सोन, क्यूल बडुआ एवं उत्तर एवं दक्षिण कोयलकारों परियोजनाओं का आधुनिकीकरण कराते हुए सिंचाई क्षमता बढ़ायी गयी। धनबाद, जमशेदपुर, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में चिकित्सा महाविद्यालयों के साथ–साथ अनेक अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेक्नीकों की स्थापना की गई। 54 हजार प्राथमिक विद्यालय 3 हजार माध्यमिक विद्यालय एवं 3 सौ महाविद्यालयों का राजकीयकरण कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये गये। समाज कल्याण के लिए 23 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आदिवासियों के लिए जनजातीय उपयोजना तथा दलित के लिए अंगीभूत योजना 80 के दशक की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केन्द्र से निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से माल भाड़ा समानीकरण नीति की समाप्ति करने मूल्य आधारित रॉयल्टी प्राप्त करने का प्रयत्न हुआ। बिहार से बाहर जाने वाली वस्तु पर कनसाइनमेंट टैक्स लगाने एवं बिहार की आंशुगिक उद्योग उत्पादन को बड़े उद्योगों द्वारा खरीद करने के लिए केन्द्र के साथ टकराव की स्थिति बनानी पड़ी जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी जब कांग्रेस के 165 सदस्यों में से 135 सदस्यों के समर्थन रहने के बावजूद उन्हें (डा॰ मिश्र) मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा था। बिहार की केन्द्र सरकार की लगातार उपेक्षा प्रति व्यक्ति कम से कम योजना व्यय और कम से कम केन्द्र सहायता की बात उन्होंने लगातार उठायी। अभी श्री नीतीश कुमार अपनी स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के आधार पर बिहार की उपेक्षा की बात उठाकर विशेष राज्य की दर्जा का मुद्दा उठा रहे हैं। परन्तु इसे अनदेखी नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक अस्थिरता और कांग्रेस की आन्तरिक कल्ह के बावजूद 70–80 के दशक में बिहार का विकास हुआ। आज श्री नीतीश कुमार ने विकास की बड़ी दृढ़ता से जोड़ने का कार्य किया है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र

(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना 16 अप्रैल, 2012

देश के आन्तरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद और माओवादी संगठन बड़ी चुनौती है। ऐसे हिंसात्मक विद्रोह के लिए शोषण तथा मजदूरी दर को कृत्रिम तरीके से निम्न स्तर पर बनाये रखना कारण है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, संसाधन प्राप्त करने के अवसरों का अभाव, खेती का पिछड़ापन, भूमि सुधार का अभाव जिसका जिम्मेदार है। दुर्भाग्य से विद्रोह, खलबली, असंतोष और उग्रवाद के मौलिक कारणों का गंभीर अध्ययन कभी नहीं किया गया है और न तो भारत में इसे प्रशासनिक या शैक्षिक परिसंवादों का विषय ही बनाया गया है। अवसरपरक कमरतोड़ प्रत्युत्तर के अतिरिक्त कोई सुदृढ़ प्रशासनिक और विकासमूलक कार्य नहीं किया गया है। कारणों को समाप्त करने या जनता के असंतोष को कम करने संबंधी कार्य भी नहीं किया गया है। शोषण एवं अत्याचार हिंसा का रूप ले रही है। इन वर्षों में अधिकारों के हनन के अनगिन पहलुओं को विषयगत करते हुए लिखित अधिनियम और संस्थागत तंत्र भी सृजित किये गये हैं। किन्तु अनुभव यह कहता रहा है कि ऐसे प्रावधानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में असंतोष और खलबली का होना जारी ही है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि देश में आदिवासियों और दलितों को विकास की मुख्य धारा में सहभागी या सहयात्री नहीं बनाये जाने के कारण हीं माओवादी और नक्सलवादी हिंसात्मक घटनाओं को स्थानीय स्तर पर जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। वे देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष कर रहे हैं। नक्सलवादी और माओवादी विचार धारा का गरीब जनजाति, अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य गरीब वर्गों में निरंतर प्रभाव पिछले वर्षों में लगातार विस्तारित होता जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि और कारणों का सही विश्लेषण और अध्ययन किया जाना आवश्यक है। दलित, अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य कमजोर वर्गों का मानवाधिकारों का हनन निरंतर जारी है। भारतीय संविधान में इन कमजोर वर्गों के संरक्षण के अनेक प्रावधान है। फिर भी इन कमजोर वर्गों का उत्पीड़न जारी है। इसे मुद्दा बनाकर ही नक्सली और माओवादी लोकतंत्र को इन वर्गों के बीच निरर्थक बताते हुए राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन का विचार प्रसारित करते हैं। उनके इस राजनीतिक हिंसात्मक विचारों के विरूद्ध केवल प्रशासनिक उपाय ही पर्याप्त नहीं है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें तथा सभी राजनीतिक दलों को गंभीर चिन्तन कर नक्सलवादी और माओवादी विचारों के विरूद्ध लोकतांत्रिक विचारों का उन वर्गों में प्रसार करना पड़ेगा! साथ ही राजनीति दलों को ज्यादे जिम्मेदारी के साथ लोकतांत्रिक पारदर्शिता बनानी होगी जिससे आम आदमी की सीधी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। पुलिस विधि–व्यवस्था का अनिवार्य एवं अत्याज्यनीय अंग है। भारतीय पुलिस प्रणाली में आमूल परिवर्त्तन की आवश्यकता है। संपूर्ण प्रणाली, व विशेषकर पुलिस व्यवस्था का वह अंश जो प्रतिदिन सामान्य नागरिकों के सम्पर्क में आता है उसे अधिक जनतांत्रिक, संवेदनशील और नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने की आवश्यकता दशाब्दियों से अनुभवन की जा रही है किन्तु इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे है। पुलिस तंत्र को अपने अधीन रखकर निजी स्वार्थों अथवा अपनी महत्वकांक्षा की पूर्त्ति के लिए उसका दुरूपयोग करना स्वभाव में आ चुका है। पुलिस सुधार आयोगों के प्रतिवेदन बंद बस्तों में पड़े हैं। (क) पुलिस प्रणाली स्वतंत्र हो, सत्तासीन अपराधियों पर भी कार्यवाही करने में उसे हिचक न हो। (ख) पुलिस में 'व्यवसायिक'दृष्टिकोण (प्रोफेशनेलिज्म) आना चाहिए। (ग) पुलिस को आधुनिकतम साधन, जिनका प्रयोग अपराधों को रोकने व अन्वेषण करने में किया जा सके, से सम्पन्न किया जाना चाहिए। (घ) सूचना–प्रौद्योगिकी का पुलिस प्रणाली में अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

परमाणु क्षमता से लैस स्वदेशी अग्नि–5 का सफल परीक्षण के लिए भारत के प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह और इस अग्नि–5 के निर्माण में संलग्न वैज्ञनिकों को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बधाई दी।

पटना, 20 अप्रैल, 2012

देश की सुरक्षा प्रणाली के लिए अग्नि–5 का सफल परीक्षण राष्ट्र के लिए बड़ी उपलब्धि है। सामरिक दृष्टि से इसका महत्व है ही, वैज्ञानिक नजरिये से भी यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। परमाणु क्षमता से लैस यह अस्त्र देश का सबसे बड़ा रक्षा कवच है। यह भी बड़ी उपलब्धि है कि यह पूर्णतः स्वदेशी है। इसे रक्षा संधान और अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। इस वजह से यह मिसाइल देश का गौरव है। भारत में यह परीक्षण किसी को संदेश देने को नहीं किया है बल्कि यह उसकी सामरिक जरूरत है। यह दूसरे मूल्क की फौजी ताकत का जबाव नहीं है, बल्कि भारत की आत्म शक्ति का प्रमाण है। यह उन देशों के लिए जबाव है जो कि अपने ताकत के बूत पूरे विश्व को निशाने पर लेने की चेतावनी दे सकते हैं। भारत ने इस परीक्षण से सिद्ध किया है कि वह किसी से कम नहीं है। भारत ने यह प्रमाण दिया है कि भारत अमृत ही नहीं बल्कि बिषी भी दिखा सकता है। भारत ने ऐसे टेक्नोलॉजी विकसित करके यह दिखाया है कि भारत किसी से पीछे नहीं है। 1953 में पं॰ जवाहर लाल नेहरू ने परमाणु शोध की नींव रख दी थी जबकि पं॰ नेहरू परमाणु शक्ति के विनाशकारी प्रयोग के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने अपने दूर दृष्टि से पूरे देश को किसी संभावित खतरों से बचाने का पुख्ता उपाय किया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में दो परमाणु परीक्षण करके यह सिद्ध किया था कि परमाणु बम बनाना हमारा लक्ष्य नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी भारत के पास है, और बकायदा विश्व की सुरक्षा की गारंटी के साथ है। इसलिए भारत की नीति है कि वे पहले किसी पर भी कहीं भी परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। यह अस्त्र तो भारतीय उप महाद्वीप की शांति की गारंटी के लिए है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि अग्नि–5 हमारी देश की पहली बेलास्टीक मिसाइल है। भारत के अलावा ऐसे मिसाइल को संचालित करने की क्षमता अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस के पास है। इस परीक्षण के बाद भारत भी एलिट क्लब का हिस्सा बन गया है। भारत धीरे–धीरे ही सही विश्व की आर्थिक शक्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले वर्षो में आर्थिक शिखर पर पहुँचने के लिये इसे अपनी आर्थिक शक्ति बढ़ानी होगी, इसमें अग्नि–5 एक महत्वपूर्ण कड़ी है। निःसंदेह अगले दस वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष चार अर्थव्यवस्था में सुमार किया जा सकता है। अपनी सामरिक शक्ति बढ़ानी है, क्योंकि आर्थिक ताकत संपन्न देश के पास सामरिक संपन्नता होनी चाहिये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह से मिलकर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपील की कि बिहार के मिथिलांचल में नवनिर्मित कोशी महासेतु का नाम पूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र के नाम पर करने की अपील की।

पटना, 30 अप्रैल, 2012

नई दिल्ली में संसद भवन के प्रधानमंत्री कक्ष में प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह से आधे घंटे की मुलाकात में डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने उनसे अपील की कि वर्षों से दो भागों में विभक्त मिथिलांचल को जोड़ने के उद्देश्य से 418 करोड़ की लागत से निर्मित कोशी महासेतु का नाम ललित नारायण मिश्र के नाम से करने की अपील करते हुए डा॰ मिश्र ने उनसे कहा कि पूर्व रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र ने ही कोशी जैसी शोकदायी नदी के लिए तत्कालिन प्रधामंत्री पं॰ जवाहर लाल नेहरू से कोशी योजना स्वीकृत करायी जिससे कोशी की विभीषिका से मिथिलांचल मुक्त हुआ। उन्होंने ही लखनउ से आसाम तक लेटरल रोड मंजूर करवाई और अनेक रेल परियोजनाएं मंजूर करायी। उन्होंने ही मिथिलांचल की राष्ट्रीय पहचान बनाई। मुजफ्फरपुर–समस्तीपुर बड़ी रेल लाईन के उद्घाटन समारोह में ही उनकी निर्मम हत्या हुई। इसलिए यह बड़ा ही उपयुक्त कि इस कोशी महासेतु का नाम ललित नारायण मिश्र के नाम से किया जाए।

डा॰ मिश्र ने प्रधानमंत्री से यह भी अपील की कि संसद भवन में ललित बाबू की प्रतिमा स्थापित की जाए और दिल्ली में एक सड़क का नाम ललित बाबू के नाम से किया जाए। ललित बाबू प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे और विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री रहते हुए राष्ट्र की सेवा की और केन्द्रीय मंत्री रहते हुए उनकी जघन हत्या हुई। इसलिए भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान प्रदर्शित करनी चाहिए। डा॰ मिश्र ने प्रधानमंत्री का ध्यान ललित बाबू की हत्या से सम्बन्धित मामले को ध्यान आकृष्ट करते हुए बताया कि यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक केन्द्रीय मंत्री से सम्बन्धित हत्यारों को न ही पूर्ण रूप से चिह्नित किया जा सका है और 35 वर्षों से न्यायालयों में लम्बित मामलों का निष्पादन कराया जा सका है। डा॰ मिश्र ने प्रधानमंत्री से विशेष रूप से अपील की है कि इस मामले को निष्पादन शीघ्रता से कराते हुए दोषियों को दंडित करावे और आवश्यक हो तो पूरे मामले की पुनः समीक्षा की जाए।

डा॰ मिश्र ने प्रधानमंत्री का ध्यान 2008 की कोशी त्रासदी की चर्चा करते हुए उन्हें बताया कि त्रासदी के 4 वर्ष पूरे होने के बाद भी केन्द्र सरकार से अभीतक बिहार सरकार द्वारा मांगी गई 14,500 करोड़ की धन राशि क्षेत्र की पुनर्वास के लिए प्राप्त नहीं हुई है। 3 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन बालू के कारण खेती योग्य नहीं रह गई है जिसके कारण क्षेत्र के लाखों किसान और मजदूर बेवशी की जिन्दगी बीता रहे हैं। यह आवश्यक है कि उपजाऊ जमीन से बालू हटाने का कोई केन्द्रीय योजना बनाई जाए और जमीन पर नई खेती की तलाश के लिए कृषि मंत्रालय से विशेषज्ञों का दल भेजा जाए। डा॰ मिश्र ने प्रधानमंत्री को बताया कि बिहार में श्री नीतीश कुमार की सरकार ने छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों से बिहार को एक असफल राज्य से एक क्रियाशील राज्य में बदल रहा है। राज्य के ढ़ांचे के निर्माण एवं शुद्धीकरण किये जाने से निवेशकों को आकर्षित करने की समुचित क्षमता बनाई जा रही है।

डा॰ मिश्र ने प्रधानमंत्री को बताया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के इस कथन में सच्चाई है कि 90 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण की दौर में उच्च आय वाले राज्य लगातार लाभान्वित हुए हैं और बिहार लाभों से वंचित रहा है। इसलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पूर्णतः औचित्यपूर्ण है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

संसद एवं संसद सदस्यों के विरूद्ध अपमानजनक बाबा रामदेव का वक्तव्य पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने राष्ट्र विरोधी सोच कहा है।

पटना, 3 मई, 2012

राष्ट्र के लिए यह अत्यंत ही विस्मयकारी और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जब एक ओर माओवादी एवं नक्सलवादी संगठनें हिंसात्मक संघर्ष से लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली को निरर्थक और गरीब विरोधी साबित करने में लगा है। वहीं दूसरी ओर गांधीवादी विचारों से प्रेरित श्री अन्ना हजारे समूह और बाबा रामदेव द्वारा ही यह संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। इनका मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना है। इनका लक्ष्य है राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना। यह महत्वपूर्ण है कि भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। यह सोचना गलत है कि राजनीतिक लोगों को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो माहौल बना है, वह राजनीतिक पार्टियों द्वारा पैदा किये गये दबाव की भी देन है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। संसदीय और लोकतांत्रिक दबाव सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिये बाध्य कर सकता है। हमें संसद पर भरोसा करना चाहिये। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका हल अंततः संसद से ही निकलना है। बाबा रामदेव और श्री अन्ना हजारे को यह समझना चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन केवल आंदोलन से नहीं हो सकता। श्री जयप्रकाश नारायणजी का सम्पूर्ण क्रान्ति का आधार भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन था, परंतु व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। व्यवस्था परिवर्तन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लम्बा रास्ता तय करना होगा। सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक बतलाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, श्री अखिलेश यादव द्वारा सुश्री मायावती सरकार की आरक्षण संबंधी निर्णय को निरस्त किये जाने का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री को बधाई दी।

पटना, 5 मई, 2012

उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किये जाने के बाद सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति एवं वरिष्ठता के आरक्षण कोटे को निरस्त करने की श्री अखिलेश यादव की सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि संविधान के उद्देश्य कार्य में निहित अवसर की समानता एवं संविधान के अनुच्छेद 15 एवं 16 के प्रावधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों के बीच नियोजन के संबंध में धर्म, कुल वंश, जाति, लिंग, उदभव, जन्म–स्थान, निवास आदि इनमें से किसी भी आधार पर नागरिकों के बीच विभेद नहीं किया जा सकता। संविधान की इस बुनियादी प्रावधान एवं अवधारणा के अंतर्गत सभी नागरिक एक हैं। आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े नागरिकों का विकास करना राष्ट्र एवं समाज का दायित्व है। लेकिन प्रतिभाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। दलित, आदिवासी एवं पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए नियोजन के प्रारंभ में आरक्षण का प्रावधान संविधान ने सुनिश्चित किया है। परंतु एक बार सरकारी सेवाओं में प्रवेश के बाद प्रोन्नति में आरक्षण एवं वरिष्ठता प्रतिभाओं की कीमत पर नहीं दी जा सकती। संविधान के अवधारणा के पृष्ठभूमि में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों को प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ देने को गैर संवैधानिक माना है। उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय सराहनीय है। उत्तर प्रदेश में सुश्री मायावती की सरकार ने समाज के हित में फैसला नहीं ली थी उनका निर्णय राजनीति से प्रेरित था। उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी निर्णय को निरस्त करते हुए एक संदेश दिया है कि योग्यता, कुशलता एवं प्रतिभा का हनन राष्ट्र के हित में न्यायोचित नहीं हो सकता। प्रोन्नति में आरक्षण संविधान की मूल धारणा के बिल्कुल विपरीत है और प्रतिभा संपन्न मौलिक लोगों के अधिकारों का हनन है। अगर गहन समीक्षा की जाए तो आरक्षण का लाभ वास्तव में दलितों में असली हकदारों को कभी नहीं मिला इस जाति के नाम पर संपन्न व्यक्ति शामिल हो गये और जो वास्तव में हकदार रहे वे आरक्षण के लाभ से वंचित किये जाते रहे हैं। शिक्षा और रोजगार के प्रारंभिक भर्त्ती में आरक्षण उचित है लेकिन प्रोन्नति में इसका को औचित्य नहीं है। वास्तव में प्रोन्नति में व्यक्ति की कार्य कुशलता का मामला है। अगर कार्य कुशलता की अनदेखी कर दी जाए तो प्रशासन की कुशलता और विकास कार्य प्रभावित होगा ही साथ–साथ कार्यकुशल व्यक्ति के लिए निराशाजनक साबित होगा। डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर बुनियादी तौर पर आरक्षण के खिलाफ थे। उन्होंने केवल संविधान लागू होने के दस वर्ष के लिए आरक्षण की बात कही। उन्होंने बतलाया था कि अनिश्चितकाल तक आरक्षण व्यवस्था लाने से दलित आदिवासी दोयम दर्जे के नागरिक बनेगें जो देश के लिए बड़ा ही घातक होगा। राजनीतिक लाभ के लिए संविधान में संशोधन राष्ट्र हित में उचित नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय संसद के पास असीम शक्ति है परन्तु उसे संविधान के मूल भावना का ध्यान रखना होगा। उसे ध्यान मे रखकर राजनीतिक लाभ के लिए आरक्षण की राजनीति नहीं करनी चाहिये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी योजना आयोग के अन्तर मंत्रालय समूह द्वारा बिहार की मांग को अस्वीकृत किया जाना बिहार के लिए विस्मयकारी– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 7 मई, 2012

बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी बिहार सरकार की मांग पर विचार करने के लिए योजना आयोग के अन्तर मंत्रालय समूह द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिये जाने की अनुशंसा बिहार राज्य के लिए विस्मयकारी एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले वर्षों में केन्द्रीय प्रक्षेत्र में निवेश के निम्न व गिरते स्तर ने भी बिहार के पिछड़ेपन में योगदान किया है। केन्द्रीय सार्वजनिक प्रक्षेत्र के उपक्रमों के सकल निवेश कोष में बिहार का हिस्सा लगातार गिरता रहा है। हाल के पिछले वर्षो में बिहार में कोई केन्द्रीय निवेश नहीं हुआ है। बिहार में औद्योगिक विकास की अभी शुरूआत की संभावना बनी है। श्री नीतीश कुमार की सरकार में विकास का नया वातावरण बना है। बिहार लम्बे समय से निवेश, रोजगार तथा आय जनित लाभों से वंचित है। विभाजन के कारण लगभग सभी बड़े व मंझोले उद्योगों के साथ–साथ अधिकांश लघु उद्योग भी झारखंड में चले गए हैं। संयुक्त बिहार लगभग चार दशकों से कोयला, इस्पात आदि भाड़ा समानीकरण के कारण पीड़ित रहा। राज्य विशाल खनिज संपदा के प्राकृतिक लाभों से वंचित रहा। हालाँकि केन्द्र द्वारा कुछ वर्ष पहले यह नीति वापस ले ली गयी है, लेकिन तब भी अन्य स्थानों पर हो चुके पूंजी संचय के कारण राज्य में निवेश के माहौल में कोई बदलाव नहीं आया। केन्द्र की गलत औद्योगिक नीति के कारण राज्य को हुए नुकसान की भरपाई के लिए केन्द्र की ओर से भी कोई प्रयास नहीं हुआ है। केन्द्र सरकार और योजना आयोग को इस पहलू पर विचार करना चाहिये। श्री नीतीश कुमार के इस कथन में भी औचित्य है कि 90 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी जहाँ उच्च आय वाले राज्य लगातार लाभान्वित हुए हैं, वहीं बिहार इन लाभों से वंचित बना रहा है। जैसी सूचना है, प्रधानमंत्री इससे भी संतुष्ट हैं कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आर्थिक नवजागरण का हर प्रयास हो रहा है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के अतिरिक्त निजी निवेशकों को आकर्षित करने की समुचित क्षमता भी बढ़ायी जा रही है। यह भी प्रमाणित है कि गत छः वर्षो के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य में बदल रहा है। श्री नीतीश कुमार का यह कहना भी औचित्यपूर्ण है कि संविधान के अनुच्छेद 38 (2) के अंतर्गत राज्य की असमानतायें दूर करने का उत्तरदायित्व केन्द्र का है। इसलिए बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार करने की जरूरत है। इसके लिए केन्द्र को साहसपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण वित्तीय नीति बनानी पड़ेगी। अगर भारत की औसत विकास दर 2019–20 तक 9 प्रतिशत से अधिक बनी रहती है, तो बिहार को उसके समकक्ष पहुँचने के लिए 2019–20 तक 15 प्रतिशत की औसत विकास दर हासिल करनी होगी। वर्ष 2019–20 तक यह 15 प्रतिशत विकास दर हासिल करने के लिए समस्त संभावनाओं के जरिए बिहार को लगभग 80 हजार करोड़ रूपये की वार्षिक आवश्यकता होगी। यह विशाल राशि विशेष अनुदान और विशेष राज्य का दर्जा के जरिए ही आ सकेगा। केन्द्र सरकार और योजना आयोग को इस पहलू पर विचार करना चाहिये।

वे (डा॰ मिश्र) अपने मुख्यमंत्रित्वकाल 1975 से लगातार राष्ट्रीय विकास परिषद् की सभी बैठकों में बिहार के साथ केन्द्र द्वारा किये जा रहे भेदमूलक दृष्टिकोण से उत्पन्न परिस्थिति को उपस्थापित करते रहे। केन्द्र सरकार से रॉयल्टी को मूल्य आधारित करने की मांग, बिहार के आनुषंगिक उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीदारी बिहार के बड़े उद्योगों द्वारा नहीं की जाने की शिकायत, कनसाइनमेंट टैक्स लगाने का अधिकार देने तथा माल भाड़ा समानीकरण हटाने की मांग के कारण उन्होंने केन्द्र से टकराहट ले ली थी। इसलिए अब यह बड़ा ही समीचीन है कि बिहार में श्री नीतीश कुमार को प्राप्त जनादेश के आलोक में प्रधानमंत्री बिहार सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए पिछले 62 वर्षों में बिहार के साथ किये गये भेदभाव को हटाने एवं योजना काल में बिहार में न्यूनतम प्रतिव्यक्ति योजना व्यय और प्रति व्यक्ति न्यूनतम केन्द्रीय सहायता से उत्पन्न विषम परिस्थिति का समापन करने और बिहार को अन्य राज्यों के समकक्ष लाने के उद्देश्य से बिहार को यथाशीघ्र विशेष राज्य का दर्जा शीघ्र देने हेतु समुचित निर्णय जनहित में लेने का कृपया कष्ट करें।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

सुपौल जिला में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के सेवा यात्रा के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने उनका ध्यान कोशी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की ज्वलंत समस्या पर आकृष्ट करते हुए विश्व बैंक से प्राप्त 1 हजार करोड़ की राशि से आवास, सड़क, पुल आदि के निर्माण में अधिक गतिशीलता लाने की अपील की।

पटना, 9 मई, 2012

कोशी की बाढ़ के रूप में इतनी बड़ी आपदा देश ने पहलीबार झेली है। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार की सक्रियता और मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण कुसहा तटबंध की मरम्मत और तटबंध का सुदृढ़ीकरण 143 करोड़ व्यय से पूर्ण हो गया। कोशी पुनर्निर्माण योजना जो लगभग 1500 करोड़ की लागत से किया जा चुका है। साथ हीं कोशी नदी के किनारे निर्मित पूर्वी तथा पश्चिमी कोशी तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण के साथ हीं कोशी तटबंध के उपर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावे 85 करोड़ की लागत से कोशी बराज के सभी फाटकों का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। कोशी क्षेत्र पुनः इस टूटान मरम्मत से सुरक्षति हो गया है।

केन्द्र सरकार से 14,800 करोड़ का विशेष पैकेज की अबतक स्वीकृति नहीं मिल पाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने 4,900 करोड़ की लागत से कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं अररिया जिलों के 3.50 लाख गृहविहीन परिवारों के लिए आवासों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा हरेक बस्ती में एक सामुदायिक भवनो का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय सराहनीय है। अभी विश्व बैंक से प्राप्त 1000 करोड़ की सहायता राशि से एक लाख आवास एवं ग्रामीण सड़क के साथ–साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण बाढ़ पीड़ितों किसानों के लिए आजीविका का मुख्य कृषि ही साधन है। आज भी लोग अनिश्चितता की स्थिति में जीने को बाध्य है। ऊपजाउ खेत में बालू की रेत भर गया है और जहाँ–जहाँ नई नदी निकली है वहाँ किसानों की ऊपजाउ खेत गायब है। सरकार द्वारा दी गई मुआवजा, इसके लिए पर्याप्त नहीं है। बिहार सरकार को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से विशेष अपील करनी चाहिये कि कृषि वैज्ञानिकों का एक विशेष दल कोशी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किया जाय जो बालू से भरी जमीन एवं जमीन की बदली हुई स्थिति में गुणात्मक सुधार के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर समुचित सुझाव सरकार एवं किसानों को प्रस्तुत करे। प्राप्त सूचना से ऐसा लगता है कि अत्यंत गरीब, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के परिवारों की आवास क्षति का सही सर्वेक्षण नहीं हुआ है फलतः उन्हें आवास सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। अतः आवश्यक है कि आवास क्षति का पुनः सर्वेक्षण कराया जाय।

कोशी प्रलय में संसाधनों की व्यापक क्षति हुई है। इस क्षति की भारपाई करने एवं इन क्षेत्रों को पहले से बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोशी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण समिति का गठन किया गया है। यह समितियाँ अपने दायित्वों का निर्वहन समय सीमा के भीतर नहीं कर पा रही है। कुल 14808.59 करोड़ रू॰ का मेमोरेन्डम केन्द्र सरकार, गृह मंत्रालय को समर्पित किया गया, परंतु इसके विरूद्ध अभीतक मात्र 497.35 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है जो असंगत एवं तर्कहीन है। कोशी आपदा से भवनों, लोक संपतियों एवं आधारभूत संरचनाओं की हुई क्षति का आकलन विस्तृत रूप से अभीतक नहीं हो पाया है। आकलन के आधार पर पुनर्वास आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिये। आपदा से प्रभावित सभी क्षेत्रों में तुरत आवागमन पुनर्स्थापित करने के लिए पथों एवं पुलों की मरम्मत की जाए। यह विस्मयकारी है कि अनेक प्रमुख सडकों तथा पुलों का पुनर्निर्माण नहीं होने के कारण आवागमन सामान्य नहीं हो पाया है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

सुपौल जिला में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सेवा यात्रा के दौरान स्थिति की जायजा लेने के क्रम में उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुआ है उसके आलोक में कोशी क्षेत्र के पुनर्वास और स्थापन के लिए विचार करने हेतु डा॰ जगन्नाथ मिश्र की अपील।

पटना, 10 मई, 2012

कोशी बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र की वर्तमान निम्नलिखित समस्याओं का निराकरण आवश्यक :–

(1) 1981 में सिमराही, छातापुर, बलुआ बाजार एवं बसानपट्टी में स्वीकृत रेफरल अस्पताल में से केवल सिमराही अस्पताल कार्यरत है। छातापुर एवं बसानपट्टी में मकान आदि का निर्माण होने के बावजूद अस्पताल का चालू न हो पाना। बलुआ बाजार उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का रेफरल अस्पताल में उत्क्रमण लम्बित। (2) उद्योग विभाग द्वारा वीरपुर में स्पीनिंग मिल का शिलान्यस होने के बावजूद मिल की स्थापना नहीं हो पाना। (3) वर्ष 2006–07 में सुपौल के लिए एक चीनी मिल की स्थापना की स्वीकृति के बावजूद कार्यारंभ नहीं हो पाना। (4) बाढ़ से क्षतिग्रस्त ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की सड़कें एवं प्रधानमंत्री सड़क मार्गों की मरम्मति एवं संधारण के लिए पर्याप्त धन राशि आवंटित किये जाएं जिससे कि ग्रामीण आवागमन सामान्य बन सके। (5) मुख्य नहर प्रणाली एवं उप नहरें अभीतक क्षतिग्रस्त बनी हुई है। पूरा कोशी अंचल सिंचाई से लगातार वंचित है, अतः नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार एवं पूर्ण स्थापन आवश्यक है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से तत्परता एवं सक्रियता रहने के बावजूद भी पुनर्निर्माण एवं मरम्मती के काम में लगे संबंधित ठीकेदारों के कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी बनी हुई है। अतः आवश्यकता है कि ठीकेदार अपने कार्यों में गतिशीलता लावे। (6) 70–80 के दशक में निर्मित 20 मेगावाट कटैया पन बिजली उत्पादन केन्द्र पूर्णतः क्षतिग्रस्त है– बिजली की आपूर्ति के लिए पन बिजली उत्पादन केन्द्र को पुनः संचालित किया जा सकता है। राज्य में अनेक पन बिजली योजनाएं विचारार्थ लम्बित है उसमें कटैया पन बिजली केन्द्र को प्राथमिकता दी जा सकती है। बिजली केन्द्र विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त एवं अकार्यशील है। बिजली समस्या के निदान और क्षमता में वृद्धि लाने के लिए इसका आधुनिकीकरण कर विकास एवं कार्यशील क्षेत्र राज्य के हित में होगा। राज्य में अनेक पन बिजली योजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वियन के क्रम में है। उनमें कटैया पन बिजली योजना को प्राथमिकता दी जा सकती है। (7) कृषि योग्य भूमि पर बालू की रेत को हटाया जाना– इसके लिए केन्द्र सरकार की ओर से विशेष कार्य योजना बनायी जा सकती है। (8) कोशी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में पेड़ पौधे सूखने की लगातार समस्या– सूखे और सुख रहे पेड़ पौधों को पर्यावरण के हित में पुनर्वासित करना आवश्यक है। वन विभाग समुचित रूप से इस कार्य के लिए विशेष योजना बनावें। (9) पेयजल की लगातार समस्या– शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए बड़े पैमाने पर केन्द्र सरकार की सहायता से ग्रामीण जल आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जाए। (10) गृह क्षतिग्रस्त की समस्या– बिहार सरकार एवं विश्व बैंक की सहायता से निर्मित हो रही आवासों का निर्माण तत्परता से पूरा करना आवश्यक है। क्योंकि पिछले 3–4 वर्षो में आवासहीनता के कारण गरीबों को असीम कष्ट सहना पड़ रहा है। (11) आवासहीनता एवं आवास भूमि की समस्या– कोशी क्षेत्र में आवासहीनता और प्रिय स्थल पर दलितों एवं अत्यंत पिछड़ी जाति परिवारों का स्वामित्व नहीं होने के कारण इन परिवारों को अनेक प्रकार का उत्पीड़न सहन करना पड़ रहा है। (12) रोजगार (मजदूरी) की समस्या लगातार बनी हुई है– कोशी क्षेत्र में लाखों लोग विवशता में दूसरे जगह रोजगार की खोज में पलायन कर चुके हैं। उनकी पुनर्वापसी के लिए महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी को अधिक प्रभावी बनाना आवश्यक है। (13) विभिन्न बिमारियों से जानवरों का लगातार मृत्यु होना– बाढ़ की विभीषिका के बाद मवेशियों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैली हुई है। बड़ी संख्या में मवेशियों की मृत्यु हो रही है। गाँव के लोगों के लिए पशुपालन जीवन वसर करने का बड़ा कारगर उपाय है। मवेशियों के बीमरियों के अध्ययन करने और समुचित ईलाज के लिए पशु चिकित्सालयों और पशु चिकित्सकों एवं दवायें बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। (14) वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था का अभाव-- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लघु उद्योगों के संबंध में राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को चिह्नित किया है। जिला उद्योग की ओर से ऐसे संभावित उद्योगों की स्थापना कराने और बैंको से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने इत्यादि की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जा सकती है। कोशी क्षेत्र के स्वरूप को बदलने के संबंध में मुख्यमंत्री के निश्चय को कार्यान्वित कराने की दिशा में उपर्युक्त सुझावों पर राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन की तत्परता से कार्य करने के संबंध में मुख्यमंत्री सख्त और निश्चित निदेश जारी कर सकते हैं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार के गृह मंत्री, श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा लोक सभा में भोजपुरी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किये जाने की संभावना व्यक्त किये जाने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त की।

पटना, 18 मई, 2012

2003 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा संविधान संशोधन कर मैथिली भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित किये जाने के बाद भोजपुरी भाषा–भाषी लोगों की लगातार मांग होती रही कि भोजपुरी भाषा को भी संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित कर करोड़ों भोजपुरी भाषा–भाषी लोगों की भावना का सम्मान किया जाय और उसे भारतीय भाषाओं की सूची में भारतीय संविधान में सम्मिलित किया जाय जिसके लिए लगातार आन्दोलन और मांग उठती रही। उसी पृष्ठभूमि में गृह मंत्री, श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा लोक सभा में भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की संभावना व्यक्त किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि भोजपुरी एक व्यापक और समृद्ध भाषा है। भोजपुरी सिर्फ बिहार–झारखण्ड की भाषा नहीं है। यह देश के दर्जन भर राज्यों में भी बोली जाती है। भारत के बाहर ट्रिनिडाड, टोबैको, फिजी, मॉरीशस और सूरीनाम में भी बड़ी संख्या में लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। भारत में भोजपुरी असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पूर्वांचल के राज्यों में भी बोली जाती है। प्रथम राष्ट्रपति डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद, पूर्व प्रधानमंत्री श्री चन्द्रशेखर और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जमकर भोजपुरी बोलते थे तथा जयप्रकाश नारायण भी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में आरंभ से ही यह भाषा स्नातक स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल रही है। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद वहाँ भी इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में यह आज भी पढ़ायी जाती है और उनके मुख्यमंत्रित्वकाल में 1976 में भोजपुरी अकादमी भी स्थापित की गयी, जो ख्यातिप्राप्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करती आ रही है। गुलाम भारत में अंग्रेजों ने तो इसे आदर और सम्मान दिया, लेकिन आजादी के बाद स्वदेशी सरकारों से इसे उपेक्षा और तिरस्कार के तीखे दंश ही सहने पड़ रहे हैं। भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2006 में तत्कालीन गृह राज्य मंत्री ने लोक सभा को बताया था कि केन्द्र सरकार भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार कर रही है। आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को शामिल करने के लिए मानदंड स्थापित करने के उद्देश्य से उच्च अधिकार संपन्न एक समिति का गठन किया गया था, जिसने रिपोर्ट दे दी थी। उक्त समिति ने आठवीं अनुसूची में शामिल किए जाने के लिए कुछ मानदंडों की अनुशंसा की थी। पहला, राज्य विशेष की आबादी के बड़े हिस्से द्वारा बोली जाती हो, दूसरा, साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त हो और तीसरा, इसका समृद्ध साहित्य हो। उपर्युक्त मानदंडों पर भोजपुरी अन्य आठवीं अनुसूची की भाषाओं की अपेक्षा पर अधिक खरी उतरती है। भोजपुरी में कई महान् साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने अनेक कालजयी कृतियों की रचना की है। हिन्दी भाषा के पितामह भारतेन्दु हरिशचन्द्र तथा उनके बाद प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अन्य कई समकालीन साहित्यकार भोजपुरी क्षेत्र से ही आए; जिनके लिए भोजपुरी ने प्रेरणा स्त्रोत के रूप में काम किया। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपीयर कहा जाता है। अबतक आठवीं अनुसूची में देश की कुल 22 भाषाएं ही शामिल की गयी हैं। भोजपुरी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग अरसे से की जा रही है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुजफ्फरपुर 27 मई, 2012

देश के आन्तरिक सुरक्षा के लिए आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवादी बड़ी चुनौती है। वे देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विरूद्ध संघर्ष कर रहे हैं। नक्सलवादी और माओवादी विचार धारा का गरीब जनजाति, अनुसूचित जातियाँ एवं अन्य गरीब वर्गों में निरंतर प्रभाव पिछले वर्षों में लगातार विस्तारित होता जा रहा है। इसकी पृष्ठभूमि और कारणों का सही विश्लेषण और अध्ययन किया जाना आवश्यक है। दलित, अनुसूचित जातियॉ एवं अन्य कमजोर वर्गों का मानवाधिकारों का हनन निरंतर जारी है। भारतीय संविधान में इन कमजोर वर्गों के संरक्षण के अनेक प्रावधान है। फिर भी इन कमजोर वर्गों का उत्पीड़न जारी है। इसे मुद्दा बनाकर ही नक्सली और माओवादी लोकतंत्र को इन वर्गों के बीच निरर्थक बताते हुए राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन का विचार प्रसारित करते हैं। ऐसे हिंसात्मक विद्रोह के लिए शोषण तथा मजदूरी दर को कृत्रिम तरीके से निम्न स्तर पर बनाये रखना कारण है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, संसाधन प्राप्त करने के अवसरों का अभाव, खेती का पिछड़ापन, भूमि सुधार का अभाव जिसका जिम्मेदार है। दुर्भाग्य से विद्रोह, खलबली, असंतोष और उग्रवाद के मौलिक कारणों का गंभीर अध्ययन कभी नहीं किया गया है और न तो भारत में इसे प्रशासनिक या शैक्षिक परिसंवादों का विषय ही बनाया गया है। अवसरपरक कमरतोड़ प्रत्युत्तर के अतिरिक्त कोई सुदृढ़ प्रशासनिक और विकासमूलक कार्य नहीं किया गया है। कारणों को समाप्त करने या जनता के असंतोष को कम करने संबंधी कार्य भी नहीं किया गया है। शोषण एवं अत्याचार हिंसा का रूप ले रही है। इन वर्षों में अधिकारों के हनन के अनगिन पहलुओं को विषयगत करते हुए लिखित अधिनियम और संस्थागत तंत्र भी सृजित किये गये हैं। किन्तु अनुभव यह कहता रहा है कि ऐसे प्रावधानों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में असंतोष और खलबली का होना जारी ही है। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि देश में आदिवासियों और दलितों को विकास की मुख्य धारा में सहभागी या सहयात्री नहीं बनाये जाने के कारण हीं माओवादी और नक्सलवादी हिंसात्मक घटनाओं को स्थानीय स्तर पर जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। उनके इस राजनीतिक हिंसात्मक विचारों के विरूद्ध केवल प्रशासनिक उपाय ही पर्याप्त नहीं है। केन्द्र एवं राज्य सरकारें तथा सभी राजनीतिक दलों को गंभीर चिन्तन कर नक्सलवादी और माओवादी विचारों के विरूद्ध लोकतांत्रिक विचारों का उन वर्गों में प्रसार करना पड़ेगा। साथ ही राजनीति दलों को ज्यादे जिम्मेदारी के साथ लोकतांत्रिक पारदर्शिता बनानी होगी जिससे आम आदमी की सीधी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारत के विकास दर में गिरावट के बावजूद बिहार के विकास दर में लगातार वृद्धि की डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने सराहना की।

पटना, 3 जून, 2012

जब वित्त वर्ष 2011–12 की अंतिम तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने देश भर में एक साथ खतरे का संकेत दिया है और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गयी है और हालात कुछ–कुछ 1991 के आर्थिक संकट जैसे बनते जा रहे हैं, वैसे समय में बिहार में 2011–12 वर्ष में 13.13 प्रतिशत विकास दर के साथ लगातार दूसरी बार सबसे तेज विकास दर प्राप्ति समस्त बिहारवासियों के लिए शानदार उपलब्धि और गौरव का विषय है। इस उपलब्धि से स्थापित होता है कि बिहार में आर्थिक नव जागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। बिहार की बदलती तस्वीर पूरे देश के जनतांत्रिक भविष्य के लिए आशा का आधार बनती जा रही है। बिहार के नवनिर्माण में जुटी श्री नीतीश कुमार की सरकार ने काम के बंटवारे की जनतांत्रिक मर्यादा को बड़ी प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है। प्रशासन में बाहुबली नेताओं का खौफ कम हुआ है। किसानों, दस्तकारों, व्यापारियों, उद्यमियों और छात्रों, युवाओं के रूप में बिहार की जनता को अपनी बुनियादी समस्याओं के बारे में राज्य सरकार के साथ सार्थक संवाद संभव हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि सूबे में बदलाव की शक्ति हावी है। बदलाव एक सतत प्रक्रिया है। राज्य की राजनीति में विकास की प्रक्रिया अग्रसर है। राज्य के प्रशासनिक ढांचे में सुधार हुआ है और इस पर कोई दूसरी शक्ति हावी होती नहीं दिखी। राज्य से संबंधित आर्थिक तरक्की के आंकड़े बेहतर तस्वीर पेश कर रहे है, जिसमें बदलाव की शक्ति के हावी होने का प्रमाण मिल रहा है।

बिहार में बड़ी चुनौती है, विकास दर में लगातार सुधार हो रहा है। परंतु बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि हाने के बावजूद भी भारत की औसत आमदनी का 30 प्रतिशत है। महाराष्ट्र तथा पंजाब की तुलना में यह साढ़े चार गुना कम है। बिहार में पहले विकास दर बहुत की थी, इधर तेज हुई है। अब राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी सफल प्रयास हो रहा है। गत छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल गया है। राज्य में आधारभूत सुविधा में विस्तार, वित्तीय अनुशासन में सुधार, प्रशासन में उत्तरोत्तर सुधार, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास के परिणाम स्वरूप ही यह विकास दर की प्राप्ति हुई है। बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा बेहद और लगातार बनी हुई रही है। सरकार की रणनीति से भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हो रहा है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ किदबईपुरी,, पटना–1

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार के विकास दर में लगातार हुई वृद्धि को कायम रखने के लिए औद्योगिक विकास दर बढ़ानी होगी– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 4 जून, 2012

बिहार में 2011–12 वर्ष में 13.13 प्रतिशत विकास दर के साथ लगातार दूसरी बार सबसे तेज विकास दर प्राप्ति समस्त बिहारवासियों के लिए शानदार उपलब्धि और गौरव का विषय है। इस उपलब्धि से स्थापित होता है कि बिहार में आर्थिक नव जागरण लाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। आर्थिक विकास दर में हुई बढ़त को कायम रखने के लिए औद्योगीकरण बेहद जरूरी है। बिहार में कृषि क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। ऐसे में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और बिहार विकास के हर मामले में दूसरे राज्यों को पीछे छोड़ सकता है। बिहार की बदलती तस्वीर पूरे देश के जनतांत्रिक भविष्य के लिए आशा का आधार बनती जा रही है। बिहार के नवनिर्माण में जुटी श्री नीतीश कुमार की सरकार को बिहार विभाजन के बाद इस प्रदेश को सड़क तथा बिजली जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं के लिए एक मुश्त समयबद्ध विशेष केन्द्रीय सहयोग चाहिए। राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरूस्त करने के लिए भारी–भरकम राशि खर्च कर रही है। इससे निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों की स्थिति में भी उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है, जिससे बिहार में लोगों को रोजगार के मौके मिले और खर्च में वृद्धि हुई है फलतः पलायन में भी कमी आयी है।

बिहार में प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि हाने के बावजूद भारत की औसत आमदनी का 30 प्रतिशत है। महाराष्ट्र तथा पंजाब की तुलना में यह साढ़े चार गुना कम है। बिहार में पहले विकास दर बहुत कम थी, इधर तेज हुई है। अब राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी सफल प्रयास हो रहा है। गत छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते हीं बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल गया है। राज्य की आधारभूत सुविधाों में विस्तार, वित्तीय अनुशासन में सुधार, प्रशासन में उत्तरोत्तर सुधार, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास के परिणाम स्वरूप ही इस विकास दर की प्राप्ति हुई है। बिहार में विकास एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा बेहद और लगातार बनी हुई रही है। सरकार की रणनीति से भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हो रहा है। जब वित्त वर्ष 2011–12 की अंतिम तिमाही के जीडीपी आंकड़ों ने देश भर में एक साथ खतरे का संकेत दिया है और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गयी है और हालात कुछ–कुछ 1991 के आर्थिक संकट जैसे बनते जा रहे हैं वैसे समय में बिहार की प्रगति और उच्च विकास दर की प्राप्ति अत्यंत हीं सराहनीय है।

(डॉ॰ प्यारे लाल)
निदेशक

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 7 जून, 2012

आज पत्र द्वारा डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने शिक्षा मंत्री, श्री प्रशांत कुमार शाही का ध्यान मैथिली भाषा–भाषियों की 7 सूत्री मांगों पर आकृष्ट करते हुए पत्र में कहा है कि मिथिलांचल में मैथिली भाषा–भाषियों खासकर दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपना मंतव्य प्रकट करने का मुख्य माध्यम मैथिली ही है। सम्पूर्ण बिहार के अलावे देश के कई अन्य राज्यों में मैथिली भाषा–भाषी रहते हैं। वे लोग अपने बच्चों को प्राथमिक कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक मैथिली मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दिलाने के लिए व्यग्र है। यह भाषा संघ लोक सेवा आयोग एवं बिहार लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा में ऐच्छिक विषय के रूप में समाविष्ट है। अतः मैथिली भाषा–भाषियों की मनोभावना के आलोक में डा॰ मिश्र ने सरकार से अपील की है कि छात्रों को मैथिली मातृभाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाए।

(1) यह कि विभिन्न विश्वविद्यालयों के मैथिली विभाग में छात्र–छात्राओं की संख्या बढ़ी है। स्नातकोत्तर परीक्षा में छात्रों को कुल 16 (सोलह) पेपरों में परीक्षा देना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में डॉ॰ भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में मात्र 1 (एक) शिक्षक पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। शिक्षकों के अभाव में अध्ययन–अध्यापन प्रभावित हो रहा है। कृपया विश्वविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पद पर शीघ्र नियुक्ति करने की व्यवस्था कराई जाय।

(2) यह कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के अंतर्गत लंगट सिंह कॉलेज, एम॰डी॰डी॰एम॰ कॉलेज से कुछ शिक्षक अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और कुछ शिक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। फलस्वरूप शिक्षकों के अभाव में इन महाविद्यालयों में अध्ययनरत मैथिली भाषा के छात्र–छात्राओं का भविष्य अंधकार मे पड़ता नजर आता है। इसके लिए विश्वविद्यालय स्तर से भी कोई पहल नहीं किया जा रहा है। कृपया जबतक रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर ली जाती है तबतक विश्वविद्यालय नियमानुसार अर्हता प्राप्त शिक्षकों से हीं अन्य कक्षाओं के तरह मैथिली भाषा का कक्षा संचालन की व्यवस्था कराई जाय।

(3) यह कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध वैशाली, बेतिया तथा मोतिहारी के किसी भी कॉलेज में मातृभाषा मैथिली की पढ़ाई नहीं हो रही है जबकि इन क्षेत्रों में भी मैथिली पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं का अभाव नहीं है। आवश्यकता है व्यवस्था एवं अवसर प्रदान कराने की।

(4) यह कि +2 के पाठ्यक्रम में मातृभाषा मैथिली को पूर्व में अनिवार्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी जिसे अभी ऐच्छिक विषय के रूप में मान्यता दे दी गई है। कृपया इसे संशोधित कर +2 के विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करने की व्यवस्था की जाय।

(5) यह कि वर्तमान में बिहार के सभी विद्यालयों के सभी वर्ग के पाठ्यक्रम में मैथिली भाषा रखी गई है। किन्तु सरकारी स्तर पर एक भी मैथिली शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति अनिवार्य प्रतीत होती है।

(6) यह कि सामान्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में बच्चों को मातृ–भाषा के माध्यम से शिक्षा देने पर जोर दिया गया है किन्तु मिथिलांचल के प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चत्तर शिक्षा तक मातृभाषा के माध्यम से कहीं भी बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही है।

(7) यह कि बिहार के दो तिहाई से अधिक लोगों की मातृभाषा मैथिली है। मैथिली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, किन्तु दुःख है कि मैथिली भाषा को द्वितीय राजभाषा एवं कार्यालयीय भाषा बनाने पर पहल नहीं की जा रही है।

अन्त में डा॰ मिश्र ने शिक्षा मंत्री, श्री शाही जी से जोरदार शब्दों में मांग की है कि मैथिली भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाय। प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक के लिए मैथिली शिक्षकों की नियुक्ति की जाय तथा द्वितीय राजभाषा एवं कार्यालयीय भाषा बनाने पर भी विचार की जाय।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

श्री लालू प्रसाद के 65वें जन्म–दिन के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र की शुभकामना

पटना, 11 जून, 2012

दूरभाष द्वारा माननीय डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने श्री लालू प्रसाद, पूर्व रेल मंत्री के 65वें जन्म–दिन के अवसर पर शुभकामना दी और उनकी लम्बी जीवन की कामना करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत की राजनीत में एक छोटे से स्तर से उठकर अपने कार्यों के बल पर उन्होंने अपनी स्वतंत्र पहचान बनायी। श्री प्रसाद ने विभिन्न पदों पर रहकर देश की उल्लेखनीय सेवा की है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

संस्कृत विरासतों को पुनर्जीवित करने के लिए अकादमी का पुनर्गठन करे सरकार – डा॰ जगन्नाथ मिश्र

पटना, 13 जून, 2012

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने पत्र के माध्यम से बिहार राज्य संस्कृत अकादमी की ओर राज्य के शिक्षा मंत्री प्रशान्त कुमार शाही का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में संस्कृत के गौरवशाली विरासतों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए अकादमी में स्थायी अध्यक्ष, निदेशक–सह–सचिव सहित कार्यसमिति एवं सामान्य समिति का गठन शीघ्र किया जाय।

डा॰ मिश्र ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा विभाग ने संस्कृत भाषा एवं साहित्य के विकास तथा भारतवर्ष के प्राचीन संस्कृति की गौरवमयी परंपरा के पोषण, एवं संरक्षण के उद्देश्य से राज्य में संस्कृत अकादमी की स्थापना का जो संकल्प लिया था वह अकादमी की स्थापना के 25–26 वर्षो में भी कार्यान्वित नहीं हो सकी है। अकादमी में कार्यसमिति एवं सामान्य समिति का अस्तित्व में नहीं रहना इसका कारण रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय पदाधिकारियों के अतिरिक्त प्रभार में अकादमी मृतप्राय हो चुकी है क्योंकि विभागीय कार्यभार के कारण उनके लिए अकादमी के कार्य कलापों पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि राज्य में सरकार की प्रतिबद्धता के अनुकूल भाषा सांस्कृतिक विकास की दिशा सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि भाषायी अकादमियों की कार्य समिति में भाषा विशेषज्ञ, समाज सेवी, साहित्य सेवी एवं संस्कृति सेवियों का चयन कर कार्यसमिति एवं सामान्य परिषद् के सदस्यों का मनोनयन शीघ्र करायी जाय। उन्होंने कहा कि राष्ट स्तर पर संस्कृत की सबसे समृद्ध विरासत बिहार में है और यहाँ संस्कृत अकादमी जैसी संस्था का मृतप्राय रहना दुःखद है ।

डा॰ मिश्र ने कहा कि सुशासन में राज्य के सर्वागीण विकास की जो परिकल्पना की गयी है उसमें भाषा सांस्कृतिक विकास भी शामिल है और इसके लिए राज्य सरकार ने उदारतापूर्वक अकादमियों में बजट का प्रावधान भी किया है किन्तु विभागीय स्तर पर अकादमी का विधिवत संचालन नहीं होने से भाषा सांस्कृतिक विकास अवरूद्ध है ।

डा॰ मिश्र ने शिक्षा मंत्री से इस दिशा में कारगर कार्रवाई करने का आग्रह करते हुए कहा है कि विकास का समुचित वातावरण बने तो आज भी बिहार भाषा सांस्कृतिक गौरव को पुनः प्रतिष्ठित करने में सफल हो सकती है संस्कृत अकादमी जैसी राज्य की भाषा अकादमियाँ।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा देश का नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति द्वारा ही कराये जाने की घोषणा का डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा स्वागत एवं मुख्यमंत्री को बधाई दी है।

पटना, 15 जून, 2012

इस समय राष्ट्र साम्प्रदायिक, आतंकवादी, नक्सलवादी तथा माओवादी संकटों से लगातार घिरा हुआ है। वैसे समय में धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति को हीं अगले लोक सभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनाया जाना राष्ट्र हित में सर्वथा उचित है। इस पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की घोषणा का स्वागत करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि राष्ट्र को साम्प्रदायिकता–उग्रवादी शक्तियों से मुकाबले के लिए एक सर्वमान्य नेतृत्व की आवश्यकता है। इसे हीं दृष्टि में रखकर श्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अगला नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति द्वारा ही जो राज धर्म का निर्वहन करने में सक्षम हों। यह घोषणा निश्चित रूप से सर्वथा राष्ट्रीय हित में उचित है। वैसे भाजपा के नेतृत्व पर कट्टरवादी शक्तियों का पुनः नियंत्रण होने की संभावना बढ़ रही है। श्री लालकृष्ण आडवाणी जो श्री वाजपेयी के बाद मान्य नेता थे, उन्हें एकाकी करने की चेष्टा की जा रही है। श्री नरेन्द्र मोदी को भाजपा का नेतृत्व सौंपे जाने का अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ओर से चलाया जा रहा है। श्री नीतीश कुमार एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हैं। उनकी प्रतिबद्धता प्रमाणित है। उन्होंने भागलपुर दंगा की पुनः जाँच करबाने तथा प्रभावित लोगों को पेन्सन के अतिरिक्त अल्पसंख्यक के लिए अनेक योजना का कार्यान्वयन ने अल्पसंख्यक में उनके प्रति विश्वास स्थापित हुआ है। उन्होंने साम्प्रदायिक तत्वों से न कभी समझौता की और न अपनी कार्यशैली तथा कांर्यक्रमों में वैसे तत्वों से अपने को प्रभावित होने दिया है। इस देश की एकता के लिए नेतृत्व धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ही कर सकता है। जिस व्यक्ति की छवि साम्प्रदायिक बनी है तथा जिनका हजारों मुसलमानों की निर्मम हत्या से जुड़ा हो और जो भारतीय संविधान की मूल अवधारणा का निर्वहन नहीं कर सका हो। वैसे छवि के लोग देश में नेतृत्व प्रदान कभी भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में रहते हुए भी श्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के भीतर श्री नरेन्द्र मोदी की छवि अगले नेतृत्व के लिए उभारे जाने की संभावना को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक अभियान चलाने वालों को स्पष्ट कर दिया है कि धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति ही देश का नेतृत्व कर सकता है और उन्हें मोदी जैसे छवि वाला व्यक्ति स्वीकार्य नहीं होगा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री द्वारा श्री प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के लिये किये गये यू॰पी॰ए॰ के फैसला का स्वागत करते हुए विपक्षी दलों से अपील की गई है कि चुनाव निर्विरोध करावे।

पटना, 16 जून, 2012

यू॰पी॰ए॰ द्वारा श्री प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किये जाने पर पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि एक वरिष्ठ कांग्रेसी होने के नाते उन्होंने केन्द्र सरकार में वित्त, विदेश, इस्पात, रक्षा आदि अति महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री के रूप में इस देश की सेवा अत्यंत ही निष्ठापूर्वक 5 दशकों तक की है। प्रारंभ से ही श्री मुखर्जी तीव्रबुद्धि, धैर्यवान, अध्ययनशील, विनम्र, दृढ़निश्चयी, कठोर परिश्रमी, संघर्षशील तो रहे ही हैं दलीय निष्ठा के लिये अपनी बुद्धि और कठोर मिहनत से अपने दल और अपनी सरकार को अनेक संकटपूर्ण समस्याओं से उबारा भी है और इस कारण से सरकार और दल के स्तरों पर ये संकटमोचक के नाम से विख्यात हैं, समादृत हैं। विदेशों में और यू॰एन॰ओ॰ में इनकी छवि ऐतिहासिक हो गयी है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति उनकी निष्ठा लगातार बनी रही। 1969 और 1971 में कांग्रेस विभाजन के समय आर्थिक नीतियों के आधार पर उन्होंने इन्दिरा जी का साथ दिया था। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में योजना को नया आयाम देने पर श्री पी॰वी॰ नरसिंह राव सरकार की नई आर्थिक नीतियों को कार्यान्वित कराया। राष्ट्रपति के लिए जिन नामों की चर्चा रही उनमें उनका (श्री मुखर्जी का) व्यक्तित्व, योग्यता, अनुभव एवं दूरदृष्टि के लिएमहत्वपूर्ण रहा है। सभी विपक्षी दलों विशेषकर भाजपा एवं जद (यू॰) से अपील की है कि राष्ट्रपति कार्य की मर्यादा को देखते हुए राष्ट्रपति का निर्विरोध चुनाव करायें।

डा॰ मिश्र ने कहा कि यू॰पी॰ए॰ अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में विद्वान, बुद्धिमान, अनुभवी, ईमानदार और सक्षम श्री मुखर्जी को भारत गणराज्य के राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाये जाने से इस देश और देश के लोगों के हितों की रक्षा, देश की आर्थिक प्रगति भारतीय गणतंत्र की पक्की मजबूती और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने का यह एक अहम फैसला है। डा॰ मिश्र ने देश के सभी दलों से श्री प्रणब मुखर्जी को सहयोग और इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुनने की विनम्र अपील करते हुए विशेष रूप से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से राजग का सम्पूर्ण सहयोग दिलाने हेतु पुरजोर अनुरोध किया है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री प्रणब मुखर्जी को सर्वानुमति से राष्ट्रपति नहीं होने देने निर्णय पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने विस्मय प्रकट किया।

पटना, 21 जून, 2012

राष्ट्रपति चुनाव में दुनिया को राजनीतिक एकता का संदेश देने के उद्देश्य से श्री प्रणब मुखर्जी को सर्वानुमति से राष्ट्रपति चुना जाना बड़ा ही उपयुक्त होता, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यही राय दी थी। इसका मतलब इतना ही है कि श्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर मानते हैं और इस पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रत्याशी को निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति भवन भेजना चाहते हैं। श्री नीतीश कुमार के इस स्पष्ट संदेश पर उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा को विचार करना चाहिये था। परंतु यह विस्मयकारी है कि मत की गणित आंकने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने श्री प्रणब मुखर्जी का विरोध करने का निर्णय लेकर एक ओछी और संकीर्ण राजनीति का परिचय दिया है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का अंतर्विरोध को दर्शाता है। राजग में सम्मिलित रहने के बावजूद भी जनता दल (यू॰) ने भारतीय जनता पार्टी का निर्णय स्वीकार नहीं कर श्री प्रणब मुखर्जी का समर्थन का निर्णय लिया है, जो अत्यंत ही सरहानीय और उचित है। यह सर्वविदित है कि राष्ट्रपति चुनाव में श्री मुखर्जी का व्यक्तित्व इस समय सर्वश्रेष्ठ है। उनकी शैक्षणिक, प्रशासनिक योग्यता, राजनीतिक कर्मठता, अनुभव और दूरंदेशी की सोच वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश व्यापार मंत्री के रूप में राष्ट्र के समक्ष प्रमाणित हो चुकी है। उनकी राजनीतिक सूझबूझ, अनुभव और ज्ञान ने कांग्रेस पार्टी की संगठनात्मक संचालन और सत्ता के कामकाज में उन्हें संकटमोचक का स्थान दिया। उन्होंने अपनी योग्यता और अनुभव का छाप संपूर्ण राष्ट्र पर छोड़ी है। श्री प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनका विरोध नहीं होना चाहिए। भाजपा द्वारा उनके विरोध का यह कारण हो सकता है कि वे एक पक्के तौर पर कांग्रेसी हैं। परंतु स्मरण होना चाहिए कि जब कभी भी राष्ट्रीय हितों का सवाल आया है वे दलगत भावनाओं से उपर उठकर उन्होंने फैसला किया है और अपने को एक सच्चे भारतीय के रूप में प्रमाणित किया है। उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना है। उसका बड़ा प्रमाण परमाणु समझौता है जिसे करने के लिए डॉ॰ मनमोहन सिंह, सरकार की बलि देने की हद तक अड़े थे। वह वैसा समय था जब अमेरिका सभी शर्त्तें भारत पर लाद देता परंतु श्री प्रणब मुखर्जी की वह दूरदृष्टि थी कि उन्होंने अमेरिका जैसे देश को मजबूर कर दिया कि वह भारत के खिलाफ इसके पहले परमाणु परीक्षण के बाद लागू प्रतिबंधों को हटाने का ख्वाब दिखाकर पुनः परीक्षण करने की शर्त्तें बांधने की इच्छा नहीं रखे। परमाणु करार समझौता सबसे पेंचीदा भरा है। उन उलझनों के बीच श्री मुखर्जी ने साफ रास्ता निकालकर भारत के परमाणु परीक्षण की स्वात्तता बरकरार रखी। श्री मुखर्जी के प्रयास से ही अमेरिकी संसद की मुहर समझौते पर लगी और पक्का किया कि अमेरिका का आनेवाला राष्ट्रपति उससे बाहर जाने की हिम्मत न कर सके। परमाणु समझौता श्री प्रणब मुखर्जी की अग्नि परीक्षा थी। इसलिए उन्होंने हर कदम पर बड़ी सावधानी रखी। इस पर भारतीय जनता पार्टी को गौर करना चाहिए था। उन्हें श्री प्रणब को केवल कांगेसी नेता नहीं मानना चाहिये था। निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का श्री प्रणब का विरोध करना राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध होगा। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तस्वीर देखने के बजाए छोट–मोटी लड़ाइयों में उलझी है। वास्तव में श्री प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी के सामने दलीय हित नहीं वरन राष्ट्रीय हित प्रमुख है। इस परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए श्री प्रणब मुखर्जी के समर्थन देने का निर्णय अत्यंत ही सराहनीय और उचित है।

भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव में जो दृष्टि रखी है उससे लगता है कि अब वह चौराहे पर आ गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसके पास कोई उम्मीदवार नहीं है, पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने के बजाए कांग्रेस की कमजोरी पर दाव लगाया है। राष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन ऐसा बिखरा कि उसे निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ रहा है। जो अपना घर न संभाल सकता है उन्हें देश की जिम्मेवारी कैसे दी जा सकती है। जनतंत्र में चुनाव अच्छी बात है परंतु कभी–कभी चुनाव के मैदान में न होना भी अच्छी रणनीति होती है। भाजपा राष्ट्रपति चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के बजाए उनका बिखरा हुआ गठबंधन दीख रहा है।

(विदयानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय जनता पार्टी का श्री प्रणब मुखर्जी को सर्वानुमति से राष्ट्रपति नहीं होने देने निर्णय विस्मयकारी– डा॰ जगन्नाथ मिश्र

पटना, 23 जून, 2012

राष्ट्रपति चुनाव में दुनिया को राजनीतिक एकता का संदेश देने के उद्देश्य से श्री प्रणब मुखर्जी को सर्वानुमति से राष्ट्रपति चुना जाना बड़ा ही उपयुक्त होता, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यही राय दी थी। इसका मतलब इतना ही है कि श्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद को राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर मानते हैं और इस पद की प्रतिष्ठा के अनुरूप प्रत्याशी को निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति भवन भेजना चाहते हैं। श्री नीतीश कुमार के इस स्पष्ट संदेश पर उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा को विचार करना चाहिये था। परंतु यह विस्मयकारी है कि मत का गणित आंकने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने श्री प्रणब मुखर्जी का विरोध करने का निर्णय लेकर एक ओछी और संकीर्ण राजनीति का परिचय दिया है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंतर्विरोध को दर्शाता है। राजग में सम्मिलित रहने के बावजूद जनता दल (यू॰) ने भारतीय जनता पार्टी का निर्णय स्वीकार नहीं कर श्री प्रणब मुखर्जी के समर्थन का निर्णय लिया है, जो अत्यंत ही सरहानीय और उचित है। यह सर्वविदित है कि राष्ट्रपति चुनाव में श्री मुखर्जी का व्यक्तित्व इस समय सर्वश्रेष्ठ है। उनकी शैक्षणिक, प्रशासनिक योग्यता, राजनीतिक कर्मठता, अनुभव और दूरदर्शी सोच, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश व्यापार मंत्री के रूपों में राष्ट्र के समक्ष प्रमाणित हो चुकी है। उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनके अनुभव और ज्ञान ने कांग्रेस पार्टी के संगठनात्मक संचालन और सत्ता के कामकाज में उन्हें संकटमोचक का स्थान दिया। उन्होंने अपनी योग्यता और अनुभव की छाप संपूर्ण राष्ट्र पर छोड़ी है। श्री प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनका विरोध नहीं होना चाहिए। भाजपा द्वारा उनके विरोध का यह कारण हो सकता है कि वे एक पक्के तौर पर कांग्रेसी हैं। परंतु स्मरण होना चाहिए कि जब कभी भी राष्ट्रीय हितों का सवाल आया है, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर उन्होंने फैसला किया है और अपने को एक सच्चे भारतीय के रूप में प्रमाणित किया है। उन्होंने राष्ट्र हित को सर्वोपरि माना है। उसका बड़ा प्रमाण परमाणु समझौता है जिसे करने के लिए डॉ॰ मनमोहन सिंह, सरकार की बलि देने की हद तक अड़े थे। वह वैसा समय था जब अमेरिका सभी शर्त्तें भारत पर लाद देता परंतु श्री प्रणब मुखर्जी की वह दूरदृष्टि थी कि उन्होंने अमेरिका जैसे देश को मजबूर कर दिया कि वह भारत के खिलाफ इसके पहले परमाणु परीक्षण के बाद लागू प्रतिबंधों को हटाने का ख्वाब दिखाकर पुनः परीक्षण करने की शर्त्तें बांधने की इच्छा नहीं रखे। परमाणु करार समझौता सबसे पेंचीदा भरा है। उन उलझनों के बीच श्री मुखर्जी ने साफ रास्ता निकालकर भारत के परमाणु परीक्षण की स्वायत्तता बरकरार रखी। श्री मुखर्जी के प्रयास से ही अमेरिकी संसद की मुहर समझौते पर लगी और पक्का किया कि अमेरिका का आनेवाला राष्ट्रपति उससे बाहर जाने की हिम्मत न कर सके। परमाणु समझौता में श्री प्रणब मुखर्जी की अग्नि परीक्षा थी। इसलिए उन्होंने हर कदम पर बड़ी सावधानी रखी। इस पर भारतीय जनता पार्टी को गौर करना चाहिए था। उन्हें श्री प्रणब को केवल कांग्रेसी नेता नहीं मानना चाहिये था। निश्चित रूप से आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का श्री प्रणब का विरोध करना राष्ट्रीय हितों के विरूद्ध है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी तस्वीर देखने के बजाए छोट–मोटी लड़ाइयों में उलझी है। वास्तव में श्री प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी के सामने दलीय हित नहीं वरन राष्ट्रीय हित प्रमुख है। इस परिस्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए श्री प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने हेतु लिया गया निर्णय अत्यंत ही सराहनीय और उचित है।

भाजपा ने राष्ट्रपति चुनाव में जो दृष्टि रखी है उससे लगता है कि अब वह चौराहे पर आ गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए उसके पास कोई उम्मीदवार नही है, पार्टी ने अपनी ताकत बढ़ाने के बजाए कांग्रेस की कमजोरी पर दाव लगाया है। राष्ट्रपति चुनाव में गठबंधन ऐसा बिखरा कि उसे निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देना पड़ रहा है। आम जनता भाजपा से यह जानना चाहेगी कि वह मुख्य विपक्षी दल होते हुए भी राष्ट्रपति पद के लिए अपना कोई सशक्त प्रत्याशी क्यों नहीं सामने ला सकी? आम जनता में तो यही संदेश गया कि वह श्री संगमा को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुई। परिस्थितियों का सार है कि संगमा–प्रणब मुखर्जी को कोई कड़ी टक्कर देने की स्थिति में नहीं होंगे। उनकी पराजय लगभग तय नजर आ रही है। भाजपा के समर्थन के बावजूद श्री प्रणब मुखर्जी के मुकाबले संगमा की स्थिति कमजोर है। भाजपा अब महज विरोध के लिए विरोध करती नजर आएगी। वह न तो समय रहते राष्ट्रपति पद के लिए अपना कोई सशक्त उम्मीदवार तलाश सकी और न ही अपने गठबंधन को एकजुट रख सकी। यह निराशाजनक है कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में भाजपा सशक्त विपक्षी दल की भूमिका का सही तरह निर्वहन करने में अक्षम साबित हुई। वह राजग के अंदर तो दूर रहा, भाजपा के अंदर भी कोई साझा राय नहीं कायम कर सकी। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा अलग–थलग नजर आ रही है। उसने एक बार फिर खुद को कमजोर संशयग्रस्त साबित किया है। श्री प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा कारण उनकी छवि और उनका राजनीतिक कद है। लगभग चार दशकों के अपने राजनीतिक केरियर से उन्होंने जो साख अर्जित की है उसने उनका काम कहीं अधिक आसान कर दिया हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों की तरह आम जनता का एक बड़ा वर्ग भी यह मानकर चल रहा है कि मौजूदा स्थितियों में श्री प्रणब मुखर्जी सबसे बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे। जनतंत्र में चुनाव अच्छी बात है परंतु कभी–कभी चुनाव के मैदान में न होना भी अच्छी रणनीति है। भाजपा राष्ट्रपति चुनाव मे अपनी ताकत दिखाने के बजाए अपना बिखरा हुआ गठबंधन दिखा रहा है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)
के निजी सचिव

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 24 जून, 2012

माननीय डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री के **76वें** जन्म–दिन के अवसर पर भारत साधु समाज के महासचिव, स्वामी हरिनारायणानन्द समेत समाज के विभिन्न वर्गो के सैकड़ों लोगों ने आवास पर बधाई दी और उनके दीर्घायु होने की कामना की। लोगों ने अपने बधाई–संदेश में, डा॰ मिश्र द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में किये गये अनेक उल्लेखनीय निर्णयों एवं कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी और दीर्घ जीवन की कामना की।

आज डा॰ मिश्र के जन्म–दिन के अवसर पर उनके निजी आवास में सत्यनारायण भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक सम्पन्न की गई जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति थी।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ किदबईपुरी,, पटना–1

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना एवं मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में अन्य वर्षों की भांति डा॰ जगन्नाथ मिश्र के 76वें जन्म–दिन के अवसर पर ''बिहार की पीड़ा से जुड़िए'' कार्यक्रम की कड़ी में ''कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए हरित क्रान्ति'' विषय पर आयोजित परिसंवाद।

पटना, 24 जून, 2012

आज यहाँ बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना एवं मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के संयुक्त तत्वावधान में अन्य वर्षों की भांति डा॰ जगन्नाथ मिश्र के **76वें** जन्म–दिन के अवसर पर **''बिहार की पीड़ा से जुड़िए''** कार्यक्रम की कड़ी में **''कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए हरित क्रान्ति''** विषय पर ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान के सभागार में आयोजित परिसंवाद का उद्घाटन करते हुए श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने कहा कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, साथ ही सभी विकास सूचकों के दृष्टिकोणों से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सभी क्षेत्रों में सबसे कम योजना परिव्यय तथा उद्योग एवं कृषि प्रक्षेत्र में निवेश का निम्न स्तर है। हमारी रणनीति की हृदयस्थली में ''कृषि'' को ही होना चाहिए। इस क्षेत्र में अभिनव विचारों को शामिल करने की आवश्यकता है। चर्चित हरित क्रांति के लक्षित दायरे में देश के पूर्वी इलाके को कभी नहीं शामिल किया गया था, जबकि इस इलाके में कृषि उत्पादन की दृष्टि से उत्तम भूमि, सिंचाई जल की प्रचुरता और परंपरागत खेती का सुदीर्घ इतिहास रहा है। अतः कृषि के परिप्रेक्ष्य में हमारी रणनीति ऐसी हो कि इन अनुपयोगी जमीनों को कृषि योग्य भूमि में तब्दील करते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाय। हमें परिस्थिति की कृषि प्रणाली के माध्यम से स्थायी कृषि विकास का मार्ग प्रशस्त करना होगा। कृषि उत्पादकता एवं फायदा में वृद्धि का हर प्रयास दक्षता–केन्द्रित होना चाहिए।

परिसंवाद की अध्यक्षता, संस्थान के अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने सम्बोधित करते हुए कहा कि कृषि संबंधित विभिन्न गंभीर समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ ठोस उपाय करने पड़ेंगे। कृषि क्षेत्र के धीमे विकास के फलस्वरूप समूची अर्थव्यवस्था का विकास कम हो गया है। अल्प पूंजी निवेश, उत्पादकता में कमी, भूमि का खंडीकरण, बाढ़ एवं सुखाड़, फसलों की विफलता, अपर्याप्त सिंचाई, अत्यधिक ऋण का भार, साहूकारी ऋण पर अधिक निर्भरता में लागत में वृद्धि, कर्ज पर अत्यधिक सूद की अदायगी, संस्थागत वित्तीय ऋण एवं पोषण का अभाव, उत्पादित अनाज का उत्पादकता मूल्य की तुलना में लाभकारी मूल्य का प्राप्त नहीं होना, सरकार द्वारा घोषित अनाज के लिए समर्थन मूल्य पर किसानों की उत्पाद की खरीदारी नहीं होना आदि कृषि क्षेत्र की मुख्य समस्या है। राज्य के ढांचे के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त, राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने का भी प्रयास हो रहा है। गत छः वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के चलते बिहार असफल राज्य से क्रियाशील राज्य (फंक्शनल स्टेट) में बदल रहा है।

मुख्य वक्ता– डॉ॰ टी॰ हक॰, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि लागत मूल्य आयोग, भारत सरकार ने कहा कि अब कृषि विकास की गति हासिल करने के लिए देश के सामने तीन लक्ष्य होने चाहिए–खाद्यान्न आत्मनिर्भरता, उचित बफर स्टॉक और अनाज का बड़े पैमाने पर विदेश को निर्यात। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टि से काम करना होगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग और कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्द्धन करना पड़ेगा।

डॉ॰ नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय ने कहा कि राज्य में ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने और किसानों की हालत सुधारने तथा कृषि कार्य को बढ़ावा देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि पूरी ताकत के साथ भूमि सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाएं।

डॉ॰ शैवाल गुप्ता, सदस्य सचिव, आद्री ने कहा है कि भूमि सुधार कानून को लागू करने के लिए प्रथम कार्रवाई भूमि अभिलेखों का अद्यतन कराना है जिसकी आवश्यकता कृषकों को ऋण के लिए भी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा पैदावार बढ़ाने की दिशा में चकबंदी भूमि सुधार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। बिहार राज्य में कृषि उत्पादकता की कमी का प्रमुख कारण जोतों का खंडीकरण है।

श्री गोरेलाल यादव, भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰) ने कहा कि भारत ही नहीं समूची दूनिया पर आज महंगाई की मार पड़ रही है। इस महंगाई से निबटने का सबसे कारगर और अचूक उपाय है कृषि उत्पादन बढ़ाना।

अमेरिका की संस्था, 'ग्रामीण विकास' के भारत में प्रभारी डॉ॰ ग्रेगरी रेक ने कहा कि बिहार में इस संस्था के क्रियाकलापों का बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के माध्यम से विस्तार किया जाए।

प्रारंभ में संस्थान के निदेशक, डॉ॰ प्यारे लाल ने संस्था के क्रियाकलापों पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि संस्थान ने 30 से अधिक परियोजनाओं का सफलतापूर्वक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें ग्रामीण कृषि, ग्रामीण विकास, श्रम, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाएं सम्मिलित है।

डॉ॰ कलानाथ मिश्र ने मंच का संचालन किया एवं श्री रामउदार झा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

परिसंवाद में पूर्व कुलपति, श्री आई॰सी॰ कुमार, भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰), श्री आर॰यू॰ सिंह, भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰), श्री कपिलदेव नारायण सिंह, प्रो॰ आई॰ए॰ खान, श्री श्याम बिहारी मिश्र, श्री बच्चा ठाकुर, भा॰प्र॰से॰ (अ॰प्रा॰), श्री रघुवीर मोची, आदि समाज के सभी क्षेत्रों से आये लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

(डॉ॰ प्यारे लाल)
निदेशक

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार की 2012–13 के लिए 28 हजार करोड़ वार्षिक योजना की स्वीकृत पर – डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त की।

पटना, 28 जून, 2012

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने योजना आयोग द्वारा वर्ष 2012–13 के लिये 28 हजार करोड़ वार्षिक योजना स्वीकृत करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि योजना आयोग ने बिहार के पिछले 6 वर्षों की प्रगति एवं विकास से संतुष्ट होकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने एवं अधिक संरचनात्मक सुविधाओं में विस्तार के लिये पिछले वर्ष की वार्षिक योजना के उद्व्यय में 30.9 प्रतिशत वृद्धि कर 28 हजार करोड़ की वार्षिक योजना स्वीकृत की है, जिसमें 46.1 प्रतिशत राज्य सरकार के संसाधनों से, 28.3 प्रतिशत कर्ज से और 25.6 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से आएगा। यह प्रसन्ता की बात है कि योजना आयोग ने बिहार की वित्तीय आवश्यकता पर विकसित राज्यों से अलग होकर विचार किया है। बिहार सरकार के प्रस्ताव पर आयोग ने हर साल 4000 हजार करोड़ की विशेष सहायता राशि देने पर सहमति जताई है। आयोग ने मान लिया है कि बिहार को विकास के राष्ट्रीय औसत तक लाने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में 11वीं योजना में 155 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। पिछले 6 वर्षों में विकास की गति को देखते हुए विश्व बैंक एवं अन्य बाह्य संस्थानों से मदद ली जा रही है जिसमें बाढ़ नियंत्रण, राष्ट्रीय राज मार्ग और नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सम्मिलित है, क्योंकि पिछले 6 वर्षों में विकास की बुनियादी संरचना सृजित हुई है। सरकार के प्रयत्नों से बिहार क्रियाशील राज्यों के रूप में परिवर्तित हुआ है। मुख्यमंत्री ने योजना आयोग को संतुष्ट किया है कि उनकी सरकार का मुख्य केन्द्र गरीबी निवारण और मानवीय विकास है। इसलिए उन्होंने संरचना के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता बतायी है। योजना आयोग इस बात से संतुष्ट है कि बिहार में बदलाव आने से बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की संभावना बढ़ रही है। 6 वर्षों में बिहार में राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, चीनी पैकेज, करों का सरलीकरण एवं अन्य कर सुधार के कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ है।

बिहार की अर्थव्यवस्था में लगातार आ रही तेजी के बदौलत 6 वर्षों के भीतर राज्य में प्रति व्यक्ति आय में 195 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2005–06 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 8353 रूपये थी जो वर्तमान दर पर 2011–12 में बढ़कर 24,681 रूपये हो गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–08 से 2011–12) के दौरान जीएसडीपी के स्थिर मूल्यों पर राज्य की विकास दर 12.08 प्रतिशत दर्ज की गई। योजना काल में 76,482 करोड़ रूपये की तुलना में 76,083 करोड़ रूपये खर्च किए गए। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉ॰ मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की है। आयोग ने माना है कि वित्तीय प्रबंधन में बड़े पैमाने पर सुधार से ही वित्तीय संसाधन को सफलतापूर्वक बढ़ाना संभव हो सका है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बिहार में बहुत प्रगति हुई है जो संतोषजनक है। आर्थिक, सामाजिक विकास के प्रत्येक सूचक पर बिहार ने अच्छा काम किया है। यह बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए भी शुभ संकेत है। योजना आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उठाया और कहा कि विशेष दर्जे को लेकर जो भी कसौटी निर्धारित की गयी है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए विशेषज्ञों की समिति बनायी जानी चाहिए, ताकि बिहार को विशेष दर्जा स्थान मिल सके। ऐसा होने पर ही बिहार में बाहरी निवेशक आकर्षित होंगे और बिहार प्रगति कर पायेगा, क्योंकि निजी एवं सार्वजनिक निवेश से ही बिहार उन्नत कर सकता है। पिछले वर्षों में निजी और सार्वजनिक निवेश राष्ट्रीय औसत से कम हुआ है। बिहार को अतिरिक्त सहायता दिये जाने की चर्चा तो बिहार पुनर्गठन विधेयक में पहले से ही है और इसके दायरे में ही बिहार की जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया करायी जानी चाहिए।

यह निर्विवाद है कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर। राज्य के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। 90 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित होते रहे हैं, परन्तु बिहार वंचित ही बना रहा है। पिछले 6 वर्षों में आन्तरिक संसाधन जुटाये जाने में बिहार सरकार की सफलता, राज्य मे आधारभूत सुविधा में विस्तार, वित्तीय अनुशासन में सुधार, प्रशासन में उत्तरोत्तर सुधार, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास के परिणाम स्वरूप ही यह विकास दर में वृद्धि हुई है, परन्तु विशेष केन्द्रीय सहायता के बगैर बिहार विकसित राज्य के समकक्ष नहीं आ सकता।

बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा बेहद और लगातार बनी हुई रही है। इस वार्षिक योजना की रणनीति से भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके विशेषकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हुआ है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रपति पद के भाजपा समर्थित उम्मीदवार श्री पी॰ए॰ संगमा और उनके समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति चुनाव प्रचार को म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन का चुनाव जैसा बना दिये जाने की कोशिश पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने विस्मय प्रकट किया।

पटना, 9 जूलाई, 2012

राष्ट्रपति पद के भाजपा समर्थित उम्मीदवार श्री पी॰ए॰ संगमा और उनके समर्थकों द्वारा राष्ट्रपति चुनाव प्रचार को दूषित किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया के एक बार शुरू हो जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। श्री प्रणब मुखर्जी अपने प्रचार की मर्यादा को बनाये रखने के लिए दृढ़ हैं। विरोध का मतलब यह नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति के चुनाव को म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन का चुनाव जैसा बनाने की कोशिश की जाय और सख्सियत के इकबाल को पामाल करने की चालें चली जायँ। श्री प्रणब मुखर्जी की सख्सियत के आगे देश के सभी राजनीतिक दलों से लेकर विभिन्न मोर्चो तक ने कोरे विरोध की जगह राजनीति के सृजनात्मक पहलू को आगे चलाने का फैसला किया है। भारत की राजनीति में इसे निश्चित रूप से शुभ संकेत कहा जायेगा। राष्ट्रपति किसी विशेष दल का नहीं होता वह पूरे देश का होता है। यही वजह है कि कांग्रेस के विरोधी मोर्चा राजग के दो महत्वपूर्ण घटक दलों, जनता दल (यू॰) और शिवसेना ने उन्हें अपना समर्थन दिया और वामपंथी मोर्चा के दो दलों, मार्क्सवादी पार्टी और फारवर्ड ब्लाक ने उनकी उम्मीदवारी के पक्ष में अपना समर्थन दिया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी श्री प्रणब दा का समर्थन कर रही हैं। केवल भाजपा देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी होने की वजह से प्रणब दा का समर्थन राजनीतिक हितों के चलते नहीं कर पायी वरना इस पार्टी में भी बहुत बड़ा गुट चाहता था कि प्रणब दा का विरोध करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इस स्थिति को राजनीतिक सर्वसम्मति की संज्ञा दी जा सकती है क्योंकि कांग्रेस के विरोधी दलों से राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव में दुनिया को राजनीतिक एकता का संदेश देने के उद्देश्य से श्री प्रणब मुखर्जी को सर्वानुमति से राष्ट्रपति चुना जाना बड़ा ही उपयुक्त होता। उनकी शैक्षणिक, प्रशासनिक योग्यता, राजनीतिक कर्मठता, अनुभव और दूरदर्शी सोच उनके वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, विदेश व्यापार मंत्री आदि के रूपों में राष्ट्र के समक्ष प्रमाणित हो चुकी है। उन्होंने अपनी योग्यता और अनुभव की छाप संपूर्ण राष्ट्र पर छोड़ी है। श्री प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनका विरोध नहीं होना चाहिए। उन्हें श्री प्रणब जी को केवल कांगेसी नेता नहीं मानना चाहिये था। श्री मुखर्जी के विरोधी उम्मीदवार श्री संगमा द्वारा अनर्गल आरोप लगाने से क्या परिस्थितियाँ बदल सकती हैं? श्री संगमा और उनके समर्थक अब प्रणब दा की सख्सियत पर विवाद खड़ा करना चाहते हैं क्योंकि यही उनकी सबसे बड़ी सम्पत्ति है जिसकी वजह से राजनीतिक दलों ने अपने विरोधों को दरकिनार रख कर उन्हें अपना समर्थन दिया है। बंगाल के केन्द्रीय कर्जो पर ब्याज माफी दी जाये और तीन साल के लिए इस पर पाबंदी लगा दी जाय तो भरी संसद में उन्होंने कहा था कि वे पं॰ बंगाल का जरूर हैं और इस राज्य के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारी भी है, मगर वित्त मंत्री वे पूरे देश के हैं और पं॰ बंगाल को नियमों के तहत ही किसी भी प्रकार की वित्तीय मदद या छूट दी जायेगी क्योंकि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप उसे कर्ज पर ब्याज माफी नहीं मिल सकती है। संसदीय इतिहास में ऐसा दो टूक उत्तर पं॰ नेहरू के बाद केवल श्री मुजर्खी ने ही अपने राज्य के बारे दिया था।

डा॰ मिश्र ने कहा कि श्री प्रणब मुखर्जी का राष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय नजर आ रहा है। निश्चित रूप से इसका सबसे बड़ा कारण उनकी छवि और उनका राजनीतिक कद है। लगभग चार दशकों के अपने राजनीतिक केरियर से उन्होंने जो साख अर्जित की है उसने उनका काम कहीं अधिक आसान कर दिया हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों की तरह आम जनता का एक बड़ा वर्ग भी यह मानकर चल रहा है कि मौजूदा स्थितियों में श्री प्रणब मुखर्जी सबसे बेहतर राष्ट्रपति साबित होंगे।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

अन्ना आन्दोलन का कल से प्रारंभ अनिश्चितकालीन उपवास उत्साहवर्द्धक नहीं रहा – डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 26 जुलाई, 2012

अन्ना आन्दोलन का कल से प्रारंभ अनिश्चितकालीन उपवास उत्साहवर्द्धक नहीं रहा। जंतर–मंतर पर वह भीड़ नदारत दिखी जो पहली बार जंतर–मंतर पर और फिर रामलीला मैदान में जुटी थी। टीम अन्ना इसे गांधी का रास्ता बता रही है, जबकि गांधी साहित्य में उपवास गांधी के लिए आत्मशुद्धि का यज्ञ हुआ करता था। बेशक भ्रष्टाचार वह रोग है जो इस देश की पूरी व्यवस्था में घुन की तरह लगा हुआ है। लेकिन इससे लड़ने के नाम पर जन लोकपाल बनाने या राष्ट्रपति और केन्द्रीय मंत्रियों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांगों के पीछे एक खास तरह का इकहरापन है। वह बतलाता है कि या तो टीम अन्ना समस्या के मूल में उतरने को तैयार नहीं है या फिर वह जान–बूझकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रही है जिसमें हमारी पूरी राजनीति अविश्वसनीयता दीखे। इनका आन्दोलन हमारे संसदीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर ठीक वैसे ही आघात कर रहा है, जैसे उसके भीतर बैठे भ्रष्ट और अपराधी तत्व कर रहे हैं। उनका साथ सबसे ज्यादा वे ताकतें दे रही हैं, जिन्हें भारत का बहुरैखिक और विषमकोणीय लोकतंत्र कई वजहों से असुविधाजनक लगता है। आखिर इस लोकतंत्र की वजह से उनके आर्थिक फैसले रूकते हैं, इसकी वजह से दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को वे हक मिलते हैं। अगर हम संसदीय लोकतंत्र की अपरिहार्यता को मंजूर करते हैं तो हमें अपनी लड़ाइयाँ भी इसी के तौर–तरीकों के तहत लड़नी होंगी। भ्रष्टाचार सिर्फ आर्थिक नहीं, एक राजनीतिक मसला भी है, जिसका वास्ता साधनों की गैर–बराबरी से है। कुछ लोगों के लगातार मजबूत होते विशेषाधिकार से– आखिर क्या वजह है कि इतने सारे भ्रष्टाचार वाली व्यवस्था में सबसे ज्यादा देश के पूंजीपति फल–फूल रहे हैं? जिनके बारे में कोई कुछ नहीं कहता? निस्संदेह, अगर हमारे संसदीय लोकतंत्र में पैसे और अपराध का बोलबाला बढ़ा है, अगर इससे भ्रष्ट और आपराधिक छवि के लोग चुनकर चले आ रहे हैं तो यह गलत है, लेकिन इसकी काट भी हमें इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर ही खोजनी होगी। भ्रष्ट लोगों से, ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था से एक सुसंगत वैचारिक और लम्बी राजनीतिक तैयारी के जरिए ही लड़ा जा सकता है। लेकिन जब टीम अन्ना ऐसे विकल्प देने उतरेगी तो उसे भ्रष्टाचार और काले पैसे की रट छोड़कर उसे पूरे आर्थिक उदारीकरण पर सवाल उठाने होंगे जिसमें भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा फले–फूले हैं। उसे उस सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाने होंगे जिसमें दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक खुद को इतना किनारे महसूस करते हैं कि अपनी ही जात और पहचान के किसी नेता के पीछे चलने में अपनी भलाई समझते हैं। अगर भारत सरकार उनकी सारी बातें मान ले, अगर 14 मंत्री इस्तीफा दे दें और जन लोकपाल मंजूर कर लिया जाए– जो क्या इससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? व्यवस्था में कड़े कानून कितने खतरनाक साबित होते हैं, इसके उदाहरण अनेक हैं। यह बात हैरान करती हैं कि जीवन भर टाडा, पोटा या सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानूनों के खिलाफ लड़ने वाले को ऐसा मजबूत जन लोकपाल क्यों चाहिए, जो हर किसी को जेल भेज सके, जिस पर किसी का अंकुश न चलता हो? न संसद का और न ही सरकार का? आखिर यह संसद और सरकार हमारी ही चुनी हुई हैं। अन्ना का आंदोलन अबतक बहुत जुमलाबाज किस्म का आंदोलन रहा है, जिसमें देश और नैतिक और बलिदान की खूब बातें होती हैं, लेकिन राजनीति, व्यवस्था और राष्ट्र से जुड़े वास्तविक प्रश्नों पर संजीदा विमर्श नहीं दिखता। कहने की जरूरत नहीं कि ऐसे जुमलाबाज आंदोलन फासीवादी ताकतों का ही रास्ता खोलते हैं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

समस्तीपुर 31 जुलाई, 2012

राज्य सरकार के प्रयत्नों से बिहार क्रियाशील राज्यों के रूप में परिवर्तित हुआ है। मुख्यमंत्री ने योजना आयोग को संतुष्ट किया है कि उनकी सरकार का मुख्य केन्द्र गरीबी निवारण और मानवीय विकास है। इसलिए उन्होंने संरचना के विकास के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता बतायी है। योजना आयोग इस बात से संतुष्ट है कि बिहार में बदलाव आने से बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश की संभावना बढ़ रही है। आयोग ने माना है कि वित्तीय प्रबंधन में बड़े पैमाने पर सुधार से ही वित्तीय संसाधन को सफलतापूर्वक बढ़ाना संभव हो सका है। उन्होंने स्वीकार किया है कि बिहार में बहुत प्रगति हुई है जो संतोषजनक है। आर्थिक, सामाजिक विकास के प्रत्येक सूचक पर बिहार ने अच्छा काम किया है। यह बिहार के लिए ही नहीं, देश के लिए भी शुभ संकेत है। योजना आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग को उठाया और कहा कि विशेष दर्जे को लेकर जो भी कसौटी निर्धारित की गयी है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसके लिए विशेषज्ञों की समिति बनायी जानी चाहिए, ताकि बिहार को विशेष दर्जा स्थान मिल सके। ऐसा होने पर ही बिहार में बाहरी निवेशक आकर्षित होंगे और बिहार प्रगति कर पायेगा, क्योंकि निजी एवं सार्वजनिक निवेश से ही बिहार उन्नत कर सकता है। पिछले वर्षों में निजी और सार्वजनिक निवेश राष्ट्रीय औसत से कम हुआ है।

मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर (दृष्टि पत्र) जारी करते हुए आशा जताई कि अगले पांच सालों में सूबे में प्रति व्यक्ति आमदनी राष्ट्रीय औसत तक पहुँच जाएगी। यह काम तब आसान हो जाएगा, जब प्रदेश को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा मिल जाएगा। उनके मुताबिक केन्द्र सरकार से 50,000 करोड़ की विशेष सहायता देने भी कहा गया है। एप्रोच पेपर में 12वीं योजना के लिए 2.72 लाख करोड़ का उद्व्यय प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के अनुसार 13 फीसद की विकास दर रखी जाएगी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 8.5 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य प्राप्त था, लेकिन 11 फीसद से अधिक की प्राप्ति हुई। इस बार कृषि विकास की दर 7 प्रतिशत रखी गई है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से दो बड़े फायदे होंगे–निवेशकर्ताओं को रियायतें मिलेंगी और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में हमें कम अंशदान देने होंगे।

यह निर्विवाद है कि बिहार अभी देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर। राज्य के प्रति किए गए अन्याय को दूर करने के लिए केन्द्र को विशेष प्रयास करना पड़ेगा। 90 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित होते रहे हैं, परन्तु बिहार वंचित ही बना रहा है। पिछले 7 वर्षो में आन्तरिक संसाधन जुटाये जाने में बिहार सरकार की सफलता, राज्य में आधारभूत सुविधा में विस्तार, वित्तीय अनुशासन में सुधार, प्रशासन में उत्तरोत्तर सुधार, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित विकास के परिणाम स्वरूप ही विकास दर में वृद्धि हुई है, परन्तु विशेष केन्द्रीय सहायता के वगैर बिहार विकसित राज्य के समकक्ष नहीं आ सकता।

बिहार में विकास की चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ गरीबी और बेरोजगारी, अशिक्षा बेहद और लगातार बनी हुई रही है। इस वार्षिक योजना की रणनीति से भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कमजोर तबके विशेषकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हुआ है।

(डा॰ जगन्नाथ मिश्र)

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुजफ्फरपुर 01 अगस्त, 2012

आज ललित नारायण मिश्र कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, मुजफ्फरपुर के सभागार में एम॰बी॰ए॰ एवं एम॰सी॰ए॰ 2012–13 पाठ्यक्रम सत्र के शुभारंभ को सम्बोधित करते हुए कॉलेज के अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा हासिल करें। इससे उनके लिए देश में ही नहीं विदेशों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आधुनिक औद्योगिक जगत् में प्रबंधक एक बहुत ही जटिल और तेजी से बदलते हुए वातावरण में कार्य–संपादन कर रहे हैं। वे पहिया में सिर्फ जड़वत नहीं बन सकते, क्योंकि उनका मौलिक कार्य एक वह मार्ग बनाना है, जो 'इनपुट्स' से भी अधिक लाभदायक हो सकता है। अनेक वाह्य और आंतरिक बलों, जैसे स्पर्धात्मक बाजार, औद्योगिकी गत्यात्मकता, संगठन–शक्तियाँ और सत्ताधारियों, अधिकारियों, सामाजिक स्थिति और दायित्व तथा भौतिक और सामाजिक वातावरण में हो रहे नियम विरुद्ध परिवर्त्तनों के साथ अंदरूनी संबंध या सामंजस्य स्थापित करने के कार्य भी प्रबंधक के ही हैं। ये बल प्रबंधक की प्रभावोत्पादकता पर बम से आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन सबसे चुनौती देने वाला बल यह है कि सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्य बहुत ही तीव्र गति से बदल रहे हैं। आधुनिक मान्यताओं पर आधारित उभरते हुए नये सामाजिक मूल्यों की मांग एक ओर जहाँ समानता की संवेदना है, तो दूसरी ओर कानून के नियम का अनुपालन है। अक्षमताओं और अनुशासनहीनता के प्रति उदासीन दृष्टिकोण सामाजिक भावनाओं तथा कुछ करके फुर्सत पा लेने की सामान्य भावना से द्विगुणित या युक्त होकर सभी स्तरों पर ऐसे घुलमिल कर फैल गया है कि इसने (इस दृष्टिकोण ने) प्रबंधकपरक प्रभावोत्पादकता को विकसित सवंर्द्धित करने की समस्या को और भी अधिक जटिल बना दिया है। पिछले दो दशकों में प्रबंधकीय समस्यायें जटिलता के अंकों और अंशों के संदर्भ में कई गुणा बढ़ गयी हैं। अधिकाधिक संगठन इन समस्याओं के समाधान के लिये मौजूद अध्यापन या शिक्षण के औजारों और कौशलों को निष्प्रभावी पा रहे हैं। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का वातावरण बाहुसंख्यक चुनौतियों का सामना कर रहा है, इसलिये यह सार्थक है कि सभी संगठन क्रियात्मक क्षमता स्तर में त्वरित विकास के लिये रास्ते बनायें, अन्यथा कार्य–संस्कृति समुन्नत नहीं की सकती है। 21वीं सदी का यह एक नारा है– 'सफलता हासिल करो या मरो'।

प्रबंधन शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के जरिये रोजगार क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रचूर संभावनाएं हैं। प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा तंत्र में ज्यादा स्वायत्तता, स्वतंत्रता और लचीलेपन की जरूरत है। प्रबंधन शिक्षा सृजनात्मक, उपयोगी, असरदार और प्रासंगिक होनी चाहिए। वास्तव में, हमें जिन इंजीनियरों, प्रबंधक एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोगों की दरकार है वह नयी विधाओं में है और हम अपनी आवश्यकतानुसार इंजीनियर, प्रबंधक एवं तकनीकी प्रशिक्षित लोग तैयार नहीं कर पा रहे हैं। चूंकि राज्य में समुचित सुविधाएं और संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं, इसलिये बड़ी संख्या में प्रखर बुद्धि युवा विभिन्न विधाओं, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी में, इंजीनियरी एवं प्रबंधन शिक्षा राज्य के बाहर में प्राप्त करते हैं। वे प्रमुखतः बंगलौर, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जाते हैं और अधिकतर वापस न लौटकर अन्यत्र रोजगार ढूंढ़ लेते हैं। जहांतक प्रबंधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निजी संस्थानों की बहुतायत की बात है, आवश्यक है कि उनके ऊपर पाठ्यक्रम स्तर और श्रेणीकरण पर सामान्य नियंत्रण हो।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

अन्ना टीम द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रसन्नता व्यक्त की।

पटना 03 अगस्त, 2012

आज अन्ना हजारे टीम द्वारा अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करने एवं समाज और देश को मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था का विकल्प देने के निर्णय का स्वागत करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि वास्तव में इस समय सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है। आंदोलन जनता के लिए होता है, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए होता है, पर यहाँ तो सारा जोर खुद को राजनीति में किसी तरह स्थापित करने का रहा है। मंच से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बातें कम, सरकार और मंत्रियों पर आरोपों की बौछार का सिलसिला ज्यादा चलता रहा है। सरकार को नसीहतें दी जाती हैं कि वह अपनी हदों में रहे जबकि अन्ना टीम किसी को कुछ भी कहने का हक अपने ही पास रखती रही है। अन्ना समूह ने आंदोलन में तानाशाही आचरण प्रदर्शित करता रहा है नतीजतन इसकी कोई दिशा नहीं रही है। अनशन महज एक नौटंकी लगी है, जिसका लाभ अन्ना टीम लेती रही है और समाज का अभिजात वर्ग भी। अन्ना हजारे के समर्थन में जुटी भीड़ को खुद नहीं मालूम कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किस रास्ते जाना है। जंतर–मंतर पर मौजूद अन्ना टीम आंदोलन को सही दिशा नहीं दे रही है, बल्कि लोगों को उकसा कर उनकी भावनाओं के साथ खेल खेलती रही है। अन्ना समूह द्वारा जिस तरह के बयान दिए जाते रहे हैं, प्रधानमंत्री निवास पर कोयले फेंकने को उचित कहा है, आखिर यह सब क्या है? इतने भर से यह साफ हो जाता है कि अन्ना टीम का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं, बल्कि अपनी बयानबाजियों से लोगों को भ्रमित करना और सरकार को ब्लैकमेल करना रहा है। दावा करते हैं गांधी के रास्ते पर चलने का मगर विचार धारा रखते हैं तानाशाही की। जिस दिशा में अन्ना हजारे अपने अनशन–आंदोलन को लेकर चले वह रास्ता सामाजिक या व्यवस्थागत परिवर्तन की तरफ कतई नहीं था। केवल भीड़ के भ्रम के आधार पर किसी भी आंदोलन को खड़ा नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार के खिलाफ यह लड़ाई अधूरी और भ्रामक है और आंदोलन तो किसी भी सूरत में नहीं है। अन्ना टीम द्वारा वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा की जाती रही है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं। इस आंदोलन का मकसद लोकतांत्रिक संस्थाओं, नियमों और परंपराओं की अवहेलना कर उन्हें व्यर्थ बनाना रहा है। इनका लक्ष्य रहा है राजनीतिक दलों को निरर्थक करार देना। यह आंदोलन संकीर्णतावादी विचारों को हवा देता रहा है। यह निर्विवाद है कि हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार का है। यह प्रसन्नता की बात है कि अन्ना टीम अब यह स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। यह सोचना गलत था कि राजनैतिक लोगों को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाने में संसद की सर्वोपरि भूमिका की कोई भी अनदेखी नहीं कर सकता। संसदीय और लोकतांत्रिक दबाव सरकार को भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिये बाध्य कर देंगे। हमें संसद पर भरोसा करना चाहिये। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उनका हल अंततः संसद से ही निकलना है।

भ्रष्टाचार समाधान के लिए व्यवस्था–परिवर्तन का आह्वान तो पहले भी कई बार किया गया लेकिन इसके लिए जनचेतना का अभाव रहा है। यह भी सच है कि केन्द्र की अबतक की सभी सरकारों से काले धन एवं स्विस बैंकों की तिजोरियाँ भरने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग होती रही हैं। यह समझना चाहिए कि व्यवस्था में परिवर्तन केवल आंदोलन से नहीं हो सकता। श्री जयप्रकाश नारायणजी की 'सम्पूर्ण क्रान्ति' का आधार भ्रष्टाचार और व्यवस्था–परिवर्तन था, परंतु व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सका। व्यवस्था–परिवर्तन एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है जिसके लिए लम्बा रास्ता तय करना होगा। सरकार को अन्ना टीम का अधिक महत्व नहीं देना चाहिये था, उसे स्वयं भ्रष्टाचार के विरूद्ध जंग को अधिक धारदार करना चाहिये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

कोशी त्रासदी के चार वर्ष बाद भी केन्द्र सरकार ने कोशी पुनर्निर्माण के लिए अन्य राष्ट्रीय त्रासदी में दी गई सहायता के तर्ज पर बिहार को सहायता नहीं देने पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 18 अगस्त, 2012

कोशी त्रासदी के चौथे सालगिरह के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि कोशी की बाढ़ के रूप में इतनी बड़ी आपदा देश ने पहलीबार झेली है। यह प्रसन्नता की बात है कि राज्य सरकार की सक्रियता और मुख्यमंत्री की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण कुसहा तटबंध की मरम्मत और तटबंध का सुदृढ़ीकरण 143 करोड़ व्यय से पूर्ण हो गया। कोशी पुनर्निर्माण योजना जो लगभग 1500 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। साथ हीं कोशी नदी के किनारे निर्मित पूर्वी तथा पश्चिमी कोशी तटबंधों के उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण के साथ ही कोशी तटबंध के उपर सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावे 85 करोड़ की लागत से कोशी बराज के सभी फाटकों का जीर्णोद्धार कार्य किया गया है। कोशी क्षेत्र पुनः इस टूटान मरम्मत से सुरक्षित हो गया है।

केन्द्र सरकार से 14,800 करोड़ का विशेष पैकेज की अबतक स्वीकृति नहीं मिल पाने के बावजूद भी राज्य सरकार ने 4,900 करोड़ की लागत से कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया एवं अररिया जिलों के 3.50 लाख गृहविहीन परिवारों के लिए आवासों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा हरेक बस्ती में एक सामुदायिक भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय सराहनीय है। अभी विश्व बैंक से प्राप्त 1000 करोड़ कर्ज की राशि से एक लाख आवास एवं ग्रामीण सड़क के साथ–साथ अन्य सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण बाढ़ पीड़ितों किसानों के लिए आजीविका का मुख्य कृषि ही साधन है। आज भी लोग अनिश्चितता की स्थिति में जीने को बाध्य है। ऊपजाउ खेत में बालू की रेत भर गया है और जहाँ–जहाँ नई नदी निकली है वहाँ किसानों की ऊपजाउ खेत गायब है। सरकार द्वारा दी गई मुआवजा, इसके लिए पर्याप्त नहीं है। बिहार सरकार को केन्द्रीय कृषि मंत्रालय से विशेष अपील करनी चाहिये कि कृषि वैज्ञानिकों का एक विशेष दल कोशी क्षेत्र में प्रतिनियुक्त किया जाय जो बालू से भरी जमीन एवं जमीन की बदली हुई स्थिति में गुणात्मक सुधार के लिए वैज्ञानिक अध्ययन कर समुचित सुझाव सरकार एवं किसानों को प्रस्तुत करे। प्राप्त सूचना से ऐसा लगता है कि अत्यंत गरीब, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति के परिवारों की आवास क्षति का सही सर्वेक्षण नहीं हुआ है फलतः उन्हें आवास सहायता नहीं प्राप्त हो रही है। अतः आवश्यक है कि आवास क्षति का पुनः सर्वेक्षण कराया जाय। कोशी प्रलय में संसाधनों की व्यापक क्षति हुई है। इस क्षति की भरपाई करने एवं इन क्षेत्रों को पहले से बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने संकल्प लिया है। इस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोशी पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समितियाँ अपने दायित्वों का निर्वहन समय सीमा के भीतर नहीं कर पा रही है।

केन्द्र सरकार अबतक कोई तत्परता नहीं दिखायी है। केन्द्र से सहयोग प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी 4,900 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कोशी की प्रलयंकारी बाढ़ से क्षतिग्रस्त सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं अररिया जिलों के गृहविहीन परिवारों के लिए आवासों के पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा सामुदायिक भवनो के निर्माण कराने का कार्यक्रम स्वीकृत किया। कोशी योजना के पुनर्निर्माण (बैरेज) तटबंध एवं नहरों के लिए लगभग 800 करोड़ की स्वीकृत की है। विभिन्न चरणों में कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री के पहल पर इस बीच विश्व बैंक से भी 1000 करोड़ की राशि प्राप्त की है जिसके अंतर्गत एक लाख आवास बनाये जा रहे हैं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

हिन्दी–दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित 'परिसंवाद' में डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री के विचार।

पटना, 13 सितम्बर, 2012

हिन्दी–दिवस की पूर्व संध्या पर श्री बच्चा ठाकुर, आई॰ए॰एस॰ (अ॰प्रा॰) द्वारा आयोजित परिसंवाद की अध्यक्षता डा॰ जगन्नाथ मिश्र, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने की। उन्होंने हिन्दी की प्रगति के उपायों पर ध्यान दिलाते हुए कहा कि यद्यपि हिन्दी का उपयोग केन्द्र और राज्य के सरकारी कार्यालयों और बैंक समेत अन्यान्य विभागों में संतोषप्रद ढंग से किया जा रहा है, तथापित जन साधारण के बीच इसका जितना प्रयोग होना चाहिये, उतना नहीं होता है। क्षेत्रीय भाषाओं के साथ–साथ हिन्दी का प्रयोग निष्ठापूर्वक राष्ट्र के हर राज्य में हो तो हिन्दी अपने स्वस्थ विकसित स्वरूप को प्राप्त करेगी और 'राष्ट्रीय एकता' को मूर्त्त रूप दे सकेगी। डा॰ मिश्र ने अपने सम्बोधन में हिन्दी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती हुई व्यापकता पर प्रसन्नता व्यक्त की और हिन्दी में रचना करने की प्रेरणा भी दी; साथ ही अ॰प्रा॰ आई॰ए॰एस॰ श्री बच्चा ठाकुर द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर 1994 से ही हिन्दी–दिवस की पूर्व संध्या पर हिन्दी की उत्तरोत्तर प्रगति के लिये परिसंवाद और कवि–गोष्ठी के हर वर्ष निरंतर किये जा रहे आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते हुए डा॰ मिश्र ने कहा कि श्री ठाकुर स्वयं मैथिली, अंग्रेजी और हिन्दी के प्रसिद्ध कवि, आलोचक, निबंधकार, वक्ता रहते हुए हिन्दी के विकास के लिये वर्षों से संलग्न रहे हैं।

परिसंवाद में अन्य वक्ताओं ने भी हिन्दी के विकास हेतु अपने–अपने विचार व्यक्त किये, जिनमें श्री ब्रह्मदेव राम, पूर्व सदस्य, बिहार लोक सेवा आयोग, श्री श्याम बिहारी मिश्र, श्री बाबू नारायण झा, श्री लीलाकान्त झा, श्री कृष्ण कुमार ठाकुर, श्री रामप्रवेश यादव आदि प्रमुख थे।

इस अवसर पर श्री ठाकुर ने आयोजन को सफल बनाने हेतु उपस्थित सबों के प्रति धन्यवाद–ज्ञापन किया।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय खुदरा व्यापार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश राष्ट्र के हित में हानिकारक– डा॰ जगन्नाथ मिश्र।

पटना, 16 सितम्बर, 2012

केन्द्र की डॉ॰ मनमोहन सिंह की सरकार ने आर्थिक सुधारों की हिमायती, विदेशी निवेशकों, उनके सहयोगियों और समर्थक राजनीतिक दलों के दबाव में विरोध की आवाजों की अनसूनी कर खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की इजाजत देने का फैसला कर लिया है जिसके परिणामस्वरूप मल्टी ब्रांड व्यापार में अबतक चली आ रही रोक को हटाकर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी गई है। इस निर्णय में 51 प्रतिशत विदेशी हिस्सा पूंजी की सीमा लगायी गयी है जो विदेशी निवेश के लिए स्वामित्व का बहुमत सुनिश्चित करती है। बहुराष्ट्रीय कम्पनी को देश के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश के खुदरा क्षेत्र के लिए काफी घातक सिद्ध होगा। हमारे देश में करीब 5 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं और 20 करोड़ से अधिक लोगों का इससे रोजी–रोटी चलती है। यह भी गौर करने की जरूरत है कि देश का खुदरा व्यापार क्षेत्र की 15 फीसद की दर से सालाना बढ़ोतरी हो रही है। देश के जीडीपी में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 10 फीसद है और इसमें पूरी तरह से देशी पूंजी लगी हुई है। यह सालाना 15 फीसद की दर से बढ़ रहा है। सवाल है कि क्या अमेरिकी वालमार्ट या मैसी स्टोरों की श्रृंखलाएं भारत के शहरों में खोले जाने से लोगों को सामान सस्ता मिलने लगेगा? बल्कि इसका उल्टा यह होगा कि ये विदेशी स्टोर अपना कारोबार भारत में जमाने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से सस्ता माल अपने स्टोरों में लाकर बेचकर भारतीय उद्योग–धंधों को चौपट करेंगे। विदेशी कंपनियों के स्टोर हमारे देश की गरीब जनता के हित में नहीं बल्कि अपने मुनाफे के लिए काम करेंगे और इस क्रम में वे छोटे–छोटे कस्बों और गाँवों में भी महंगाई कई गुना रफ्तार से बढ़ाने का काम करेंगे। जिस विदेशी निवेश की यह कहकर वकालत की जा रही है कि इससे कृषि क्षेत्र का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, क्या वह बिना कीमत चुकाये हो सकेगा? वह भी भारी मुनाफा कमाने की गरज से आयी विदेशी कंपनियों द्वारा? मगर उस गरीब छोटे दुकानदार का क्या होगा जो पूरी तरह बेरोजगार हो जायेगा? इसलिए सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध होना वाजिब है।

विदेशी कंपनियों के रिटेल क्षेत्र में आने से महंगाई, बेरोजगारी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। अंततः इसका खमियाजा आम लोगों को उठाना होगा। जब बाजार पर कुछ बड़ी कंपनियों का नियंत्रण हो जाता है, तो वे बाजार को अपने अनुकूल चलाने की कोशिश करते हैं। इसका खामियाजा छोटे–छोटे खुदरा कारोबारियों को उठाना ही होगा, क्योंकि उनकी पूंजी और संसाधन के सामने घरेलू खुदरा व्यापारी अपने सीमित संसाधनों के बल पर सामना नहीं कर पायेंगे। एक तो वे असंगठित हैं, दूसरी ओर संसाधन और तकनीक के मामले में भी काफी पीछे हैं। पहले से ही बड़ी कंपनियों के खुदरा बाजार में उतरने से छोटे रिटेलरों का कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। छोटे कारोबारियों को तबाह करने के लिए ये रिटेल कंपनियां ग्राहकों को बाजार मूल्य से कम कीमत पर सामान बेच रही हैं। ऐसे हालात में छोटे कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और कई बेरोजगार हो गये हैं। विदेशी कंपनियों के आगमन से यह स्थिति और भी जटिल हो जायेगी, उनके आने पर लाखों छोटे व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न हो जायेगा। विदेशी कंपनियों के रिटेल क्षेत्र में आने से तात्कालिक तौर पर मध्यवर्गीय ग्राहकों को भले ही कुछ लाभ मिले, लेकिन भविष्य में इसके भयंकर दुष्परिणाम भी सामने आना तय है। क्योंकि एक बार बाजार पर प्रभुत्व कायम होते ही ये कंपनियां फिर अपनी मर्जी के मुताबिक कीमतों का निर्धारण करने लगेगी।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में भारत के राष्ट्रपति महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी से डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुलाकात की।

पटना, 25 सितम्बर, 2012

आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी से मिलकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने के लिये बधाई एवं शुभकामनायें देते हुए उनसे कहा कि उनके राष्ट्रपति पद ग्रहण के अवसर पर एवं 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देश की आर्थिक एवं राजनीतिक चुनौतियों की चर्चा करते हुए उन्होंने लोकतंत्र के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयाों, विसंगतियों एवं राजनीतिक दलों के गैर जिम्मेवाराना व्यवहार से लोकतंत्र के कमजोर होने की संभावना का उल्लेख किया, साथ ही देश के समावेशी विकास के समक्ष उत्पन्न हो रही कठिनाइयों की भी चर्चा की जो अत्यंत सराहनीय एवं उत्साहवर्द्धक है।

डा॰ मिश्र ने श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास के लिये हर क्षेत्र में हो रहे कार्यों समेत बिहार के सर्वांगीण विकास की संभावना की विशद रूप से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिये चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत बिहार में हो रही जागरूकता एवं पिछले वर्षों में बिहार के साथ हुई नाइंसाफी के विरूद्ध प्राप्त हो रहे जन समर्थन की भी विशेष रूप से डा॰ मिश्र ने चर्चा की और उन्हें यह भी बताया कि बिहार की जनता उनकी 3 और 4 अक्टूबर की होने वाली यात्रा की उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रही है।

(विदयानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री की सभाओं को विफल करने की भर्त्सना करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने विस्मय प्रकट किया।

पटना, 28 सितम्बर, 2012

मुख्यमंत्री की अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया, बेगूसराय एवं अन्य जगहों में आयोजित सभाओं में चन्द लोगों द्वारा विरोध और आक्रामक व्यवहार के साथ–साथ हिंसात्मक प्रवृत्तियों की भर्त्सना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का एक संयमित तरीका होता और वह विरोध किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं द्वारा आयोजित सभाओं को बाधित कर नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र में किसी पार्टी और व्यक्ति को हिंसात्मक विरोध के माध्यम से सभाओं को बाधित करना अत्यंत निन्दनीय हीं नहीं संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। संसदीय प्रणाली में संसद और विधान मंडल में संयमित भाषाओं के द्वारा विरोध किया जाना अनुमान्य माना जाता है। उसी तरह सभाओं में भी अपनी बातें, उद्देश्य अथवा सरकार या पार्टी की आलोचना संयमित रूप से की जा सकती है। किसी सभा को बाधित करना अथवा अनुचित भाषाओं का उपयोग करना संविधान के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों का अवहेलना माना जाता है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि पिछले सात वर्षों में श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार सभी प्रक्षेत्रों में विकसित हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की सकारात्मक छवि बनी है। बिहार सरकार की उपब्धियों में प्रगति हुई है उससे विपक्षी दल हताश और निराश दीखते हैं। श्री नीतीश कुमार ने अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार के साथ पिछले वर्षों में किये गये भेदभावों में विरूद्ध बिहार की प्रगति में तेजी लाने के उद्देश्य से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मांग को लेकर बिहार की जनता का समर्थन मिल रहा है और बिहार में बिहार की उपराष्ट्रीयता की भावना जागृत हो रही है। इसी से विपक्षी दल अथवा अन्य वर्ग विभिन्न समस्याओं के समाधान के सही रास्ते नहीं पकड़कर लोकतांत्रिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। सरकार की कार्यों से शिकायते हो सकती है, क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों की तकलीफे हो सकती है लेकिन इन सभी मुद्दों का समाधान सम्यक वार्ता तथा सम्पर्क के माध्यम से ही संभव हो सकता है। सरकार संवेदनशील है इसलिए सम्यक रूप से सभी स्तरों पर विभिन्न समूह अपनी समस्याओं को रखकर लोकतांत्रिक तरीके से समस्या का समाधान करा सकते हैं। नियोजित शिक्षकों अथवा अन्य वर्गों द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना न उनके हित में है न लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप ही।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

पटना, 4 अक्टूबर, 2012

कल संध्या राजभवन, पटना में भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी से पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र श्री नीतीश मिश्र, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार के साथ मिलकर उनके बिहार आने और विशेषकर मिथिलांचल अवस्थित दरभंगा में उनके अग्रज स्व॰ ललित नारायण मिश्र के नाम से स्थापित विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेने के लिए अपनी ओर से बधाई देते हुए आभार प्रकट किया। डा॰ मिश्र ने राष्ट्रपति से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सम्बन्ध में बातें की और उन्हें चार पृष्ठीय ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर श्री नीतीश मिश्र ने उन्हें मधुबनी चित्रकारी का भगवती दुर्गा का चित्र भेंट की।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयराम रमेश को आज एक पत्र द्वारा डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपील की है कि एकता परिषद् के तत्वावधान में श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल के नेतृत्व में भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार से की जा रही मांग को ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित हो रही हिंसात्मक गतिविधियों को थामने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय भूमि सुधार नीत बनाने की अपील।

पटना, 9 अक्टूबर, 2012

आज केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयराम रमेश को एक पत्र भेजकर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि एकता परिषद् के तत्वावधान में श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल के नेतृत्व में ग्वालियर से 50 हजार जन सत्याग्रह पद यात्रियों में आदिवासी, दलित वंचित और भूमिहीन के प्रतिनिधि मंडल को केन्द्रीय मंत्री द्वारा यह कहना कि जमीन राज्य सरकार के अधीन है। इसलिए केन्द्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उनका यह कहना अत्यंत विस्मयकारी और दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि भूमि सुधार कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय नीत रही है। आजादी से पहले और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने राज्यों में भूमि सुधार संबंधी अनेक कानून बनाये हैं। 1972 में तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने राज्यों को भू–सुधार के लिए राष्ट्रीय मार्गदर्शिका जारी किया था। इसलिए राष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त असंतोष के कारण हो रहे हिंसा को थामने के लिए तत्काल केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय भूमि सुधार नीत बनाने के साथ–साथ भूमिहीनों को जमीन देने (1) केन्द्र सरकार की ओर से गारंटी देने। (2) जिनके पास रहने की छत नहीं है उन्हें जमीन देने। (3) राज्यों में भूमि सुधार आयोग बनाने (4) जमीन से जुड़े मुकदमे पर कार्रवाई के लिए त्वरित अदालतों का गठन करने। (5) पेशा कानून को सख्ती से लागू करने। (6) गैर सरकारी तरीके से गरीबों से छीनी गई जमीन उन्हें वापस दिलाने सहित जमीन सम्बन्धित अन्य मुद्दों पर फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिये। केन्द्र सरकार जमीन के मुद्दे को राज्यों के अधीन बताकर अपने दायित्व से पल्ला झाड़ने का कोशिश नहीं कर सकती। यह भी विचारणीय है कि जब उद्योगपतियों के हजारों एकड़ जमीन देने का मामला सामने आता है तो सरकार इसके लिए अनुकूल कानून बनाती है। इसलिए केन्द्र सरकार को गरीबों को जमीन दिलाने के लिए आवश्यक कानून बनाना चाहिये।

डा॰ मिश्र ने कहा कि आर्थिक सुधार और उदारीकरण के दौर में भूमि सुधार की प्राथमिकता नहीं रही जिसके फलस्वरूप ग्रामीण स्तर पर सामाजिक तनाव एवं हिंसात्मक घटना लगातार बढ़ती गई। देश में आदिवासियों और दलितों को विकास की मुख्य धारा में सहभागी या सहयात्री नहीं बनाये जाने के कारण हीं माओवादी और नक्सलवादी हिंसात्मक घटनाओं को स्थानीय स्तर पर जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। धन का असमान ढंग के वितरण से हीं इन समूहों में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है और वही हिंसा का रुप लेता है। शासन निष्क्रिय तथा मूक ही रहता है। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, संसाधन प्राप्त करने के अवसरों का अभाव, खेती का पिछड़ापन, भूमि सुधार का अभाव आदि जिम्मेदार है। यह विस्मयकारी है कि इन वर्षो में ऐसी घटनाओं में लगातार वृद्धि होती गई है। प्रधानमंत्री ने इन चिन्हित घटनाओं के कारणों में जिन बिन्दुओं को चिन्हित किया है उनपर कोई प्रभावकारी रणनीत नहीं बनायी गई है और न हीं इन घटनाओं को थामने के लिए सकारात्मक, रचनात्मक तथा विकासमूलक कार्यक्रम हीं कार्यान्वित किया जा सका है। एक भूमिहीन व्यक्ति के लिए जमीन का आर्थिक महत्व महज आजीविका के साधन या वासस्थल के रूप में ही नहीं बल्कि आत्ममहत्व, आत्मसम्मान व स्वनियोजन के आधार के रूप में कई गुणा ज्यादा है। देश की बहुसंख्यक आबादी कृषि के सहारे ही अपना गुजारा चलाती है, चाहे वह खेतों के मालिक हों, खेतिहर मजदूर या बटाईदार। भूमि वितरण की विषमताओं को दूर करने की दिशा में भारत में सरकारी प्रयास अबतक अपर्याप्त रहे हैं।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र

(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

आगरा में एकता परिषद् के अध्यक्ष, श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयराम रमेश के बीच भूमि समस्याओं के निराकरण के लिए 10 सूत्री समझौते का मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने स्वागत किया।

पटना, 11 अक्टूबर, 2012

समग्र भूमि सुधार सहित अन्य मांगों को लेकर एकता परिषद् के तत्वावधान में श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल के नेतृत्व में ग्वालियर से दिल्ली की ओर आ रहे 50 हजार जन सत्याग्रह पद यात्रियों में देश भर के आदिवासी, दलित, वंचित और भूमिहीनों की प्रतिनिधिमंडल के साथ आज आगरा में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयराम रमेश के साथ पी॰व्ही॰ राजगोपाल के बीच भूमि समस्या समाधान के लिए 10 सूत्री हुए समझौते का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने एकता परिषद् के अध्यक्ष, श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल और श्री जयराम रमेश को बधाई देते हुए कहा है कि इस 10 सूत्री समझौते से भूमि सुधार पुनः राष्ट्रीय कार्य सूची में सम्मिलित हुआ है जो तत्कालिन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के बाद राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आर्थिक सुधार के नाम पर अत्यंत उपेक्षित हो गया था। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार तनाव तथा हिंसा व्याप्त होता जा रहा था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस समझौते के पहले 2007 में जनादेश सत्याग्रहियों की मांग पर केन्द्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् का गठन किया गया था। इस परिषद् द्वारा नियुक्त अध्ययन समिति की सिफारिशें 2009 में प्रधानमंत्री को सौंप दी गई थी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद् की अपनी राय करनी थी, परंतु केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार नहीं की। फलस्वरूप एकता परिषद् के तत्वावधान में मध्य प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 50 हजार सत्याग्रहियों ने 2 अक्टूबर से "दिल्ली चलो" के नारे के साथ 29 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचने वाले थे। इस बीच भारत सरकार की ओर से एकता परिषद् के प्रतिनिधियों से इन सत्याग्रहियों की मांग की पूर्ति के लिए विमर्श होता रहा। अब श्री जयराम रमेश के पहल पर आगरा में 10 सूत्री समझौता हुआ है। उसमें मुख्य रूप से केन्द्र सरकार ने कहा है कि जमीन राज्य सरकार के अधीन मानते हुए केन्द्र सरकार एक राष्ट्रीय भूमि सुरक्षा नीति बनायेगी और 10 सूत्री समझौते के कार्यान्वयन के लिए 8 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा। जिसके जरिये लाखों भूमिहीनों को जमीन के पट्टे दिलाये जायेंगे और ये टास्क फोर्स विभिन्न राज्यों के भूमि सुरक्षा संबंधी कानूनों के लिए हर संभव सुझाव देगी। टास्क फोर्स के जरिये भूमि सुधार संबंधी विवादों का निपटारा भी संभव होगा। केन्द्र सरकार की ओर से टास्क फोर्स के गठन को सत्याग्रहियों की बड़ी कामयाबी मानी जाती है। समझौते के अनुसार केन्द्र सरकार आवासहीन गरीबों को सस्ते दर पर जमीन मुहैया कराने पर भी सहमत हो गयी है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ शीघ्र ही संवाद शुरू किया जायेगा और अगले छः महीने में इस समझौते के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए सभी बिन्दुओं पर नीत–निर्धारण किया जायेगा। इसी के साथ गरीबों, सीमांत और वंचित भूमिहीनों के लिए भूमि की उपलब्धता और भूमि अधिकारों में बढ़ोतरी करने का निर्णय भी किया गया है। इस समझौते के मुताबिक ग्रामीण विकास मंत्रालय दलित–आदिवासियों और समाज के अन्य सभी कमजोर सीमांत वर्गों के भूमि अधिकारों को संरक्षण देने के उद्देश्य से विधान मंडलों से कानूनों में संशोधन कराने के लिए राज्यों को समुचित निर्देश देगी। सरकार आवासहीनों और वंचित वर्गों के लिए भूमि और जीविकोपार्जन के संसाधनों पर अधिकार के लिए समग्र भूमि सुधार कानून बनायेगी। पांच साल पहले सरकार ने जनादेश सत्याग्रह के दौरान उनकी मांगों को मंजूर कर लिया था। लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। सरकार के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। केन्द्र सरकार के इस रवैये के खिलाफ एकता परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल ने अपने हजारों साथियों के साथ दोबारा सत्याग्रह के लिए सड़कों पर आये। यही कारण है कि सत्याग्रही केन्द्र सरकार की ओर से उनकी मांगों को मंजूर करने के बावजूद ये एलान कर रहे हैं कि आगरा में उनकी पद यात्रा स्थगित होगी लेकिन उनका सत्याग्रह खत्म नहीं होगा।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयराम रमेश और एकता परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल के बीच हुए समझौते, 21वीं शताब्दी में अहिंसक संघर्ष की सफलता– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 12 अक्टूबर, 2012

कल आगरा में एकता परिषद् के तत्वावधान में श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल की अध्यक्षता में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री जयराम रमेश के बीच हुए समझौते से यह पुनर्स्थापित हुआ है कि अहिंसक संघर्ष से भी जटिल भूमि समस्या का रास्ता निकाला जा सकता है। देश के करोड़ों आदिवासियों, दलितों, वंचितों और भूमिहीनों द्वारा शुरू किया गया पद यात्रा क़ा सरकार पर जबर्दस्त असर पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप ही भारत सरकार को एकता परिषद् द्वारा प्रस्तुत 10 सूत्री प्रस्ताव पर अपनी सहमति देनी पड़ी। इस समझौते के अंतर्गत देश के लिए एक राष्ट्रीय भूमि सुधार नीत का घोषणा की जायेगी और कृषिविहीन लोगों के लिए कृषि योग्य, भूमि और आवास भूमि की वैधानिक अधिकार मिलेंगे। आवासविहीन गरीबों को 10 डिसमिल जमीन दी जायेगी। गरीबों, वंचितों और भूमिहिनों के लिए जमीन के स्वामित्व में बढ़ोतरी होगी। सभी भूमि संबंधित विवादों के समाधान तथा भूमि सुधार के लिए समुचित कानूनों का कार्यान्वयन समय–सीमा के भीतर किया जायेगा। भूमि सुधार कानूनों में जो त्रुटियाँ अथवा कमजोरियाँ चिह्नित होगी उसके निराकरण के लिए संशोधन किया जायेगा। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से इस अहिंसक संघर्ष की सफलता मिली, जिससे भूमि से बेदखल होने वाले गरीब आदिवासियों, दलितों और वंचितों का पक्ष मजबूत होगा। साथ ही अब उन पर दबंगों और पुलिस द्वारा ज्यादती नहीं होगी। इस समय जब सभी राजनीतिक दलों ने अपनी प्राथमिकताओं में भूमि सुधार को खारिज कर दिया था। यहाँतक की वामपंथी भी जमीन मुद्दे को छोड़ दी थी, ऐसे में श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल ने अहिंसक संघर्ष से भूमि सुधार को पुनः राष्ट्रीय सूची में लाने में सफल हुए हैं। इस संघर्ष के पूर्व भी श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल ने 2007 में 25 हजार आदिवासियों, दलितों और वंचितों के साथ जनादेश आंदोलन छेड़ा था। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में भूमि आयोग का गठन भी किया। परंतु उस समय सरकार द्वारा किये गये वायदों का पालन नहीं हुआ। परिणामस्वरूप श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल ने पुनः 50 हजार आदिवासियों, दलितों और वंचित लोगों के जनादेश आंदोलन प्रारंभ किया। उनका उद्देश्य केवल भूमि सुधार नहीं है बल्कि देशवासियों को अहिंसात्मक आंदोलन के लिए 21वीं शताब्दी में तैयार करना है। इस संघर्ष की यह विशेष सफलता है कि अब भूमि संबंधित दस्तावेजों में महिलाओं का संयुक्त रूप से नाम रहेगा। इन्दिरा आवास योजना की राशि दुगूणी होगी। भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी, पंचायत विस्तार अधिनियम को प्रभावी बनाया जायेगा, भूमि विवाद को समय–सीमा के अंतर्गत निपटारा करने जैसे मुद्दों पर भी सहमति बनी है। श्री पी॰व्ही॰ राजगोपाल ने हजारों सत्याग्रहियों के साथ हिम्मत के साथ कष्ट झेलकर गांधी परंपरा का सूत्रपात किया है जिस पर लोगों ने यकीन करना छोड़ दिया था। इस कामयाबी से नया इतिहास रचने के साथ–साथ हिंसक तोड़–फोड़ आंदोलनों से अलग गांधी–विनोबा के यादों को ताजा कर दिया है। इस अंदोलन को पूर्णतः गांधी तौर–तरीके पर आधारित बनायी गयी। श्रीमती इन्दिरा गांधी के बाद उदारीकरण के दौर में भूमि सुधार राष्ट्रीय कार्य सूची से हट गया था। उसे पुनः राष्ट्रीय कार्य सूची में प्राथमिकता मिलेगी और 4 से 6 महीनों में भूमि सुधार सम्बन्धित नीत बनेगी और मनरेगा के तर्ज पर कृषि भूमि और आवास भूमि की गारंटी दी जायेगी। वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी बनाने, राजस्व सीमा तथा भूमि सुधार कार्यों के निष्पादन के लिए कार्य दल का गठन किया जाना भी इस संघर्ष की सफलता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मधुबनी में कल और आज हुई घटनाओं पर विस्मय और अफशोस प्रकट करते हुए मिथिलांचल खासकर मधुबनी जिला के लोगों से डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने शांति बनाये रखने और किसी उकसावे में आकर परिस्थिति को नहीं बिगाड़ने की अपील की।

पटना, 13 अक्टूबर, 2012

कल मधुबनी शहर और आज जिला के विभिन्न हिस्सों में जो हिंसात्मक घटनायें घटी हैं और इन घटनाओं के दौरान जिन लोगों की मौतें हुई है और जो लोग घायल हुए हैं उसपर डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपनी पीड़ा, वेदना और अफशोस प्रकट करते हुए कहा है कि मिथिलांचल विशेषकर मधुबनी की जनता से भावनात्मक लगाव महसूस करते हुए पूरे क्षेत्र में शांति बनाये रखें और किसी के उकसावे में हिंसात्मक गतिविधियों में भाग नहीं लें। राज्य सरकार ने तत्काल ही परिस्थिति की गंभीरता देखते हुए जिला पदाधिकारी, जिला अधीक्षक और क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक को स्थानान्तरित कर परिस्थिति को बिगड़ने से रोकने की कार्रवाई की। इससे यह परिलक्षित होता है कि सरकार स्थिति पर काबू पाने के लिए दृढ़ निश्चयी है। सम्पूर्ण मिथिलांचल विशेषकर मधुबनी की लोगों से डा॰ मिश्र ने अपील की है कि परिस्थिति को संभालने की हर संभव प्रयत्न करें। हिंसात्मक गतिविधियों को निश्चित रूप से रोकने में सहयोग करें। सरकार की ओर से तत्परता दिखायी जा रही है और हर संभव प्रयास की जा रही है ऐसे में कानून को हाथ में लेने से परहेज करना चाहिये। जिन युवकों की मृत्यु हुई है और जो लोग घायल हुए हैं उनके प्रति अपनी सद्भावना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री से समुचित मुआवजा देने की भी अपील की है। डा॰ मिश्र इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच कराने की मुख्यमंत्री से अपील की है। घायलों के लिए समुचित चिकित्सा की व्यवस्था करने और प्रशासन को सतर्क एवं चुस्त–दुरूस्त करने की भी डा॰ मिश्र ने मुख्यमंत्री से अपील की है। सम्पूर्ण मिथिलांचल विशेषकर मधुबनी के लोगों के प्रति उनका स्नेह निरंतर बना रहा है। इसलिये डा॰ मिश्र ने विशेष रूप से अपने को वहाँ के लोगों की भावना के साथ जोड़ते हुए सामान्य स्थिति बनाये रखने में प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना-23

प्रेस विज्ञप्ति

14वीं वित्त आयोग के कार्य सूची में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के विषय को सम्मिलित करने की प्रधानमंत्री से डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपील की।

पटना, 19 अक्टूबर, 2012

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् ने कल प्रधानमंत्री, डॉ॰ मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बटवारे के बारे में सुझाव देने के लिए 14वीं वित्त आयोग के गठन करने के निर्णय का स्वागत करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री से विशेष रूप से अपील की है कि इस आयोग के कार्य सूची में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का विषय भी सम्मिलित करें क्योंकि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना सार्वजनिक परिव्यय तथा निजी निवेश का निम्न स्तर है। फलतः राज्य अभी भी हर तरह की समस्या से पीड़ित है और तो और नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हुए हैं, बिहार राज्य वंचित ही बना रहा है, योजना आयोग की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। यहाँ गरीबी रेखा से नीचे रहनेवाले लोगों की संख्या पर विचार करें या अशिक्षा व पढ़ाई बीच में छोड़ने, स्वास्थ्य की देखभाल, या फिर ग्रामीण विकास की बात करें तो इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार हर बिन्दु पर निचले पायदान पर खड़ा पाया जाता है। यहाँ प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय सबसे कम है। *"राजीव गांधी इंस्टीच्यूट ऑफ कान्टेंपरेरी स्टडीज एण्ड इन्डस्ट्रीयल एनालिसिस"* के द्वारा एक निहायत वस्तुपरक और तथ्यपरक अध्ययन के उपरांत यह निष्कर्ष था कि बिहार सभी क्षेत्रों में इसकी उपलब्धि शून्य थी। बिहार आर्थिक सुधारों से लाभान्वित नहीं हुआ है। बिहार जैसे राज्य के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना ही हो सकता है। बिहार में अधिसंरचनात्मक निवेश की जरूरत अधिक है, लेकिन इस कार्यभार को पूरा करने के लिए उनके पास कम वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। जबतक उनके अधिसंरचनात्मक व सेवा संबंधी स्तर इस अवस्था में न पहुँच जायें कि वहाँ निजी निवेश का अच्छा-खासा प्रवाह होने लगे, तबतक इसके लिए आवश्यक संसाधनों को उस समय तक केन्द्रीय पुल से ही आना है। अधिसंरचना एक मुख्य मानदंड है इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह बिहार को न्यायोचित ढंग से संसाधन उपलब्ध कराये। अगर एक अधिसंरचना सूचकांक बनाया जाय और संवितरण के स्तरों को इससे जोड़ दिया जाय, तो ऐसा करना बिल्कुल संभव है। निवेश वातावरण सूचकांक एक अधिक उपयुक्त सूचक हो सकता है। इसी प्रकार, बिजली की प्रति व्यक्ति खपत को संवितरण योजना में एक अलग कारक के रूप में शामिल करना जारी रखना चाहिए जिससे इसे पर्याप्त ऊँचा भार देने के जरिए बिहार जैसे गरीब राज्य के साथ न्याय हो। संविधान सभी प्रकार की असमानताएं दूर करने के प्रति बहुत गंभीर है, चाहे वे व्यक्तियों के बीच हों या क्षेत्रों और समूहों के बीच। संविधान के अनुच्छेद 38(2) का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा जो केन्द्र को असमानताएं दूर करने की जवाबदेही देता है। वित्त आयोग ही ऐसी निकाय है जो हर पांच वर्ष में केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के साथ-साथ स्थानीय निकायों को दी जाने वाली अनुदान सहायता के बारे में नियम सिद्धांत निर्धारित करता है। अतः इस आयोग की कार्य सूची में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और (1) केन्द्र सरकार के अन्तरण की ऐसी योजना बनावें जो संघ के आकलित अतिरेक, जो उसके पास केन्द्रीय लेवी के आर्थिक लाभों के चलते एकत्र हुआ हो, पर आधारित हो, और जिसे राज्यों के बीच अन्तरित किया जा सकता हो ताकि वे संविधान द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा कर पायें। (2) संघ की सकल राजस्व-प्राप्तियों में से कर की बांट और अनुदान के रूप में राज्यों को योजना और गैर-योजना मद में दी जानेवाली राशि का प्रतिशत बढ़ायें। (3) अनुच्छेद 275 के अधीन दिये जाने वाले अनुदान का निर्धारण गैर-योजना राजस्व-अन्तराल के आधार पर नहीं किया जाये बल्कि उसका भुगतान राज्यों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाय- (क) राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किये गये कार्यक्रम के आधार पर खास-खास प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं के स्तरों का समान स्तर का बनाने के लिए, और (ख) साहाय्य खर्च जैसी विशेष परिस्थितियों में उठाये जाने वाले खर्च का जो भार राज्य के कोष पर पड़ता है उसे वहन करने के लिये। (4) संविधान के अनुच्छेद 270 के अधीन विभाज्य करों और शुल्कों में से तथा अनुच्छेद 275 के अधीन साहाय्य अनुदान की बांट देने में भारत सरकार को प्रतिरोधी न्याय का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। उसी के अनुसार एक ऐसा सिद्धांत निर्धारित करना चाहिये जो अन्तर-राज्य विषमताओं को दूर करने में सहायक हो। (5) आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की बांट में केन्द्र उसी प्रकार का सिद्धांत अपनावे और राज्य के बीच उन्हें बांटने में ऊँचे दर्जे की प्रगतिशीलता दिखावे जिसमें राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए पिछड़ापन को अधिक महत्व दिया गया हो, और (6) भागीदारी वाले करों के विभाजक पुल को काफी बढ़ाया जाय और उसमें राज्य की व्यापक वित्तीय जरूरतों को बजट में दर्शायी जाने वाली आवश्यकता मानकर शामिल किया जाय। इन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान सेवाओं के भौतिक मापदण्डों के आधार पर लगाया जाना चाहिये जिनकी उपलब्धि और संधारण पिछड़े राज्यों को भी करना चाहिये।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

आज गांधी मैदान में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित अधिकार रैली के माध्यम से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के लिए केन्द्र सरकार को संदेश देने के ऐतिहासिक सफलता पर पूर्व मुख्य मंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने बधाई दी।

दिनांक 4 नवम्बर, 2012

आज मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार द्वारा बिहार के साथ केन्द्र द्वारा लगातार किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने के उदेश्य सें केन्द्र पर दवाव बनाने में पूर्ण रूप से सफल इस रैली में आमलोगों की अभूतपूर्व ऐतिहासिक उपस्थिति ने केन्द्र को संदेश दिया है कि उसे बिहार की आवाज सुननी होगी। आर्थिक सुधारों से बिहार अब तक लाभांबित नहीं हुआ है बिहार अब तक देश के सभी राज्यों से विकास के लिहाज से सबसे नीचे पायदान पर बरकरार है। बिहार के लिए अपने क्षेत्रों में विकास को बढावा देने का एक मात्र तरीका अधिसंरचानात्मक सुविधाओं में सुधार करना है। इसके लिए अधिक निवेश की जरूरत है। जिसे पुरा करने के लिए बिहार के पास वित्तीय साधन मौजुद नहीं है। जब तक अधिसंरचनात्मक सुधार प्राप्त नहीं होगा तब तक निजी निवेश नहीं हो सकता। इस लिए अधिसंरचनात्मक सुविधा में निवेश के लिए केन्द्र को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना पडेगा। केन्द्र का यह तर्क है कि विशेष राज्य के दर्जा के माप दंड में बिहार खडा नहीं उतरता है जबकि बिहार का पक्ष है कि बिहार कृषि आधारित राज्य है और सबा करोड परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं औद्योगिक विकास नगण्य है उत्पादन का हालात खराब है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहॉ एक ही समय में उत्तर बिहार बाढ की विभीषिका झेलता है वहीं दक्षिण बिहार में सुखे की स्थिति रहती है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति पूॅजी निवेश निम्न है देश का प्रति व्यक्ति केन्द्रीय निवेश 4144 रूपये है जबकि बिहार में यह सिर्फ 395 रूपये मात्र है। बिहार में गरीबी दर 57 प्रतिशत है बिहार में स्थापित अधिकांश सार्वजनिक निजी क्षेत्र स्थापित उद्योग झारखण्ड चले गये है फलत औद्योगिक आधार कमजोर है। औद्योगिक ईकाइयॉ जो बिहार में बची है उनकी स्थिति बहुत खराब है बिहार में राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा सबसे कम निवेश किया गया है। इसलिए बिहार को राष्ट्रीय औसत और अन्य राज्यों के समकक्ष पहुचाने के लिऐ बिहार को 80 हजार करोड की वार्षिक योजना की आवश्यकता है। इतनी बडी राशि की प्राप्ति बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने पर ही संभव है इन सभी बिन्दुओं को मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार ने लगातार उठा कर केन्द्र सरकार पर दवाव बनाये रखा है। बिहार में जन–जागरण उत्पन्न कर बिहार के खिलाफ हुये अन्याय के विरूद्ध एक प्रवल जनमत बन गया है। डा0 मिश्र ने आज गाधी मैदान में राज्य के कोने–कोने से आये लोगों की अपार जनसमुह को अधिकार रैली में उपस्थित होने पर बधाई दी साथ हीं जद यू0 के तमाम कार्यकर्त्ताओं को धन्यबाद दिया है जिन्होंने उत्साह पूर्वक लोगों के बीच बिहार के साथ हो रहे अन्याय के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में शामिल होकर इस ऐतिहासिक रैली को सफल बनाने में अहम भुमिका निभायी है।

(विद्‌यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

संसद के 22 नवम्बर से प्रारंभ होने वाले अधिवेशन के अवसर पर संसदीय प्रणाली पर हो रहे दबाव और उसे निरर्थक होने से बचाने के लिए बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री, पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री डॉ॰ मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधी, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता, श्रीमती सुषमा स्वराज तथा राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता, श्री अरूण जेटली से अलग–अलग पत्र द्वारा अपील।

पटना, 17 नवम्बर, 2012

छह दशक पुरानी भारतीय संसद अपनी परंपरा और उत्तरदायित्वों को लेकर गंभीर नहीं है, इसका प्रमाण संसद के पिछले कई सत्रों के हश्र को देखकर होता है। मामला भ्रष्टाचार का हो या फिर कोई महत्त्वपूर्ण बिल पास कराने का, संसद को पूरी तरह ठप्प कर देना अब राजनीतिक दलों का प्रिय प्रतिरोधी अस्त्र बन गया है। इस प्रतिरोध के दबाव में लोकप्रिय सरकारों की जवाबदेही का ग्राफ तो ऊपर नहीं उठ पाया, बहस और संवाद की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जरूर कुठाराघात हो रहा है। गठबंधन सरकारें के दौर में संसद को ठप्प कराना आसानं होता जा रहा है। दरअसल सांसद और जनता के बीच दुरियाँ इतनी बढ़ गई हैं कि लोग सांसद को लोकप्रिय नेता नहीं मानते। लोकप्रियता संसद में पहुँचने का गौण मापदंड है जबकि मुख्य मापदंड तो धनबल और बाहुबल ही बनता जा रहा है। विखंडित राजनीति ने इसे आसान बना दिया है। दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक पार्टियाँ, खासकर कांग्रेस और भाजपा, तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पा रही हैं। घोटाला हुआ हो या न हुआ हो, यदि अनियमितता भी हुई है तो सरकार से सवाल पूछने का हक जनता और उसके प्रतिनिधियों को है। संसदीय प्रणाली में उन सवालों के जवाब देने के लिए सत्तारूढ़ दल बाध्य है। यह उनकी मर्जी या नैतिकता पर निर्भर नहीं है, जिसको भी सरकार बनाने का मौका मिला है उसके मुखिया यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों का संवैधानिक दायित्व है कि वह संसद में जवाब दें। इस संवैधानिक दायित्व से कोई भाग नहीं सकता।

आजादी के 50वीं वर्षगांठ पर 1997 में संसदीय दल के सभी नेताओं ने संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बुनियादी ऊसूल बनाये थे। इसमें सदस्यों का सदन के वेल में न आना भी शामिल था। आज उस रजामंदी के 15 साल होने को आए लेकिन संसद में लगातार संगठित हंगामे बार–बार होने वाली समस्या है। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश के लिए नीति निर्माण की शीर्ष ईकाई है तो इसकी कार्यवाही जितने क्षण बाधित होगी, मुल्क की तकदीर उतनी ही क्षतिग्रस्त होगी। इसलिए संसदीय प्रणाली के समर्थक दुनिया के सभी गंभीर विश्लेषकों ने अपने सारे तर्क संसद की निर्धारित कार्यवाही के हर हाल में सुचारू रुप से संचालित होने के पक्ष में ही दिए हैं। सत्ताधारी मुख्य दल और मुख्य विपक्षी दोनों मुख्य राजनीतिक दलों से भरोसा उठने का ही नतीजा है कि तमाम नौजवान माओवाद या अन्य हिंसक रास्तों पर चलने के लिए अग्रसर हैं। इसलिए जरूरी है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों बातचीत को प्राथमिकता दें। संसदीय प्रणाली में जिन्हें सत्ता में बैठने हक नहीं मिलता, उन्हें बहुमत वाली गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उनका पक्ष सही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। शालीन विपक्ष का कर्त्तव्य बनता है कि वह संसद में जाकर आक्रामक रूप से अपनी बात रखे और बहस करे ताकि देश की जनता यह जाने कि आखिर मुद्दे क्या हैं? मुख्य विपक्षी दल लोकतांत्रिक कर्त्तव्यों से क्यों भागती है? उसे लोकतंत्र में अनास्था क्यों हो रही है? हर मुद्दे पर विपक्ष एवं सत्ताधरी दलों का लगातार आचरण चिंता की बात है। सत्ता एवं विपक्ष का यह तरीका देर सबेर लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने का काम करेगा। उसे राजनीतिक पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। बेहतर हो कि भाजपा और कांग्रेस मिलकर सदन की कार्यवाही देर तक चलाने का संकल्प लें, तभी संसदीय लोकतंत्र बचेगा। संसद से कोई ऊपर नहीं और न ही संसद का कोई विकल्प है। सदन एवं बाहर बैठे लोगों के मांगने से अगर भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देने लगे तो पूरी प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी।

लोकशाही के लिए खतरा यह है कि सभी दल संसद के प्रति उदासीन है। राजनीतिक दलों के नैतिक मूल्यो में गिरावट का नतीजा संसदीय कार्य प्रणाली में भी देखने को मिल रहा है। अगर संविधान में मौजूदा कर्त्तव्यों का पालन संसद नहीं करेगी तो फिर निर्वाचन व्यवस्था का फायदा क्या है? यदि संसद अपना काम नहीं करेगी तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगी। जहाँ से हमने संसदीय प्रणाली को अंगीकार किया है, इंग्लैंड में भी कभी–कभी संसदीय गतिरोध होता है। वहाँ के सांसद अपने दायित्वों को समझते हैं लेकिन हमारे यहाँ स्थिति भयावह हो गई है। दायित्वबोध का अभाव नियमित देखा जा सकता है। देश के संसद में हो रहे बवाल को रोकने के लिए नियमावलियाँ मौजूद हैं परंतु उनके अनुपालन का घोर अभाव है। इसे रोकने के दो ही उपाय हैं। एक तो सासंद खुद ही नैतिक दायित्व का पालन करना शुरू करें, जिसकी संभावना बेहद कम ही है। दूसरे अमर्यादित आचरण करने वाले और संसद न चलने देने वाले सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने की व्यवस्था हो जाए। यह राजनीतिज्ञों के लिए भी गंभीर चिंतन का विषय है। आज वास्तव में यह संदेश देने की चेष्टा की जा रही है कि संसद और विधिक संस्थान उपयोगी एवं प्रभावकारी नहीं हैं।

सवाल प्रशासनिक पारदर्शिता का है, भारत के मूल लोकतांत्रिक ढांचे को विकृत करने का नहीं। मुद्दा लोकतंत्र को अधिकाधिक जवाबदेह बनाने का है, इसमें कहीं भी कोई विसंगति नहीं है। राजनीतिक दल आपस में बैठकर यह फैसला करें कि किस प्रकार राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा करते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली को और मजबूत बनाने में भ्रष्टाचार के विरूद्ध सर्वानुमति बनायी जाय। भ्रष्टाचार का अंत राजनैतिक प्रक्रिया के इस्तेमाल से ही होगा। अब यह सोचना गलत है कि राजनैतिक लोगों को अलग–थलग करके इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा सकती है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

श्री नीतीश कुमार के सात वर्षों की शासन अवधि पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र की मुख्यमंत्री को बधाई।

दिनांक 23 नवम्बर, 2012

श्री नीतीश कुमार के सात वर्षों की शासन अवधि पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने मुख्यमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि ''7 वर्षों की अवधि पूर्ण करने के उपरांत श्री नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं न कि सम्प्रदायवादी या जातिवादी नारे।'' बिहार उन राज्यों में से एक हैं, जो (राज्य) भारतीय राजनीति पर अधिकतम प्रभाव डालता है। 7 वर्षों में वर्तमान सरकार की रणनीति के अंतर्गत भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाकर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा कमजोर तबके विशेषकर अल्पसंख्यक, दलित, अत्यंत पिछड़ी जाति एवं महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हुआ है। सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार दबाने का तथा जनसाधारण को सुरक्षा प्रदान करबाने का बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है। विकास को यदि कोई सबसे ज्यादा बाधित कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। आज इससे पूरा देश त्रस्त है। लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करने का कार्य काफी समय से इसके द्वारा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार निरोध अभियान को सरजमीन पर व्यावहारिक रूप दिया है। उन्होंने मंत्रियों के साथ–साथ भारतीय सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य में वर्ग तीन तक के सभी सरकारी सेवकों से विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से अपनी सम्पत्ति की घोषणा करबाया है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एंटी करप्शन एक्ट लागू किया है। इस एक्ट के तहत वह भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति ट्रायल के दौरान जब्त कर सकती है। मुख्यमंत्री बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के साथ–साथ बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का कार्य अत्यंत ही सराहनीय है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आवाज उठा रहे हैं, यह बिहार के विकास के लिए किए जा रहे संघर्ष की दिशा में एक ऐतिहासिक तथा सराहनीय कदम है। राज्य की तरक्की में बेरोजगारी बड़ी बाधक है। रोजगार के लिए नये उद्योगों की स्थापना की बड़ी जरूरत है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मुहिम चलायी जा रही है। दरअसल, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से उद्योगों की एक्साइज डयूटी माफ हो जाती है। श्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले सात वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। बिहार की दिशाहीनता, विकासहीनता और उद्योगविहीनता समाप्त हुई है और क्षत–विक्षत प्रशासकीय ढांचें में परिवर्त्तन हुआ है। सामाजिक समरसता स्थापित हुई है। इन सात वर्षों में विकास की बुनियादी संरचना सृजित हुई। सरकार के प्रयत्नों से राज्य एक क्रियाशील राज्य के रूप में परिवर्तित हुआ है। पिछले सात वर्षों की प्रगति और विकास को देखते हुए बिहार जैसे आर्थिक सुधारों से वंचित राज्य को केन्द्र से विशेष सहायता मिलना निहायत आवश्यक है। गरीब राज्य के लिए अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एकमात्र तरीका अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना ही हो सकता है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एव पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट कार्ड पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र की मुख्यमंत्री को बधाई।

दिनांक 24 नवम्बर, 2012

सात वर्षों की अवधि पूर्ण करने के उपरांत श्री नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दिया है कि लोग विकास और सुरक्षा चाहते हैं। बिहार आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसका श्रेय आज के नेतृत्व को जाता है जिसके पास दृष्टि है, विकास की चिंता है। विकास बदलाव से आया है। ये बदलाव सामाजिक–आर्थिक व प्रशासनिक मोरचे पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, जो विकास के आधार है। 7 वर्षों में वर्तमान सरकार की रणनीति के अंतर्गत भूख, कुपोषण, गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों की गरीबी खत्म करने, रोजगार, जीवन यापन के साधनों का सृजन, आर्थिक आधारभूत ढांचे का निर्माण, मानव संसाधन के विकास की क्षमताएं विकसित करने एवं सामाजिक आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करने, वित्तीय सुधारों के साथ प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाकर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा कमजोर तबके विशेषकर अल्पसंख्यक, दलित, अत्यंत पिछडी जाति एवं महिलाओं का विशेष ध्यान रखने का स्पष्ट संकल्प प्रदर्शित हुआ है। यह निर्विवाद है कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और सभी विकास सूचकों के लिहाज से योजना युग की लगभग शुरूआत से ही देश में सबसे निचले पायदान पर बरकरार है। इसका मुख्य कारण राज्य में सबसे कम योजना परिव्यय तथा निवेश का निम्न स्तर है। इसलिए राष्ट्रीय विकास के बावजूद अभी भी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय के मामले में बिहार सबसे पीछे चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2011–12 रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का प्रति व्यक्ति वार्षिक आय सिर्फ 23,435 रूपये है। यह झारखण्ड के 35,652 रूपये से भी कम है। फलतः राज्य अभी भी हर तरह की समस्या से पीड़ित है और तो और नब्बे के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, जब उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हुए हैं, बिहार राज्य वंचित ही बना रहा है।

डा॰ मिश्र ने कहा कि श्री नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले सात वर्षों में बिहार में विकास की नई संभावना बनाई है। परंतु आमलोगों की ऐसी धारणा है कि बिहार में वर्तमान स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर व्यापक सुधार कार्यक्रम चलाकर कार्य प्रणाली को और चुश्त–दुरूस्त करके विभाग के शीर्ष अधिकारियों की कुशलता एवं कार्य क्षमता में बढ़ोतरी लायी जा सकती है। जनता की यह अवधारणा है कि प्रशासन को उच्च स्तर पर अपने भीतर झाँकने की आवश्यकता है। बिहार में राजग सरकार के गठन से जनता में उत्साह और भरोसा दिखाई पड़ा, जो बिहार में सामाजिक बदलाव की दिशा में एक नये विजन के साथ काम कर रहा है। श्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक घोषणा की है उन्हें पूरा करने की जरूरत है, जो नीतियाँ बनी है वे सभी वर्गों के फायदे को ध्यान में रखकर बनाये जा रहे हैं। आम जनता आधारभूत संरचना के विकास को देखकर ही यह मानती है कि सरकार काम कर रही है या नहीं। जो काम श्री नीतीश कुमार ने किया है उसकी देश–दुनिया ने तारीफ भी की है। लेकिन, अब इससे आगे निकलने की जरूरत है। आम जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने के लिए सरकार को कम से कम शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और उद्योग पर तो विशेष फोकस करना ही होगा। बिहार की मूलभूत समस्यायें रही है कि यहाँ विकास के लिए योजनाएँ बनती रही हैं और क्रियान्वयन के लिए धन उपलब्ध होता रहा है तथा लक्ष्य भी निर्धारित किए जाते हैं किन्तु योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता के कारण उपलब्धि अच्छी नहीं हो पायी। लक्ष्यों की उपलब्धि न कर पाने के लिए प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जाना एक दुःखद प्रसंग रहा। इसलिए प्रशासन को दायित्व का निर्वहन करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर आने के लिए बिहार को अपने क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार करना है। बिहार को ऐसे अधिसंरचनात्मक निवेश की जरूरत अधिक है, लेकिन इस कार्यभार को पूरा करने के लिए उनके पास कम वित्तीय संसाधन मौजूद हैं। जबतक उनके अधिसंचनात्मक व सेवा संबंधी स्तर इस अवस्था में न पहुँच जाय कि वहाँ निजी निवेश का अच्छा–खासा प्रवाह होने लगे, इसके लिए आवश्यक संसाधनों को केन्द्र को ही उपलब्ध कराना है। अधिसंरचना एक मुख्य मानदंड है इसलिए केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह बिहार को यह न्यायोचित ढंग से संसाधन उपलब्ध कराए। भारत में भारी आंचलिक विविधता और संसाधनों का असमान वितरण है। साथ ही, सामाजिक–आर्थिक स्थितियों में भी काफी अंतर है। फलतः राज्य सरकार द्वारा राजस्व जुटाने की क्षमता में भी अन्य राज्यों से अंतर है। आज बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के संबंध में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार आवाज उठा रहे हैं, यह बिहार के विकास के लिए किए जा रहे संघर्ष की दिशा में एक ऐतिहासिक तथा सराहनीय कदम है। जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष कोटि के राज्य का दर्जा दिया जाए और उसी के अनुरुप वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाए।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

बाबरी मस्जिद शहादत दिवस के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 6 दिसम्बर, 2012

बाबरी मस्जिद शहादत दिवस के अवसर पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री से यह अपील की है कि अयोध्या राम मन्दिर और बाबरी मस्जिद विवाद के त्वरित स्थायी समाधान के लिए संविधान के अनुच्छेद 138 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि संसद द्वारा की जाय क्योंकि निचली अदालतों में 1949 से यह मामला लम्बित रहा है। इस विवादित मामला का समाधान वर्तमान कानून प्रक्रिया से 63 वर्ष पूरे होने पर भी संभव नहीं हो पाया है। अतः अब इस मामला का अन्तिम निष्पादन उच्चतम न्यायालय के स्तर से ही संभव है। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना किसी भी सभ्य और जागरूक राष्ट्र की पहली पहचान है। गांधीजी ने भी कहा था कि सभ्यता का दावा करनेवाले किसी भी राष्ट्र की कसौटी यही है कि उसने अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का आचरण या व्यवहार बनाकर रखा है। देश के लोग वस्तुतः कितना स्वतंत्र हैं, इसकी परख इस बात से भी होती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग देश में अपने को कितना सुरक्षित समझते हैं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक बदनुमा धब्बा है, जिसका दाग आसानी से धोया नहीं जा सकता। यह घटना देश की संस्कृति में धार्मिक सहिष्णुता पर बेरहम आघात है। आजादी के समय के देश के महान नेताओं की उस अनूठी उपलब्धि पर सवाल उठा दिया जिसमें उन्होंने भारत को सिर्फ लोकतंत्र नहीं, बल्कि सेक्यूलेरिज्म भी दिया था। लिब्रहान आयोग की रपट भारतीय इतिहास की इस असाधारण घटना के कारणों पर आधारित है। उस समय हिन्दू सांप्रदायिकता अपने चरम पर थी और उसने धर्मनिरपेक्ष भारत के ताने–बाने को हिला कर रख दिया था। धर्म और जाति का दुरूपयोग रोकने के लिए कानून और उसे लागू करने के लिए प्राधिकरण बनाना, राष्ट्रीय एकता परिषद् को कानूनी मान्यता देना, विवादित मुद्दों के हल के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना और पुलिस व्यवस्था में सुधार, ये सब ऐसे आवश्यक सुझाव हैं जिन पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। उन्हें लागू करने में राज्य और केन्द्र सरकार के अधिकारों की सैद्धांतिक और तमाम तरह की व्यावहारिक दिक्कतें उठ सकती है, परंतु लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को बचाये रखने के लिए यह आवश्यक है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ किदबईपुरी,, पटना–1

प्रेस विज्ञप्ति

पूर्व मुख्यमंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र की सद्यः प्रकाशित पुस्तक "बिहार : विकास और संघर्ष" का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा लोकार्पण।

पटना, 18 दिसम्बर, 2012

माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार जी डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक **"बिहार : विकास और संघर्ष"** नाम की पुस्तक का लोकार्पण बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान के तत्त्वावधान में दिनांक 19 दिसम्बर, 2012 (बुधवार संध्या–5 बजे) को ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्त्तन संस्थान, (1 जवाहर लाल नेहरू मार्ग, बेली रोड), पटना के सभागार में करेंगे।

इस समारोह की अध्यक्षता, बिहार के शिक्षा मंत्री, श्री पी॰के॰ शाही करेंगे। श्री उदय नारायण चौधरी, माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान सभा मुख्य अतिथि होंगे।

(डॉ॰ प्यारे लाल)
निदेशक

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादुर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय वित्त श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा विशेष राज्य के दर्जा की शर्त्तों में बदलाव की घोषणा का स्वागत करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि इस पूरे मामले को 14वीं वित्त आयोग को विचारार्थ सौंपे।

दिनांक 22 दिसम्बर, 2012

केन्द्रीय वित्त श्री पी॰ चिदम्बरम द्वारा राज्य सभा में विशेष राज्यों को दर्जा मिलने के लिए निर्धारित शर्त्तों में संशोधन करने की घोषणा का स्वागत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि 1971 से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत राज्यों को मिलनेवाली केन्द्रीय सहायता और विशेष दर्जा देने की शर्त्तों में संशोधन करना नितांत आवश्यक हो गया है। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला है उन्होंने नई उचाइयां हासिल की हैं और वे सभी राज्य बिहार से काफी आगे हैं। बिहार राज्य आर्थिक सुधार के लाभों से वंचित रहा है। गरीबी की अधिकता, प्रति व्यक्ति कम आय, औद्योगीकरण का निम्न स्तर और सामाजिक आर्थिक आधार के पिछड़ेपन के कारण बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 23,436 रूपया था जबकि राष्ट्रीय औसत 60 हजार है। संविधान के अनुच्छेद 38(2) ने केन्द्र को ऐसी जिम्मेवारी सौंपी है कि राज्यों के बीच की असमानता दूर करे। केन्द्रीय सरकार द्वारा लगातार बिहार की उपेक्षा के निराकरण के लिए अब आवश्यक हो गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जाय। इसलिए विशेष राज्य दर्जा देने के लिए गाडगिल फार्मूले ने आज के परिप्रेक्ष्य में संशोधन की जाय। असमानता को दूर करने और बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने के साथ राष्ट्रीय औसत में लाने के लिये सकारात्मक नीतिगत पहल की जरूरत है। इसलिये बिहार जैसे पिछड़े राज्य को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् को गाडगिल फार्मूला में निर्धारित शर्त्तों में संशोधन करना आवश्यक है। गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत योजना अनुदान की वर्तमान व्यवस्था ने भी असमानता को बढ़ावा दिया है। जिसने बिहार जैसे राज्य को लगातार क्षति पहुँचायी है। बिहार की प्रति व्यक्ति की आय न्यूनतम स्तर पर रहने तथा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक व्यय सबसे निचले पायदान पर है। बिहार को आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटे के कारण विशेष राज्य का दर्जा फौरी मिलनी चाहिये। इसलिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नवगठित 14वीं वित्त आयोग की कार्य सूची में इसे सम्मिलित की जाय क्योंकि राज्यों के बीच व्याप्त विषमताओं को पाटने और विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से सुझाव आवश्यक है। औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों को टैक्स में छूट मिले जिससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिले। यह सर्वमान्य है कि बिहार कम विकसित राज्य है और यह एक मान्य अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है कि देश का कोई राज्य अगर औसत विकास से नीचे है तो उसे विशेष सहायता दी जाय। इस समय बिहार में देश के कुल आबादी का 8 प्रतिशत है लेकिन राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी मात्र 2.92 प्रतिशत है। अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जाय तो देश के जीडीपी में बिहार भी 10 प्रतिशत योगदान कर सकता है। पिछले 7 वर्षो में वर्तमान सरकार ने अपनी सीमित संसाधनों से विकास कर राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है। अगर वित्त आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा बिहार अपेक्षित सहायता मिले तो अपनी क्षमता से विकास कर सकता है। 90 के दशक में शुरू हुए उदारीकरण के दौर में भी, उच्च आय वाले राज्य काफी लाभान्वित हुए हैं, बिहार राज्य वंचित ही बना रहा है। इसलिये राज्यों के बीच की असमानताएं दूर करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् और 14 वित्त आयोग को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। तथ्यों, आंकड़ों और विभिन्न अध्ययनों से प्रमाणित है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना राज्य और देश दोनों के विकास के लिए आवश्यक है।

डा॰ मिश्र ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि बिहार के साथ केन्द्र द्वारा किए गये अन्याय के निराकरण के लिए जरूरत इस बात की है कि बिहार को विशेष कोटि के राज्य का दर्जा दिया जाय और (1) वित्त आयोग के अन्तरण की ऐसी योजना बनावे जो संघ के आकलित अतिरेक, जो उसके पास केन्द्रीय लेवी के आर्थिक लाभों के चलते एकत्र हुआ हो पर आधारित हो, और जिसे राज्यों के बीच अन्तरित किया जा सकता हो ताकि वे संविधान द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्वों को पूरा कर पाएं। (2) संघ की सकल राजस्व–प्राप्तियों में से कर की बांट और अनुदान के रूप में राज्यों को योजना और गैर–योजना मद में दी जानेवाली राशि का प्रतिशत बढ़ायें। (3) अनुच्छेद 275 के अधीन दिये जाने वाले अनुदान का निर्धारण गैर–योजना राजस्व–अन्तराल के आधार पर नहीं किया जाये बल्कि उसका भुगतान राज्यों को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जाय– (क) राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किये गये कार्यक्रम के आधार पर खास–खास प्रशासनिक और सामाजिक सेवाओं के स्तरों का समान स्तर का बनाने के लिए, और (ख) साहाय्य खर्च जैसी विशेष परिस्थितियों में उठाये जाने वाले खर्च का जो भार राज्य के कोष पर पड़ता है उसे वहन करने के लिये। (4) संविधान के अनुच्छेद 270 के अधीन विभाज्य करों और शुल्कों में से तथा अनुच्छेद 275 के अधीन साहाय्य अनुदान की बांट देने में भारत सरकार को प्रतिरोधी न्याय का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। उसी के अनुसार एक ऐसा सिद्धांत निर्धारित करना चाहिये जो अन्तर–राज्य विषमताओं को दूर करने में सहायक हो। (5) आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों की बांट में केन्द्र उसी प्रकार का सिद्धांत अपनावे और राज्य के बीच उन्हें बांटने में ऊँचे दर्जे की प्रगतिशीलता दिखावे जिसमें राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में रखते हुए पिछड़ापन को अधिक महत्व दिया गया हो, और (6) भागीदारी वाले करो के विभाजक पुल को काफी बढ़ाया जाय और उसमें राज्य की व्यापक वित्तीय जरूरतों को बजट में दर्शायी जाने वाली आवश्यकता मानकर शामिल किया जाय।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान

1, आई॰ए॰एस॰ किदबईपुरी,, पटना–1

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधान में ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री एवं इस संस्थान के पूर्व संस्थापक–निदेशक डॉ॰ सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा के सम्मान में ''असंगठित मजदूर'' विषय पर स्मृति व्याख्यान का आयोजन।

पटना, 24 दिसम्बर, 2012

बिहार आर्थिक अध्ययन संस्थान, पटना के तत्वावधान में ख्यातिलब्ध अर्थशास्त्री एवं इस संस्थान के पूर्व संस्थापक–निदेशक डॉ॰ सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा की स्मृति में **''असंगठित मजदूर''** विषय पर आयोजित स्मृति व्याख्यान का उद्घाटन करते हुए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि आज विकास की रफ्तार, भूमण्डलीकरण के त्वरण पर निर्भर है, लेकिन इस रफ्तार से ज्यादा महत्वपूर्ण है–समग्र विकास, जो देश में समृद्धि के बिखरे टापुओं के एकीकरण में भूमिका निभा सकता है। इस समग्र विकास के सपना को पूरा करने में युवाओं की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाले देश भारत के युवा पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार अपने मानव संसाधन के कौशल विकास हेतु कृत संकल्प है। ऐसा देखा जा रहा है कि विगत कई वर्षों से राष्ट्र की अधिक उन्नति तो हुई है लेकिन नियोजन की संख्या में निरंतर गिरावट हुई है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि कामगारों को कुशल तकनीकी/व्यवासयिक योग्यता हासिल नहीं हो रही है। आने वाले समय में काफी संख्या में युवक/युवतियाँ नियोजन की तलाश में श्रम बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। बेरोजगारी की चुनौती को स्वीकार करते हुए राज्य में विशेष तैयारी करने एवं संसाधन तैयार करने पर विशेष बल दिया गया है। विश्व बाजार में कुशल मानव शक्ति की मांग एवं आपूर्ति का संतुलन आवश्यक है। कुशल कामगारों की आपूर्ति के पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में अधिक से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जायं इसके लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प है। बेरोजगार युवाओं के लिये रोजगारपरक एवं गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवसस्था की जाय। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य के अनाच्छादित अनुमण्डलों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा जिलों में एक–एक महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की योजना का लक्ष्य है।

संस्थान के अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में कहा कि द्वितीय श्रम आयोग ने सिफारिश की है कि कृषि श्रम के लिए केन्द्रीय विधान की अत्यंत आवश्यकता है। इस विधान द्वारा कृषि श्रमिकों को रोजगार की सुरक्षा, काम के निर्धारित घण्टे, निश्चित मजदूरी के भुगतान और विवादों के समाधान के लिए मशीनरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस विधान में श्रम कल्याण संबंधी योजनाओं को तैयार करने और सामाजिक सुरक्षा के उपाय करने का प्रावधान भी होना चाहिए। आयोग ने सिफारिश की है कि केन्द्रीय एवं राज्यीय स्तर पर ग्रामीण श्रम के लिए एक पृथक विभाग होना चाहिए जिसके अधिकारी राज्यीय स्तर के नीचे भी हों। आयोग ने सिफारिश की है कि कृषि श्रमिकों के लिए मजदूर संघों का प्रावधान होना चहिए ताकि कृषि श्रमिक उपयोज्य कानून के अधीन कार्य करें। आयोग ने कृषि श्रम कल्याण कोष की स्थापना की सिफारिश की है। कृषि क्षेत्र ग्रामीण जनसंख्या का सबसे गरीब वर्ग है।

मुख्य वक्ता डॉ॰ प्रवीण सिन्हा, एफ॰ई॰एस॰, जर्मनी ने कहा कि यह निर्विवाद है कि अर्द्ध–संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को विभिन्न श्रमिक अधिनियमों में देय सुविधाओं का लाभ इस कारण नहीं मिल पाता है कि उनमें संगठन का अभाव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नई श्रम नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह हो कि इस क्षेत्र के श्रमिकों को प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता देकर संगठन बनाने के लिए प्रेरित किया जाय तथा उन संगठनों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी के लिए उन्हें समर्थ बनाया जाय। इस सम्बन्ध में विशेष रूप से यह प्रयास हो कि समाज के कमजोर वर्ग से आनेवाले श्रमिकों के बीच सघन रूप से उनके अधिकारों के प्रति चेतना जागृत की जाय और उन्हीं के बीच नेतृत्व की क्षमता रखनेवाले मजदूरों को प्रशिक्षित कर संगठन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाय।

डॉ॰ एन॰के॰ चौधरी, पूर्व विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, पटना विश्वविद्यालय ने कहा कि असल में ढेरों श्रम संगठनों की वजह से श्रमिक वर्ग बंटा हुआ है और उसकी संघर्ष करने की शक्ति और क्षमता का ह्रास हुआ है। इस कमजोरी को शासक वर्ग और पूंजीवादपरस्त सरकारें अच्छी तरह समझ चुकी हैं। वैश्वीकरण की नीतियों के तहत श्रमिकों की ताकत और एकता को खत्म करने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। पूंजीवादी ताकतें तो एका करके मैदान में उतर रही हैं, पर श्रमिक वर्ग टुकड़ों में बंटता जा रहा है।

प्रारंभ में सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा के चित्र पर डा॰ मिश्र के साथ अन्य लोगों ने भी माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। संस्थान के निदेशक, डॉ॰ प्यारे लाल ने सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाले।

डॉ॰ सिन्हा के दामाद डॉ॰ बी॰के॰ सहाय ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस अवसर पर डॉ॰ सिन्हा के परिवार के सदस्यों ने यथा पुत्र–पुत्री एवं अन्य लोगों ने भी भाग लिया।

(डॉ॰ प्यारे लाल)
निदेशक

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के जन्म–दिन के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र का शुभकामना संदेश।

पटना, 25 दिसम्बर, 2012

श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी के **88वें जन्म–दिन** के अवसर पर फैक्स द्वारा शुभकामना संदेश भेजते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि श्री वाजपेयीजी ने भारत की राजनीति को नए–नए आयाम प्रदान किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री पद पर पहुँचने और राजनीति को नरमपंथी हिन्दुत्व तक पहुँचाने में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कभी भी स्वंय को कट्टरपंथी हिन्दू के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। उनके कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य अवश्य हुए जिन पर देश गर्व कर सकता है। मई, 1998 में पोखरन विस्फोट और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के दबाव व प्रतिबंध का साहसपूर्वक सामना कर उन्होंने समस्त विश्व को भारत की इच्छाशक्ति का अहसास कराया। इसके साथ ही अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में भारत की धरती पर इजरायल के प्रधानमंत्री श्री एरियल शेरोन का स्वागत कर भारत की विदेश नीति को शीतयु की मानसिकता से बाहर निकालकर व्यवहारवादी दिशा दी। अमेरिकी दबाव के बावजूद वे इराक में भारतीय सेना को नहीं भेजकर भारत की अपनी सार्वभौमिकता का परिचय दिया।

डा॰ मिश्र ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयजी के दीर्घजीवी होने और राष्ट्र का निरंतर मार्ग निदेश करते रहने की कामना की।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

12वीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति के लिए 27 दिसम्बर, 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के अवसर पर डा॰ जगन्नाथ मिश्र द्वारा प्रधानमंत्री को पत्र।

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

12वीं पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति के लिए 27 दिसम्बर, 2012 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के अवसर पर प्रधानमंत्री को पत्र द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में संकल्प लिया गया था कि एक प्रगतिशील सामाजिक नीति के तहत एक नये भारत का निर्माण होगा। उनका मकसद था कि देश के विकास का फायदा आम आदमी तक जरूर पहुँचे। हम ऐसे कार्यक्रम भी शुरू किये, जिनसे विशेष रूप से समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों का कल्याण हो। परंतु गरीबी में कमी नहीं आई। धन कुछ लोगों के बीच सीमित होता गया है। आर्थिक विषमता बढ़ती गई है। 11वीं योजना में उनका समावेशी विकास नहीं हो सका। 12वीं योजना में गरीबों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं तथा अन्य पिछड़े तबकों की भलाई के लिए दृढ़संकल्प के साथ अधिक प्रावधान की आवश्यकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के समय उन्होंने यह कहा था कि देश के साधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है। परंतु 11वीं योजना के पांच वर्ष बीतने के बाद भी मुसलमानों के लिए उनकी 16 प्रतिशत आबादी, गरीबी, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक एवं नियोजन में उनके निम्नतम स्थिति बनी हुई है। उनकी स्थिति में बदलाव के लिए सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र के अनुशंसाओं का पांच वर्षों में भी कार्यान्वयन के लिए लम्बित रहा है। अभी उनकी शिक्षा एवं रोजगार के मद में 12वीं योजना में अधिक व्यय की अपेक्षा है। उनके जीवन में बदलाव की दृष्टि से रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसाओं का लागू किया जाना सुनिश्चित की जाए। 2007 में हीं अल्पसंख्यक बाहुल्य 20 राज्यों में से 90 जिलों को मुसलमान बाहुल्य जिला के रुप में चिन्हित किया था। यह मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मापदण्ड के आधार पर किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित एवं आवंटित धन का 8 प्रतिशत से अधिक उपयोग नहीं हो पाना केन्द्र एवं राज्य सरकार की अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीनता स्थापित करती है।

डा॰ मिश्र ने कहा है कि अतिगरीब की श्रेणी में मुसलमान, दलित एवं आदिवासी समाज का वह समूह आता है जो सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वथा असुरक्षित है। इसके अतिरिक्त उनमें भिखारी, किन्नर, एच.आई.भी. पीड़ित, झुग्गी–झोपड़ी में रहने वाले बच्चे, अवैध रूप से व्यापारित खासकर महिलाएं, मानसिक विकलांग, कुष्ट रोगी, बहुविकलांगता के शिकार व्यक्ति, देह व्यापार वाले इलाके में रहने वाले, अनाथ बच्चे, परिसंपत्तिविहीन लोग, फुटपाथ पर रहने वाले लोग, गृहविहीन एवं कचड़ा बिनने वाले आदि शामिल हैं। ऐसे लोगों की बदहाली इतनी अधिक है कि वे अमानवीय स्थिति में जीवन बसर करने को मजबूर हैं। ऐसे अतिगरीबों के उत्थान के लिए सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचाने के लिए प्रभावकारी प्रावधान की आवश्यकता है। ऐसे लोग घोर आर्थिक तंगी के शिकार होते हैं जिसके चलते वे स्वास्थ्य की देख–भाल, शिक्षा तथा आजीविका जैसी अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। उनमें अधिक समाज से अलग–थलग माने जाते हैं। किसी प्रकार के आकस्मिकता को झेलने के लिए इनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं है। सरकार ने अतिगरीबों के सामाजिक–आर्थिक एवं सांस्कृतिक बदहाली को ध्यान में रखते हुए इनके उत्थान के लिए कई कदम उठाये किन्तु इनका सर्वांगीण विकास आज भी सरकार एवं समाज के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। अनुभव बतलाते हैं कि अतिगरीबों के उत्थान के लिए हमें विकास एवं पुनर्वास के बीच फर्क करके देखना होगा तथा विभिन्न प्रकार के अतिगरीबों को लक्षित कर निरंतर विकास योजनाओं का संचालन करना तथा उनके लिए यथेष्ट योजना में प्रावधान करने होंगे। उनके लिए योजनाओं को तैयार करते समय इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि इन विभिन्न श्रेणियों के अतिगरीबों के मुद्दे तथा विकास की चुनौतियाँ भिन्न हैं एवं एक दूसरे से मेल नहीं खाते अतः इनके लिए किसी प्रोटोटाइप स्कीम से कम नहीं चल सकता।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी.
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

आज राष्ट्रीय विकास परिषद् की सम्पन्न हुई बैठक में विशेष राज्य के दर्जा के निर्धारित शर्त्तों में बदलाव लाने के मुद्दे पर विचार नहीं किया जाना विस्मयकारी– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

विशेष राज्य के दर्जे के मापदंडों में बदलाव सम्बन्धी केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री पी॰ चिदम्बरम के बयान और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने हेतु तर्कपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी दिल्ली में राष्ट्रीय विकास परिषद् की 57वीं संपन्न हुई आज की बैठक में विचार नहीं किये जाने पर विस्मय प्रकट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि 1971 से राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत राज्यों को मिलनेवाली केन्द्रीय सहायता और विशेष दर्जा देने की शर्त्तों में संशोधन करना नितांत आवश्यक हो गया है। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला है उन्होंने नई उचाइयां हासिल की हैं और वे सभी राज्य बिहार से काफी आगे हैं। बिहार राज्य आर्थिक सुधार के लाभों से वंचित रहा है। गरीबी की अधिकता, प्रति व्यक्ति कम आय, औद्योगीकरण का निम्न स्तर और सामाजिक आर्थिक आधार के पिछड़ेपन के कारण बिहार राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। वर्तमान मूल्य पर बिहार की प्रति व्यक्ति आय मात्र 23,436 रूपया है जबकि राष्ट्रीय औसत 60,000 है। केन्द्रीय सरकार द्वारा लगातार बिहार की उपेक्षा के निराकरण के लिए अब आवश्यक हो गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दी जाय। इसलिए विशेष राज्य दर्जा देने के लिए गाडगिल फार्मूले में आज के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाना आवश्यक है। असमानता को दूर करने और बिहार को विकसित राज्यों के श्रेणी में लाने के साथ राष्ट्रीय औसत में लाने के लिये सकारात्मक नीतिगत पहल की जरूरत है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद् को गाडगिल फार्मूला में निर्धारित शर्त्तों में संशोधन करने पर विचार करना चाहिये था। गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत योजना अनुदान की वर्तमान व्यवस्था ने भी असमानता को बढ़ावा दिया है। जिसने बिहार जैसे राज्य को लगातार क्षति पहुँचायी है। बिहार की प्रति व्यक्ति की आय न्यूनतम स्तर पर रहने तथा यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ–साथ सामाजिक आर्थिक व्यय सबसे निचले पायदान पर है। बिहार को आर्थिक पिछड़ापन और विकासात्मक घाटे के कारण विशेष राज्य का दर्जा फौरी मिलनी चाहिये। अतः ऐसे पिछड़े राज्यों को एक समय–सीमा में पिछड़ेपन से उबारने और राष्ट्रीय औसत के समरूप करने के लिए वर्तमान प्रचलित नीति में सकारात्मक बदलाव किया जाना आवश्यक है।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113/77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा और प्रतिष्ठा

पटना, 28 दिसम्बर, 2012

दिल्ली में हाल में एक फिजियोथिरेपी कोर्स की 23 वर्षीय छात्रा के साथ घटी बलात्कार–घटना से मर्माहत एवं दुःखी मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, डा॰ जगन्नाथ मिश्र, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने भारत के माननीय राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने पत्र द्वारा बलात्कारियों को दंड देने संबंधी कानून को कठोर से कठोर बनाने के लिये दो सुझाव दिये हैं, साथ ही अपने देश की तमाम महिलाओं की सार्वकालिक सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिये पुख्ता प्रबंध करने की भी सलाह दी है। (1) आतंकवाद के विरूद्ध टाडा और पोटा की अवधारणाओं की तर्ज पर बलात्कारियों के विरूद्ध भी कानूनों की विशेष कोटि बनायी जाय। बलात्कारियों को आतंकियों–जैसा ही समझा जाय। स्त्रियों के प्रति किये गये अपराध को संरक्षण एवं गैर जमानती बनाते हुए माननीय उच्च न्यायालय एवं इससे ऊपर के ही न्यायालय में जमानत मंजूर करने की शक्ति सौंपी जाय। (2) स्त्रियों के विरूद्ध सभी अपराधों के लिये विशेष और पृथक् अदालतें स्थापित की जायँ, जो परिवार और तलाक से सम्बन्धित न्यायालयों की तरह हों। विचार करने वाली अदालत को अधिकतम छः महीनों की अवधि के अंदर ही विचार कर फैसला करने का अनिवार्य प्रावधान बनाया जाय। पीड़िता के लिये विडियो द्वारा सत्यापन करने का प्रावधान बनाया जाय, ताकि बार–बार अदालत आने की और अधिक पीड़ा उन्हें नहीं उठानी पड़े।

उन्होंने पत्र में कहा है कि स्पष्टतः यह लगता है कि एक नये ढंग का आतंकवाद देश के अंदर जड़े जमा चुका है और सामने क्षितिज पर नये प्रकार के आतंकी वृन्द उभर आये हैं। देश की 50 प्रतिशत आबादी (महिलायें) निरंतर आतंक और भय से त्रस्त हैं। दिल्ली की उक्त हालिया–जघन्य घटना के विरूद्ध इन्डिया गेट (दिल्ली) तक से लेकर पूरे देश में अन्य जगहों पर जनाक्रोश, जबर्दस्त, प्रदर्शन पर प्रदर्शन, रंजिस भरी मुद्रायें और भावनायें सबों के सामने हैं; प्रायः हर दिन हमारे देश में स्त्रियों के विरूद्ध इवटीजिंग से लेकर अपहरण और हत्या तक के आतंक भरे जघन्य अपराधों की घटनायें घटती रहती हैं। पुलिस की कार्रवाई ऐसे में निश्चय ही संतोषजनक होने से परे है। भारत में हो रहे परिवर्तन के परिणामस्वरूप महिलायें अपने घरों से बाहर पढ़ने या काम करने आती रहती हैं। फलतः सामाजिक ताना–बाना विकासात्मक है। वस्तुतः कोई भी राष्ट्र हर तरह से महिलाओं को सशक्त किये बिना विकसित या सभ्य नहीं कहा जा सकता है। स्वभावतः कानूनों के वर्तमान समूह और पालन पर हमारा ध्यान त्वरित गति से केन्द्रित हो, यह आवश्यक है। डा॰ मिश्र ने कहा कि प्राचीन भारत में महिलाओं की जो प्रतिष्ठा और मान्यता थी उसे गिराने की प्रवृत्ति शीघ्र रोकी जाय और उसे पुनः स्थापित रखते हुए बरकरार रखा जाय।

इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर डा॰ मिश्र ने भारत के राष्ट्रपति जी से सरकार को निदेशित करने का अनुरोध किया है ताकि उनके उपर्युक्त सुझावों पर ध्यान देते हुए केन्द्र सरकार महिलाओं के लिये सुरक्षित वातावरण तैयार करे, जिससे उनके संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और जीवन के मानवाधिकारों का हनन नहीं हो।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113 / 77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना–23

प्रेस विज्ञप्ति

सिंगापुर के माउंट ऐलिजाबेथ अस्पताल में दिल्ली की सामूहिक बलात्कार की पीड़िता के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हुए डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों से महिला की सुरक्षा के लिए कठोरत्तम कानूनी व्यवस्था बनाने की अपील की।

पटना, 29 दिसम्बर, 2012

सिंगापुर के माउंट ऐलिजाबेथ अस्पताल में दिल्ली में सामूहिक बलात्कार की पीड़िता छात्रा के निधन पर शोक, दुःख एवं विस्मय प्रकट करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री, डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने कहा है कि 23 वर्षीय छात्रा की गैंग रेप की घटना के बाद महिलाओं के सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा बनकर सबों के सामने आ गया है। यह घटना सम्पूर्ण मानवता पर एक कलंक है और भारतीय संस्कृति परंपराओं एवं विचारों को झकझोड़ने वाला है। ऐसे बर्बर कृत को अंजाम देने वालों को अविलंब दंडित करना ही चाहिये। दोषियों के खिलाफ न्याययिक प्रक्रियाओं को जल्दी में समाप्त कर महिलाओं की सुरक्षा बनाये रखने के लिए कठोर से कठोर कानूनी व्यवस्था बनाकर एक मिशाल कायम करना चाहिये जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो पावे। जैसी परिस्थिति इस समय महिलाओं के समक्ष हो गयी है उसे देखते हुए महिलाओं के सर्वकालिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता प्रबंध करने की आवश्यकता है। महिलाओं पर बढते अत्याचार की घटनाओं से महिलाओं के विरूद्ध आतंक का माहौल उत्पन्न हो गया है। हमारे संविधान में स्त्री–पुरूष की समानता, मान–सम्मान, गौरवपूर्ण जीवन जीने एवं सुरक्षादि मूल अधिकार के तहत दी हुई है। आज जबकि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सभी क्षेत्रों में उनकी सहभागिता की बात कही जा रही है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को सम्मान देने की व्यवस्था है। हमारी संस्कृति की पहचान है कि ईश्वर वहीं वास करते हैं जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। इस पृष्ठभूमि में महिलाओं पर बढ़ती घटनाओं का आंकलन करते हुए महिलाओं के विरूद्ध आतंकवाद जैसे प्रवृत्ति देखी जा रही है। इससे आवश्यक प्रतीत होता है कि इस आतंक के विरूद्ध टाडा–पोटा कानून जैसी अवधारणाओं के तर्ज पर बलात्कार के विरूद्ध भी कानूनी प्रावधान कर विशेष कोर्ट बनायी जाय और बलात्कारियों को आतंकवाद जैसा समझा जाय। महिलाओं पर किये गये अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती मानते हुए केवल उच्च न्यायालय में ही जमानत मंजूर करने की शक्ति सौंपी जाय। महिलाओं के विरूद्ध सभी अपराधों के लिए विशेष अदालत स्थापित की जाय और ऐसा प्रावधान हो कि महिलाओं के विरूद्ध किये गये अपराधों के विरूद्ध विचार करने वाली न्यायालय छः माह के अंदर फैसला सुनिश्चित करे। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे पीड़िता के लिए वीडियो द्वारा सत्यापन करने का प्रावधान किया जाय ताकि बार–बार पीड़िता को अदालत आने की पीड़ा नहीं उठानी पड़े। हाल की घटनाओं से ऐसा लगता है कि नये ढंग का आतंकवाद देश में जड़े जमा चुकी है और नये प्रकार के आतंकी उभर आये हैं। देश की 50 प्रतिशत आबादी महिला इस समय आतंक और भय से त्रस्त हैं। दिल्ली की घटना के विरूद्ध दिल्ली से लेकर पूरे देश में जनाक्रोश, जर्बदस्त प्रदर्शन, रंजिश भरी मुद्रायें और भावनायें आज देश के समक्ष है। इस समय प्रायः हर दिन देश में महिलाओं के विरूद्ध अनेक प्रकार की घटनायें होती हैं। देश में अपहरण और अन्य जघन्य अपराधिक घटनायें घटती रहती है। पुलिसी कार्रवाई निश्चित रूप से संतोषजनक नहीं है। भारत में हो रहे सामाजिक–आर्थिक बदलाव के परिणाम स्वरूप महिलायें घर से पढ़ने या काम करने जाती रहती हैं। सामाजिक तानाबाना विकासात्मक हो गया है। वस्तुतः भारत को हर तरह से महिलाओं को सशक्तिकरण किये बिना विकसित नहीं कहा जा सकता।

डा॰ मिश्र ने कहा है कि महिलाओं की विशेष प्रतिष्ठा थी और पुनः उस प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण बनाये रखने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों को निश्चित रूप से इस असाधारण घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास करना चाहिये कि महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार हो जिससे उन्हें संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार प्राप्त हो सके।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव

डा॰ जगन्नाथ मिश्र
(पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री)

113 / 77 बी,
लालबहादूर शास्त्री नगर, पटना-23

प्रेस विज्ञप्ति

अल्पसंख्यकों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं नियोजन के लिए 12वीं योजना में अधिक उद्व्यय की आवश्यकता– डा॰ जगन्नाथ मिश्र का वक्तव्य।

पटना, 31 दिसम्बर, 2012

डा॰ जगन्नाथ मिश्र ने प्रधानमंत्री को एक पत्र द्वारा स्मरण कराया है कि उन्होंने 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के समय यह घोषणा की थी कि देश के साधन पर पहला अधिकार मुसलमान का है। परंतु 11वीं योजना के पांच वर्ष बीतने के बाद भी मुसलमानों के लिए उनकी 16 प्रतिशत आबादी, उनकी गरीबी, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक एवं नियोजन में उनके निम्नतम साझेदारी के बावजूद भी सच्चर एवं रंगनाथ मिश्र के अनुशंसाओं के पांच वर्ष बाद भी कार्यान्वयन के लिए लम्बित है। भारत सरकार की अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मुसलमानों की सघन आबादी वाले जिलों के लिए विशेष आवंटन निर्धारित किया है। इस वर्ष की बजट में अल्पसंख्यक कल्याण के लिए पिछले वर्ष 1,740 करोड़ के विरूद्ध 2,600 करोड़ उपबंध किया है। इस आवंटन में से अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए 1,204.20 करोड़ आवंटन किया गया है। पिछले वर्ष के आवंटन का उपयोग राज्य सरकार ने अभीतक नहीं किया है। मंत्रालय ने स्वयं स्वीकारा है कि राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए आवंटित राशि का उपयोग नहीं के बराबर किया है। मंत्रालय ने यह भी स्वीकारा है कि केवल 5 हीं राज्यों में मुसलमानों के लिए कल्याण संबंधित आवंटित राशि का उपयोग किया जा सका है। अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन की गति अत्यंत ही धीमी बनी रही है। इससे प्रशासन तंत्र की उदासीनता स्थापित होती रही है। मंत्रालय ने 2007 में हीं अल्पसंख्यक बाहुल्य 20 राज्यों में से 90 जिलों को मुसलमान बाहुल्य जिला के रुप में चिन्हित किया था। यह मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मापदण्ड के आधार पर किया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित एवं आवंटित धन का 8 प्रतिशत से अधिक उपयोग नहीं हो पाना केन्द्र एवं राज्य सरकारों की अल्पसंख्यकों के प्रति उदासीनता स्थापित करती है जबकि सर्वशिक्षा अभियान के लिए आवंटित धन का 90 प्रतिशत व्यय दर्शाया जा रहा है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आयी थी तब तक कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि देश में अल्पसंख्यकों की अवस्था ऐसी दयनीय है। रिपोर्ट के प्रकाशन का सकारात्मक नतीजा यह निकला कि केन्द्र को अल्पसंख्यक विकास के प्रति जागरूक होना पड़ा और अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में बहुउद्देश्यीय कार्यक्रम चलाने की बात सामने आयी। अब जबकि इस निर्णय का अपेक्षित समय बीत गया है, इसके परिणाम की समीक्षा पर गौर होना चाहिए। गौरतलब है कि 11वीं योजना में बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम में 3,780 करोड़ रूपए खर्च होने थे, मगर अप्रैल के पूर्वार्द्ध की रिपोर्ट बताती है कि इसके लिए अबतक ढाई हजार करोड़ रूपए जारी भी नहीं हो सके हैं।

डा॰ मिश्र ने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं नियोजन के मद में 11वीं पंचवर्षीय योजना से अधिक 12वीं पंचवर्षीय योजना में व्यय की अपेक्षा है और सरकारी सेवाओं में आबादी के अनुपात में उनमें प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के दृष्टि से रंगनाथ मिश्र आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में मुसलमानों को अन्य पिछड़े वर्गों की तरह संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण सुनिश्चित की जाए।

(विद्यानाथ झा)
निजी सचिव